ICRW
INTERNATIONAL CENTER
FOR RESEARCH ON WOMEN

SATHEE

BADLAO FOUNDATION
INITIATIVE FOR CHANGE

UMANG
उमंग

किशोरी सशक्तिकरण में पुरुषों और युवाओं की सहभागिता

दो दिवसीय युवा प्रशि
विषय : जेन्डर
साथी-ICRW-NY

किशोरी सशक्तिकरण में पुरुषों और युवाओं की सहभागिता

विषय सूची

माड्यूल – 1 जेंडर और लिंग 9

1.1 फसलीटेटर के लिए 10
1.2 जेंडर और लिंग क्या है ? 17
1.3 समता और समानता 21
1.4 कार्यों का समाजीकरण 24
1.5 सामाजिक पहचान और अपेक्षाएँ 27

माड्यूल – 2 सत्ता 29

2.1 फसलीटेटर के लिए 30
2.2 विशेषाधिकार और प्रतिबंध 34
2.3 पितृसत्ता 37

माड्यूल– 3 जेंडर और जेंडर आधारित हिंसा 40

3.1 फसलीटेटर के लिए 41
3.2 सुरक्षित माहौल हेतु समाज एवं पुरुषों की भूमिका 46
3.3 सामाजिक मापदंड 48
3.4 जेंडर आधारित भेदभाव 50

माड्यूल – 4 मर्दानगी 52

4.1 मर्दानगी 53

माड्यूल – 5 विवाह और शिक्षा 56

5.1 फसलीटेटर के लिए 57
5.2 बाल विवाह का दुष्प्रभाव और सामाजिक मापदंड 67
5.3 शिक्षित जीवन साथी एवं पारिवारिक विकास 70
5.4 बालिका शिक्षा 73

आभार

"उमंग" "किशोरी सशक्तिकरण में किशोरों एवं पुरुषों की सहभागिता" पाठ्यक्रम में अनेक लोगों के कठिन परिश्रम और मिले–जुले प्रयासों का परिणाम है। इसमे निम्नलिखित व्यक्तियों ने लेखकों और संपादकों के रूप में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है:

आई.सी.आर.डब्लू. (एशिया रीजनल ऑफिस नयी दिल्ली एवं झारखण्ड ऑफिस): डॉ नसरीन जमाल, राजेंद्र सिंह*, पारसनाथ वर्मा, बिनीत झा, त्रिलोकी नाथ और शक्ति घोष।

मैं राहुल कुमार, मृदु कमल एवं सूरज कुमार के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने पाठ्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया है।

पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने हेतू सुझाव देने के लिए डॉ रवि कुमार वर्मा को विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं एवं धन्यवाद देते हैं। पाठ्यक्रम को रिव्यु करने के लिए सपना केडिया, प्रणिता अच्युत, अमाजित मुखर्जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के आभारी हैं जिन्होंने इस पाठ्यक्रम को उसके प्रकाशित रूप में प्रस्तुत करने में हमारी सहयता की है। गतिविधियों को जाँच करने में मदद के लिए उमंग के फसलीटेटर को धन्यवाद करते हैं।

पाठ्यक्रम का प्रकाशन एवं मुद्रण सुनिश्चित करने के लिए शक्ति घोष, अनुराग पॉल एवं संदीपा फंडा का भी आभार व्यक्त करते हैं।

हम सत्रों के कार्यान्वयन के लिए हमारे सहयोगी संस्थाओं के प्रखंड समन्वयक संग सभी फील्ड फैसिलिटेटर का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।

पूरे उमंग कार्यक्रम के सञ्चालन एवं क्रियान्वयन हेतु अधिक सहायता देने के लिए आई.के.ई.ए. फाउंडेशन के आभारी हैं।

हम तहे दिल से उन सभी युवाओं एवं पुरूषों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने पाठ्यक्रम में समूह शिक्षा गतिविधि में भाग लिया है साथ की उमंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन में नेहरु युवा केंद्र के प्रतिनिधि एवं पंचायत प्रतिनिधियों का योगदान रहा हम सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

*अब कहीं और कार्यरत हैं

उमंग परियोजना का संक्षिप्त परिचय

आई.सी.आर.डब्लू. (इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन) एक गैर सरकारी संस्था है। यह अपने सहयोगी संस्थाओं बदलाव फाउंडेशन (मिहिजाम, जामताड़ा), साथी (गोड्डा) एवं प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल के साथ मिल कर झारखण्ड के दो जिलों गोड्डा (गोड्डा एवं महागमा ब्लाक) एवं जामताड़ा (जामताड़ा एवं नाला ब्लाक) में किशोरी सशक्तिकरण, लिंग समानता एवं बाल विवाह के दर में कमी लाने हेतु वर्ष 2018 से कार्यरत है, इसके तहत दोनों जिलों से 209 गाँव एवं 71 माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों का चयन किया गया है। इस परियोजना का नाम उमंग रखा गया है, जिसकी अवधि पांच वर्ष है।

परियोजना के उद्देश्यः

- किशोरियों की निर्णय की शक्ति एवं आकांक्षाओं को बढ़ावा देना ताकि वे सही उम्र में शादी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं आर्थिक अवसरों से जुडने हेतु सशक्त हो सकें
- अभिभावकों, समुदाय एवं अन्य हितधारकों में लड़कियों के सशक्तिकरण के महत्त्व को बढ़ावा देना
- बाल विवाह के प्रति दृष्टिकोणों में बदलाव लाना
- लड़के–लड़कियों में लिंग समानता को बढ़ावा देना
- लड़कियों, लड़कों और शिक्षकों के बीच लिंग और विवाह सम्बन्धी निर्धारित मानदंडों के प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना

वर्तमान में स्वचालित बाल विवाह से जुडे सरकारी तंत्र की दक्षता एवं प्रतिक्रिया को बेहतर बनाना हम सभी जानते है कि पुरुषों का रोल समाज में बहुत ही अहम है। उमंग कार्यक्रम चाहता है, कि लैंगिक भेदभावपूर्ण प्रथाओं एवं रीति–रिवाजों (क्योंकि हम पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, क्योंकि पुरुष सत्ता और शक्तिशाली पदों पर रहते हैं और महिलाओं और लड़कियों आदि के जीवन पर नियंत्रण रखते हैं) पर किशोरों, युवाओं और पुरुषों के बीच खुलकर चर्चा हो एवं किशोरी सशक्तिकरण के लिए गाँव एवं समाज में सकारात्मक वातावरण का निर्माण तैयार हो। इसी के तहत, पुरुषों एवं युवाओं के साथ बातचीत के लिए यह चर्चा सत्र तैयार किया गया है।

प्रस्तावना

किशोरी सशक्तिकरण में पुरुषों और युवाओं की सहभागिता हेतु चर्चा सत्र

चर्चा सत्र के पाठ्यक्रम का उद्देश्य

समाज में समानता के लिए सेक्स (लिंग) और जेंडर (सामाजिक लिंग) की समझ आवश्यक है। जेंडर– समानता और किशोरी सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है जिस पर हर किसी का नजरिया या दृष्टिकोण होता है। परन्तु समयानुसार, लोगों की समझ एवं दृष्टिकोण में स्पष्टता आभाव होता है, फलस्वरूप लोग जानकारी का समुचित उपयोग नहीं कर पाते। यह पाठ्यक्रम जेंडर समानता पर समझ एवं दृष्टिकोण के स्पष्टीकरण, पुरुषों के परिपेक्ष्य से जेंडर समानता से संबंधित मुद्दों, सामाजिक मानदंड, प्रचलित अवधारणाओं, व्यवहारों, रीति–रिवाजों को तार्किक तरीके से परखने और जानने में सहायक हो सकता है। इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

- समाज में पुरुषों एवं युवाओं के खुद के भूमिका का निरीक्षण एवं व्यवहार में परिवर्तन हेतु विचार–विमर्श को बढ़ावा देना।
- पुरुषों एवं युवाओं में किशोरियों के सामाजिक महत्व तथा मर्दानगी से जुड़े मुद्दों की सही समझ को की विकसित करना।
- किशोरी सशक्तिकरण के लिए सहयोगी वातावरण का निर्माण करना।
- उमंग कार्यकर्ताओं का क्षमता वर्धन ताकि वे समुदाय में इन चर्चाओं को स्वयं आगे ले जा सकें।

पाठ्यक्रम का विवरण

पाठ्यक्रम में 12 सत्र हैं। सत्रों का आयोजन किशोरों (15–18 वर्ष), युवाओं (19–25 वर्ष) और पुरुषों (26–50 वर्ष) के साथ किया जा सकता है। प्रत्येक दो माह में कम से कम एक सत्र पर परिचर्चा की जानी चाहिये। प्रत्येक सत्र में परिचर्चा प्रारंभ करने हेतु कुछ प्रश्न, उदाहरण या छोटी सी कहानी दिए गए हैं। उदाहरण पर चर्चा मूल संदेश तक पहुँचने के लिए करें और मूल संदेश पर विशेष चर्चा करें। कुछ सत्रों के लिए विशेष जानकारी अलग से अंत में भी दी गयी है। सहजकर्ता स्थानीय प्रचलित शब्दों का प्रयोग कर अपनी बात प्रभावी तरीके से रख सकते हैं। पाठ्यक्रम में दिए गए उदाहरण से मिलता–जुलता तात्कालिक उदाहरण या घटना का वर्णन किया जा सकता है। समुदाय में घटी किसी घटना का उदाहरण देते समय गोपनीयता का ध्यान रखें। विवादित घटना या अति नजदीक का उदाहरण देने से बचें। सहभागी भी समुदाय का हिस्सा हैं, अतः संभव है उन्हें घटना की जानकारी हो और बातचीत घटना पर निजी राय देने की ओर मुड़ जाये और सत्र के उद्देश्य से भटक जाये। शब्दों का प्रयोग भी सहभागियों के सुविधा के अनुसार किया जा सकता है।

पाठ्यक्रम के उपयोग हेतु सुझाव

सहजकर्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे पाठ्यक्रम का अध्ययन सत्र से पहले कर लें और सत्र के अनुसार प्रशिक्षण सामग्री एवं वितरण हेतु आवश्यक पठन–पाठन सामग्री की व्यवस्था कर लें। जब सहभागी अपना ज्ञान और अनुभव साझा कर रहे हों तब सहजकर्ता आवश्यकतानुसार जानकारी पर फिर से निगाह डाल सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि यदि वे जानकारी पढ़ने में व्यस्त हो जाएंगे तो बोलने वाले हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं, और उन्हें लग सकता है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। प्रयास करें कि सत्र एक घंटे में संपन्न हो जाये। बैठक के बाद यदि कोई सहभागी चर्चा करना चाहते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्रदान करें। सहभागिता, परिचर्चा एवं विमर्श को प्रोत्साहित करें पर साथ ही–

- व्यक्तिगत, धार्मिक, जातिगत, राजनीतिक टिप्पणी से बचें।
- अनावश्यक उदाहरण देने से बचें।
- मुद्दे से भटकाव को नियंत्रित करें।
- अगले सत्र का विषय, बैठक तिथि एवं समय, समापन के समय बता दें।
- भागीदारी के लिए सबको सत्र के अंत में धन्यवाद अवश्य दें।
- मुख्य संदेश पर विशेष ध्यान दें उसके लिए परिपूर्ण समय रखे।

सत्रों के सुगम संचालन हेतु सुझाव

- सत्र का संचालन खुशनुमा माहौल बनाते हुए करें। प्रश्न सहज और सरल भाषा और स्थानीय लहजे में पूछें। माहौल को हल्का बनाने की चेष्टा करें।
- सत्र की शुरुआत रोजमर्रा की बातों से करें। गाँव–घर की चर्चा करते हुए इसे पिछले सत्र के सीख से अवश्य जोंड़े।
- नए सत्र की शुरुवात पिछले सत्र की सीख और सहभागियों द्वारा कार्य योजना कैसे लागू किया, उसी अनुरूप चर्चा शुरू करें। यदि पिछले सत्र की कोई महत्वपूर्ण बिंदु सहभागी नहीं बता पाते हैं तो सहजकर्ता उन्हें याद दिलायें।
- प्रश्न या जानकारी पढ़े नहीं बल्कि उसे सहजता से पूछें या बताएं, हो सके तो सरल अभिनय कर पूछें।
- एक प्रश्न का जवाब मिलने पर ही दूसरा प्रश्न पूछें। प्रश्न का जवाब न मिलने पर उदाहरण सहित प्रश्न दोहरायें।
- जवाब सही होने पर उचित प्रतिक्रिया (बिल्कुल सही, ठीक आदि कहकर प्रोत्साहित करें) साथ ही सभी की भागीदारी सुनिश्चित करें।
- सही जवाब नहीं मिलने पर जवाब को नोट करें। सबसे पूछें क्या वे सहमत हैं?
- प्रश्न पूछने से पूर्व जवाब भी पढ़ लें। यह प्रश्न के उद्देश्य एवं संभावित उत्तर से अवगत कराएगा।
- सहभागियों का जवाब हमारे सत्र से अगर जुड़ा हुआ नहीं होने पर आप उन्हे सत्र से संबन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हे कुछ संकेत संकेत दे और पूरक प्रश्न पूछें।
- विभिन्न जानकारियों को आपस में जोड़ते हुए आगे बढ़ें। आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण दें।
- सहभागी अनेक जवाब दे सकतें हैं। सही जवाब पर ध्यान दें और उसी से विमर्श को आगे बढ़ाएं।
- यदि दो विपरीत जवाब आतें हैं तो स्पष्टीकरण/जवाब का आधार पूछें और सही निष्कर्ष बताएं।
- जवाब स्वयं देने के बजाय सहभागियों से जवाब निकालने का प्रयास करें।
- सहभागियों के जवाब को नोट करें, बैठक सत्र का प्रतिवेदन/सारांश बनायें।
- चर्चा के अंत में सत्र से संबंधी प्रतिक्रिया, सलाह लें। उनसे सत्र संबंधी सीख जरुर पूछें, एवं उसे पुनः दोहराएं।
- सत्र के अंत में अगले सत्र के बारे में थोडा बताएं की अगले सत्र में हम आपसे क्या चर्चा करेंगे
- अगले सत्र से सम्बंधित एक दो ऐसे प्रश्न या मुद्दे रखें जिससे अगले सत्र की शुरुआत की जा सके

सत्र के दौरान सभी सहभागियों हेतु बुनयादी सुझाव

- सभी सहभागी एक–एक कर बोलें और अपनी बात स्पष्टतः और संक्षेप में रखें।
- दूसरों के विचारों को ध्यान से सुने और उनका तर्क समझने का प्रयास करें। असहमत होने पर अपना तर्क मर्यादित तरीके से रखें।
- सत्र के दौरान मोबाइल साइलेंट मोड में रखें। सत्र के दौरान सोशल नेटवर्किंग एप का प्रयोग ना करें।
- अति आवश्यक न हो तो सत्र के बीच से न उठें।
- सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने में सहयोग करें।
- सत्र के उपरांत कम से कम एक गृह कार्य बिंदु अवश्य तय करें।
- सत्र का समापन किसी संबंधित नारा से करें। नारा संकलित करते जायें।

विशेष बैठक सत्र का आयोजनः

कभी–कभी गाँव में जेंडर समानता से संबंधित कोई विशेष मुद्दा उत्पन्न हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में पाठ्यक्रम के उपयुक्त सत्र पर चर्चा की जा सकती है। याद रखें, परिस्थिति का उपयोग संदेश प्रसारण को प्रभावी बनाता है। परिस्थिति का उपयोग करते समय ध्यान रखे और किसी की भावनाओ को हानी न पहुंचाए।

DISCLAIMER: यह पाठ्यक्रम विषय को समझने और चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए बनायी गयी है। यह अपने आप में किसी विषय पर सम्पूर्ण जानकारी प्रदान नहीं करती। सम्पूर्ण जानकारी के लिए संबंधित स्रोतों का उपयोग अवश्य करें।

मॉड्यूल 1 जेंडर एवं लिंग

१-२ फसलीटेटर के लिए

जेंडर को समझना

14 वर्षीय लतिका सरकारी विद्यालय मे पढ़ने जाती है। उसे पढ़ाई करना अच्छा लगता है और वह पढ़ाई में अच्छी है।

विचार के लिए प्रश्न

क्या लड़कियों के जीवन का उद्देश्य केवल बड़ा होकर, शादी और बच्चे पैदा करना है?

इस प्रकार का दृष्टिकोण लतिका के आगे के जीवन को कैसे प्रभावित करेगा?

समाजीकरण अनेक तरीकों से हमारी सोच को रूप प्रदान करता है। यह सोच हमारे मन में इतनी गहराई से बैठ जाती है की हमारे दैनिक जीवन का अंग बन जाती है। ऐसी सोच पर आधारित कोई फैसला लेने से पहले हम दुबारा सोचते तक नहीं है। उदाहरण के लिए जब कोई माँ अपने बेटे और बेटी के बीच कार्यों को विभाजित करती है तो स्वतः ही लड़के को करने के लिए ऐसा काम मिलता है जो अधिक मर्दाना किस्म के होते हैं जैसे की बल्ब लगाना, घर का समान खरीदना आदि, जब की लड़की को खाना पकाना, घर की सफाई जैसे काम मिलते हैं। हम शायद ही कभी सोचते है की हमारी सोच और दैनिक जीवन के लिए छोटे– छोटे व्यवहार कैसे हमारी और दूसरों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं।

सामाजिक नियम और मानदंड हमारे अंदर इस तरह बैठ जाते हैं की हम अपनी बेटियों और बेटों के जीवन में जो विकल्प देते हैं वे संकुचित होते हैं और इस तरह जेंडर–भेदभाव का चक्र जारी रहता है। क्या हम इसके बारे में सोचते और प्रश्न करते हैं? ऐसा अंतर क्यों है? जब भी हम लड़कियों की शिक्षा की बात करते है तो उसका कारण यह बताते है की शिक्षित महिला अपने परिवार की जरूरतों का ध्यान बेहतर ढंग से रखेगी। पर यही कारण लड़कों की शिक्षा के लिए भी जरूरी नहीं होता। लड़कों को पढ़ाते है ताकि उनका विकास हो सके, वो अपनी जिंदगी में कुछ बन पाए। ऐसी सोच यह निर्धारण करती है की लड़के और लड़कियों को किस लिए और कितना पढ़ना है।

जेंडर क्या है? क्या यह सेक्स या लिंग के समान है?

लिंग (सेक्स) और जेंडर एक नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू। एच। ओ।) के अनुसार "लिंग" का मतलब पुरुषों और महिलाओं को परिभाषित करने वाली जैविक और शारीरिक क्रियाओं से जुड़ी विशेषताओं से है।

"जेंडर" का मतलब है सामाजिक रुप से रची गई वो भूमिकाएं, व्यवहार, कार्य और विशेषताएं जिन्हे समाज पुरुष या महिला के लिए उपयुक्त मानता है। इस प्रकार जहां लिंग स्थायी और सर्वव्यापी है, वही जेंडर की रचनाएं अलग–अलग समाजों में अलग–अलग दिखाई देती है। दूसरे शब्दों में कहें तो "पुरुष" और "महिला" लिंग संबंधी वर्ग हैं, जबकी "मर्दाना" और जनाना" जेंडेर संबंधी वर्ग है।

लिंग संबंधी विशेषताओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार है:

- महिलाओं को माहवारी होती है, पुरुषों को नहीं होती है।
- पुरुषों की अंडग्रन्थियां होती है, महिलाओं की नहीं होती है।
- महिलाओं के स्तन होते है और वह सामान्यतया स्तनपान कराती है, जबकी पुरुषों के स्तन नहीं होते।
- महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, पुरुष नहीं देते।

जेंडर संबंधी रचनाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार है:

- महिलाओं से अपेक्षा की जाती है की वे परिवार का ध्यान रखेंगी, घरेलू कार्य करेंगी और घर पर रहेंगी।
- पुरुषों से अपेक्षा की जाती है की वे नौकरी करेंगे और परिवार के लिए पैसा कमायेंगे।
- ये माना जाता है की लड़के गणित में लड़कियों की तुलना में ज्यादा बेहतर होते हैं।
- ये माना जाता है की लड़के कभी रोते नहीं हैं।
- ये माना जाता है की लड़कियां बहुत भावुक होती हैं।
- सामान्यतया माहिलाएं घर का काम पुरुषों से अधिक करती हैं।

लतिका को कॉलेज नहीं भेजा जाएगा, इस तथ्य का उसकी जैविक विशेषताओं से कोई संबंध नहीं है। उसका भविष्य सामाजिक रूप से परिभाषित भूमिकाओं द्वारा तय किया जा रहा हैय यानी एक महिला के रूप में उससे अपेक्षा की जाती है की वह विवाह करेगी और अपने परिवार का देखरेख करेगी। अगर लतिका को कॉलेज नहीं भेजा जाएगा, इस तथ्य का उसकी जैविक विशेषताओं से कोई संबंध नहीं है। उसका भविष्य सामाजिक रूप से परिभाषित भूमिकाओं द्वारा तय किया जा रहा हैय यानी एक महिला के रूप में उससे अपेक्षा की जाती है की वह विवाह करेगी और अपने परिवार की देखरेख करेगी। अगर लतिका लड़का होती तो उसके पिता या चाचा की प्रतिक्रिया क्या होती? हम लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग मानदंडधनियम क्यों बनाते है? लड़कों को क्यों उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने दी जाती है और घर का काम कराने या शादी कराने के नाम पर लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही छुड़ा दी जाती है।

जेंडर समानता और जेंडर समता क्या है?

जेंडर समानताः कानून और नीतियों में महिलाओं और पुरुषों के साथ समान व्यवहार तथा परिवार, समुदाय, समाज के भीतर संसाधनों और सेवाओं तक उनकी समान पहुंच।

- **जेंडर समताः** महिलाओं और पुरुषों के बीच लाभों और जिम्मेदारियों के बंटवारे में निष्पक्षता न्याय की जरूरत है। इन अंतरों की पहचान कर इस बात पर जोर देना चाहिए कि महिला व पुरुष के बीच इस असंतुलन को ठीक किया जा सके।
- **जेंडर भेदभावः** सामाजिक रूप से रची गई जेंडर भूमिकाओं और मानदंडों के आधार पर कोई ऐसा भेद, बहिष्कार या प्रतिबंध जो व्यक्ति को पूर्ण मानवाधिकारों का उपयोग करने से रोके।
- हमारे समाज में लड़कियों के जीवन में भेदभाव एक आम बात है। जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं के साथ विभिन्न तरीकों से भेदभाव किया जाता है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैः

- लिंग जांच कर गर्भपात करवाना
- पर्याप्त और पोषक आहार से वंचित करना
- शिक्षा के उपयुक्त अवसरों से वंचित करना
- स्वास्थ्य देखरेख प्राप्त करने से वंचित करना या उसमें विलंब करना
- कम उम्र में विवाह
- छेड़खानी, बलात्कार, यौन उत्पीड़न
- भावनात्मक हिंसादहेज

यह भेदभाव निम्नलिखित रूपों में प्रकट होता है:

- **असंतुलित बाल लिंग अनुपात** – प्राकृतिक तौर पर हर 1000 लड़कों के जन्म के साथ 950 लड़कियों का जन्म होता है। परंतु भारत में ये अनुपात 950 से बहुत कम है। 2011 जनगणना और दूसरे सर्वेक्षण के आधार पर किए एक आंकलन के अनुसार सन 2000 से हर 1000 लड़कों के जन्म के साथ केवल 923 लड़कियों का ही जन्म हो रहा है। इसका अर्थ है की हर वर्ष लगभग 4 लाख लड़कियों का जन्म नहीं हो रहा या फिर कहें जन्म लेने नहीं दिया जा रहा है और जानकारी के लिए 2020 में प्रकाशित ये रिपोर्ट पढ़ें। (https://india.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/sex_ratio_at_birth_in_india_A_july.pdf)

- **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण** – 4 (2015–16) के अनुसार यदि जन्म का पहला महिना छोड़ दें तो लड़कियों की शिशु और बाल मृत्यु दर लड़कों से ज्यादा है।

- **कुपोषण:** पोषण के मामले में जेंडर असमानताएं शैशव अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक जारी रहती है। लड़कियों को स्तनपान कम और कम अवधि के लिए कराया जाता है। बचपन से प्रौढ़ावस्था तक पुरुषों को पहले और बेहतर भोजन दिया जाता है। भारत में 53 प्रतिशत महिलाओं और 23 प्रतिशत पुरुषों में अनिमिया है। (NFHS–4, 2015–16)। झारखंड में ये प्रतिशत 65 और 30 है।

- **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण** – 4 से पता चलता है की 15–17 वर्ष की 60 प्रतिशत लड़कियां स्कूल जाती हैं जबकी 67% लड़के स्कूल जाते हैं।

मिस्टर सिंह एक बैंक में क्लर्क हैं। उनकी दो लड़कियां और एक लड़का है। लड़कियों की उम्र 12 और 14 वर्ष तथा लड़के की 10 वर्ष है। तीनों बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं।

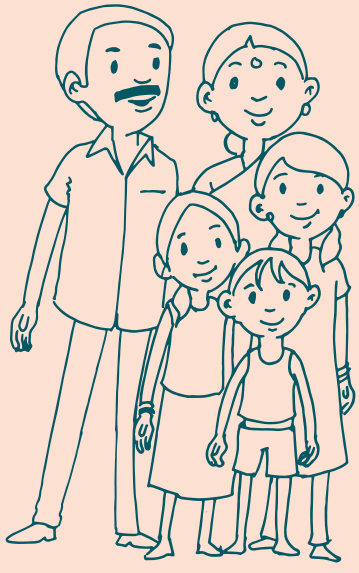

लड़के को प्राईवेट स्कूल में और लड़कियों को सरकारी स्कूल में भेजना अच्छा रहेगा क्योंकि मेरी तनखाह इतनी नहीं है कि तीनों बच्चों को ऐसे प्राइवेट स्कूल में भेज सकूं जहां पढ़ाई की सुविधाएं अधिक बेहतर हैं।

इस तरह का भेदभाव क्या आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा?

लड़कियों के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? यह भेदभाव उसे, उसके परिवार और समाज को कैसे प्रभावित करता है?

१. क.२. जेंडर आधारित कार्य का विभाजन

1. क.2. जेंडर आधारित कार्य का विभाजन

सुधा 40 वर्षीय ग्रहणी है। उसने आर्किटेक्ट की पढ़ाई की है। उसके दो बच्चे है। उसका पति सरकारी नौकरी करता है।

उसने भी पिछली फर्म के साथ काम करना जारी रखा होता, पर जब उसके बच्चे बड़ी कक्षाओं में आ गये तो उसके पति को लगा कि उसे घर पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। तो उसने काम छोड़ दिया और पूरी तरह से ग्रहणी बन गई। अब बच्चे बड़े हो गये हैं और पढ़ाई कर रहे हैं।

सुधा को हमेशा लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है। अगर उसके पति और बच्चे घरेलू काम में मदद करते तो वह अपनी नौकरी जारी रख सकती थी।

कई बार सुधा अपनी सहेली को देखती है जो बाहर काम करती है और सोचती है काश, वो भी काम करना जारी रख पाती।

क्या सुधा की कहानी जानी पहचानी लगती है।

घर का काम क्या केवल महिलाओं की जिम्मेदारी है? ऐसा क्यों है?

सुधा नौकरी छोड़ने से मना कर देती है तो उसके पति और बच्चों की क्या प्रतिक्रिया

इस स्थिति से निकलने का क्या रास्ता हो सकता था?

जिनको हम पुरुषों और महिलाओं के कार्य मानते है, उनमें स्पष्ट रूप से अंतर है। अधिकतर हम देखते हैं कि घर की महिलाएं खाना बनाती हैं, सफाई करती हैं, कपड़े सिलती हैं, जबकी घर के बाहर उन्ही कामों को पुरुष करते हुए दिखाई देते हैं (शेफ, दर्जी और धोबी का काम)। काम समान है पर यह अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कौन घर पर करेगा और कौन घर के बाहर करेगा। पुरुष द्वारा बाहर किए गए कामों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। वहीं घरेलू कामकाज को असली मेहनत का काम माना ही नहीं जाता है और उस काम को महत्व भी नहीं दिया जाता है। अपने समाज में हम अक्सर देखते हैं की महिलयों के लिए अधिकतर ऐसी नौकरियां है जो कम वेतन, निम्न कौशल व कम सामाजिक गतिशीलता वाली होती हैं। ठीक इसके विपरीत पुरुष उच्च वेतन, उच्च दायित्व और आगे बढ़ने के अधिक अवसरों वाले रोजगार प्राप्त करते हैं।

ऐसा क्यूँ है? क्या जैविक रूप से अलग– अलग होने के कारण पुरुषों और महिलाओं के काम अलग– अलग हैं? क्या जैविक रूप से पुरुष महिलाओं से बेहतर है या फिर ऐसा इसीलिए है कि उन्हे कुछ विशेष कामों का दायित्व लेने के लिए तैयार किया जाता है। आप क्या सोचते हैं?

आइए, अब अपने आस–पड़ोस में और समाज में लड़कियों तथा लड़कों के जीवन पर नजदीक से गौर करें। जहाँ लड़कियों को घरेलू कामकाज करने और भविष्य में परिवार की देखभाल करने के लिए तैयार किया जाता है, वहीं लड़कों को स्कूल भेजा जाता है और परिवार के लिए कमाने के कौशल सिखाए जाते हैं। कई परिवारों में लड़कों को रसोई में घुसने या घरेलू काम करने से मना किया जाता है। इसी समझ की वजह से लतिका के पिता और चाचा उसकी शिक्षा जारी रखने को तत्पर नहीं थे। यहाँ तक की मिस्टर सिंह ने भी वित्तीय कठिनईयां खड़ी होने पर अपनी लड़कियों को प्राइवेट विदयालय भेजने की जगह सरकारी विद्यालय भेजने का फैसला किया, क्योंकि लड़कियों की बेहतर शिक्षा उनकी प्राथमिकता नहीं है। इस प्रकार एक ही घर में जहां लड़कों को विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, वहीं लड़कियों को इन अवसरों से वंचित रखा जाता है।

विभिन्न सामाजिक संस्थाएं (जिनमें विद्यालय भी शामिल है) जेंडर भेदभाव को बनाए रखने में मदद करते हैं। विद्यालय कार्यक्रमों के दौरान जहां लड़कों को समारोह की योजना बनाने और उनका आयोजन करने की जिम्मेदारी दी जाती है, वहीं लड़कियों को स्वागत गीत गाने के लिए कहा जाता है। कक्षा में लड़कों को भारी टेबल और कुर्सियाँ खिसकाने के लिए कहा जाता है और लड़कियों को सफाई करने के लिए। लड़कों को खेलकूद में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकी कई स्कूलों में तो लड़कियों के लिए खेलकूद की सुविधाएं तक नहीं होती है। सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति कौशल साथ लेकर पैदा नहीं होता। कौशल सिखाए और सीखे जाते हैं।

आपने–अपने घर और आस–पड़ोस में जेंडर– भेदभाव देखा होगा? ऐसा क्यों होता है? इसका मूल कारण है पितृसत्तात्मक मूल्य। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे।

समान अवसर मिलने पर लड़कियों ने अपनी क्षमताओं को दर्शाया है और ऐसे पेशे और क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त किया है जो पहले केवल लड़कों के पेशे का क्षेत्र समझे जाते थे। यह महत्वपूर्ण है की लड़कियों और लड़कों को सीखने और अपनी क्षमताओं का विकास करने के समान अवसर दिए जायें। साथ ही उनके पास अपनी–अपनी रुचियों और कौशलों पर आधारित भविष्य का मार्ग चुनने हेतु विकल्प होने चाहिए, न की लिंग आधारित। लड़कियों को समान अवसरों से वंचित करना न केवल जेंडर भेदभाव है, बल्कि यह उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन भी है।

क्या आपने कभी ऐसा देखा की लड़कियों को अपने विकास के लिए समान अवसर दिए गए? ऐसे उदाहरण बच्चों को भी बताएं।

१- क.३ - जेंडर संबंधी रूढियाँ

ऊपर हमने जो चर्चा की उसका संबंध पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त समझे जाने वाली विशेषताओं, भूमिकाओं और काम के क्षेत्रों से है। यही जेंडर रूढ़िबद्धता है। जिसमें हम महिला व पुरुष दोनों के लिए अलग– अलग भूमिकाएं, काम व मूल्य निर्धारण करते है। जैसे–जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वैसे–वैसे वे उन संदेशों को आत्मसात करते जाते हैं जो समाज, परिवार, विद्यालय, संचार माध्यम, मित्र आदि के माध्यम से उन तक पहुंचता है और फिर बच्चे अपने को उन भूमिकाओं में ढालना शुरू कर देते हैं। समाजीकरण की यह प्रक्रिया बहुत ही छोटी अवस्था से शुरू हो जाती है। लड़के जब छोटे होते हैं तो उन्हे खेलने के लिए ट्रक, बंदूक, सुपर हीरो आदि जैसे खिलौने दिए जाते हैं जबकी लड़कियों को गुड़िया और रसोई के बर्तन दिए जाते हैं। यह बच्चों के दिमाग में इस विश्वास को बैठा देता है कि समाज में उनके लिए जो "स्थान दिया गया है" उन्हें उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए।

जो लड़कियां इन अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण नहीं करती, उन्हे आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उनके साथ हिंसा की जाती है। लड़कों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, ऐसे लड़के जिन्हे पढ़ना लिखना पसंद है पर वे लड़ाई, खेलकूद आदि से दूर रहते है, उन पर एक तरह का अवांछित दबाव रहता है। इस प्रकार इससे उन लड़कियों को भी कष्ट झेलना पड़ता है जो अपनी शारीरिक छवि बनाना चाहती हैं या खेलकूद में आगे रहती है। जेंडर समानता की दिशा में कार्य से लड़के और लड़कियां कठोर जेंडर भूमिकाओं में बंधने के बजाय, वह बन सकते है जो वो बनना चाहते हैं।

जेंडर और पहचान

पहचान क्या है? एक व्यक्ति और सामाजिक समूहों के सदस्य के रूप में हम खुद को कैसे देखते हैं, यही हमारी पहचान होती है। हमारी पहचान केवल हमारी रचना नहीं है। बल्कि यह आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों से बनती और बदलती है। पहचान गतिशील और जटिल है, और समय और स्थान के साथ बदल सकती है। यह बहुआयामी है और इसमें शारीरक पहचान और यौन पहचान भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही इसमें व्यावसायिक कार्य, धार्मिक विश्वास और जातीय पृष्टभूमि भी शामिल हो सकते हैं।

आत्म–पहचान और सामाजिक पहचान के बीच अंतर : आत्म पहचान का अर्थ है की है की हम खुद को कैसे देखते है और परिभाषित करते हैं। आत्म– पहचान हमारे आत्म– सम्मान का आधार बनती है। किशोरावस्था में, अन्य महत्वपूर्ण लोग जैसे दोस्ती व साथी, परिवार और शिक्षक कैसे उन्हे देखते हैं उसके आधार पर किशोरियाँ और किशोर खुद को देखने लगते हैं। सामाजिक पहचान दूसरों के द्वारा निर्मित की जाती है और स्वयं की पहचान से भिन्न हो सकती है। आमतौर पर, लोग व्यक्तियों को व्यापक, सामाजिक रूप से परिभाषित लेबल के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। उदाहरण के लिए, जात या धर्म के आधार पर

अन्य लोग आपको पहचाने, भले ही आपने उस पहचान को नहीं अपनाया हो। ये पहचान समय और स्थान के साथ बदल सकती है। उदाहरण के लिए, आज समाज में ज्यादातर लोग एक 15 साल की लड़की को नहीं जानते होंगे यदि जानते भी होंगे तो उसके पिता के नाम से जानते होंगे पर कल जब वो लड़की पढ़ लिख लेगी और उसे कोई अच्छा नौकरी मिल जाएगा तब उसे लोग उसके नाम से जानने लगेंगे।

हमारी पहचान के कई आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अलग नहीं किए जा सकते। पहचान के वो आयाम जो दिखाई देते है, जैसे की जाति और लिंग, लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाते है क्योंकि प्रत्येक सामाजिक संदर्भ में उसका महत्व होता है और अक्सर उसके प्रभाव अधिक गंभीर होते हैं। उदाहरण के लिए, जाति या जेंडर अधिकतर सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण हो सकती है, जबकी राजनीतिक पहचान, जो आमतौर पर दिखाई नहीं देती है, केवल चुनाव के समय कुछ व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक हो सकती है।

एक सकारात्मक आत्म–पहचान, सकारात्मक आत्म– सम्मान के साथ जुड़ी होती है। साथ ही ये भी समझना जरूरी है की समाज द्वारा सभी पहचानों को समान रूप से महत्व नहीं दिया जाता है कई बार लोगों की पहचान बदल दी जाती है। उदाहरण के लिए – कुछ समुदाय में शादी के बाद बहु का नाम बदल देते हैं, समाज में महिला की पहचान पत्नी बहू और माँ की रह जाती है, जबकी पुरुष की पहचान अक्सर उसके नाम, काम, जाति से होती है। पहचान की यह व्यवस्था पितृसत्तात्मक मूल्यों के अनुरूप हैं।

वैसे तो हमारी पहचान पूरी जिंदगी बनती और बदलती रहती है, किशोरावस्था में शायद व्यक्ति पहली बार इसके बारे में ज्यादा सजग होता है। वो सोचना शुरू करता है की उसकी पहचान किस तरह से उसके जीवन को प्रभावित कर सकती है। अतः ये जरूरी है की किशोरों और किशोरियों में इस उम्र में स्वयं की एक मजबूत और स्थिर भाव का विकास हो। एक प्रेरक के तौर पर आप किशोरों और किशोरियों में यह समझ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं की उनकी पहचान किन चीजों से बनती है। यह जरूरी है की किशोरियों और किशोर जेंडर, जाति, धर्म और दूसरे सामाजिक व्यवस्थाओं द्वारा परिभाषित अपेक्षाओं और मानदंडों से निकल कर अपने गुणों, पसंद– नापसंद के आधार पर अपनी पहचान बना सकें। इसके लिए किशोरियों और किशोरों को विशेष रूप से स्वयं की सकारात्मक भावना का निर्माण करने में आपकी मदद की आवश्यकता होगी।

सोचें और विचारें : क्या सही, क्या गलत? हमारी व्यक्तित्व के ऐसे कई पहलू होते हैं जिसमें हमें कोई बुराई नजर नहीं आती, पर औरों को हमारी बातें अच्छी नहीं लगती या अनुपयुक्त लगती है। जैसे अगर कोई लड़की ज्यादा बातें करती है तो परिवार और समाज के लोग उसे मना करते हैं, कहते हैं– लड़की है कम बोल। पर इस प्रकार की बंदिश किसी के भी व्यक्तित्व पर बुरा असर डाल सकता है। आगे की जिंदगी में वह संकुचित होकर रह जाएगी और अपनी असल भावनाओं और आकांक्षाओं को जाहीर नहीं होने देगी। बच्चों में यह समझ बनना जरूरी है की उनके व्यक्तित्व में क्या उचित है और क्या अनुचित है। इसकी पहचान उन्हे स्वयं करनी होगी।

यह कुछ सवाल वो खुद से पूछ सकते हैं–

- मैं ऐसा क्यूँ करना चाहता/चाहती हूँ?
- इससे मुझे क्या मिलेगा? क्या इससे मेरा फायदा?
- क्या इससे किसी का नुकसान हो रहा है?
- क्या इससे किसी के अधिकार का हनन हो रहा है?
- क्या इसकी वजह से असंतुलित शक्ति, संबंध और संरचनाएं स्थापित हो रही है?
- क्या असंतुलित शक्ति, संबंधों और संरचनाओं पर सवाल उठा रहा है?

इन कुछ मुद्दों पर आगे भी बात होगी। इन प्रश्नों के विश्लेषण के साथ ही बच्चों में आत्मचिंतन की क्षमता भी बढ़ाने की जरूरत है ताकि वो उन पहचानों और मूल्यों को आत्मसात कर सकें जो उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाते हों।

सत्र १.२: जेंडर और लिंग क्या है?

सामग्री	लक्षित वर्ग	
चार्ट पेपर, स्केच पेन	किशोर, युवा और पिता	01 घंटा

उद्देश्य

- सेक्स और जेंडर के बीच का अंतर समझना
- यह समझ बनाना कि जेंडर भेदभाव पुरुषों के लिए भी नुकसानदायक हैं तथा इनको मिटाना पुरुषों के लिए भी हितकारी है।

फैसिलिटेटर के लिए नोट

सभी सहभागियों से उनका हाल–चाल पूछें। क्या उनका कोई साथी रास्ते में है? यदि हाँ तो वे कितने देर में पहुंच जाएंगे। कितने सहभागी पूर्व परिचित हैं तथा कितने अपरिचित, जानने का प्रयास करें।

- अपना परिचय देते हुए सभी सहभागियों का संस्था और परियोजना की ओर से स्वागत करें। संक्षेप में संस्था और परियोजना के बारे में जानकारी दें।
- सत्र संबंधी उनके अपेक्षाओं को जानने का प्रयास करें। उचित प्रतिक्रिया देते हुए सत्रों के अवधि (1 घंटा) और अंतराल (दो माह) की जानकारी दें।

गतिविधि– 1.1– लिंग और जेंडर की मूलभूत समझ

परिचर्चा

- लिंग और जेंडर से आप क्या समझते हैं? दोनों में क्या अंतर है?
- दो चार्ट पेपर ले और एक चार्ट पेपर पर लड़का लिखें और दूसरे पर लड़की।
- अब लोगों से पूछें जब आप 'लड़की' शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या–क्या आता है? किस तरह की छवि उभरती है?
- जब 6 –7 शब्द चार्ट पेपर पर आ जाये तो पूछें, जब आप 'लड़का' शब्द सुनते हैं तो मन में क्या –क्या आता है? उन शब्दों को चार्ट पेपर पर लिखें या लोगों को लिखने को कहें। इस गतिविधि के लिए 10 मिनट का समय दें। लोगों के द्वारा बताए गए कुछ उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं।

लड़की	लड़का
सुंदर	मजबूत
आकर्षक	नटखट
फैशनेबल	बॉडी बिल्डर
मदद करनेवाली	रोटी कमाने वाला
भावनात्मक	आक्रामक

- फिर लोगों के द्वारा बताये गए शब्दों को पढ़ कर सुनाये।

चर्चा के लिए प्रश्न

उसके बाद निम्न पश्न पूछ कर चर्चा शुरू करें:

- लड़कियों और लड़कों में क्या समानताये हैं? उनमे क्या–क्या अंतर है?
- इनमे से कौन–कौन सी समानताये/अंतर जैविक हैं?
- इनमे से कौन–कौन से लक्षण सामाजिक हैं, यानि समाज द्वारा तैयार किया गया है?
- लड़कों में ऐसे क्या–क्या गुण है जो लड़कियां भी अपना सकती है?
- लड़कों के ऐसे कौन–कौन से गुण हैं जो लड़कियां अपनाना नहीं चाहेंगी? क्यों?
- लड़कियों में ऐसे क्या–क्या गुण है जो लड़के भी अपना सकते है?
- लड़कियों के ऐसे कौन–कौन से गुण हैं जो लड़के अपनाना नहीं चाहेंगे? क्यों?

सत्र का समापन इन बिंदुओं के साथ करें

- लड़कों और लड़कियों में जैविक/प्राकृतिक रूप से समानताएं ज्यादा है और अंतर बहुत ही कम।
- पुरुष और महिलाओं को परिभाषित करने वाली जैविक संरचना को 'लिंग' कहते हैं।
- समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं में कई अंतर बनाये गए हैं, जैसे पहनावा, व्यवहार, जिम्मेदारियां। ये सभी सामजिक और सांस्कृतिक अंतर है। महिला और पुरुष की सामजिक और सांस्कृतिक परिभाषाओं को जेंडर कहते हैं। ये अलग–अलग परिवार और समाज में अलग–अलग हो सकता है।
- चर्चा के दौरान ये भी कह सकते हैं कि भावनात्मक या आक्रामक होना जैविक नहीं है। ये कहना उचित होगा कि भावनाये जैविक होती है, पर उसकी अभिव्यक्ति सामाजिक होती है। जैसे छोटे बच्चे, चाहे लड़की हो या लड़का, रोते हैं। पर लड़कों को अक्सर बताया जाता है कि रोना कमजोर होने की निशानी है और उनको रोना नहीं चाहिए। वहीं लड़की पर ऐसी कोई पाबन्दी नहीं लगती। इसी तरह लड़कों को आक्रामक और लड़कियों को विनम्र बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगले सेशन में हम जेंडर और इसके प्रभाव पर और चर्चा करेंगे।

मुख्य संदेश

- लड़कियों और लड़कों में समानताएं ज्यादा और अंतर बहुत ही कम हैं।
- जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक परिभाषा है जो बदलती है और बदली जा सकती है।
- कोई भी जेंडर दूसरे से ऊपर नहीं है, मौका मिलने पर जेंडर पूरक भूमिकाएं सभी निभा सकती हैं।

गतिविधि– 1.2 – जेंडर भेदभाव का पुरुषों पर असर

घटना: दीपक टीवी देख रहा था। भावुक दृश्य देख उसके आँखों से आंसू निकल पड़े। उसका छोटा भाई तपाक से उसे बोल पड़ा "छी, लड़कियों की तरह रो रहा है"

प्रश्न

- सहभागियों से पूंछें क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है?
- जिन्होंने हाँ कहा है उनसे पूछे– तब आप आंसू कैसे पोछते हैं?
- साधरणतः पुरुष इधर–उधर देखने के बाद आंसू छिपा कर पोछते हैं। कभी हाथ ऊपर करने के बहाने बाजु से भी पोछते हैं।
- पुरुष ऐसा क्यों करते हैं?
- मर्द को दर्द नहीं होता– क्या यह सही है? (किसी को हल्की चिकोटी काटकर पूछें दर्द हुआ या नहीं?)
- अगर होता है तो, नहीं रोने या छुप कर रोने से नुकसान किसे है?
- क्या आप जानते है कि भारत में प्रति वर्ष कितने पुरुष और महिलाएं आत्महत्या करते होंगे?

- आत्महत्या के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, प्रमुख कारण क्या हैं?
- रोने से मन हल्का हो जाता है। दिमाग से बोझ उतर जाता है। महिलाएं अपना दुःख–दर्द कुछ हद तक दूसरों के साथ साझा कर लेती हैं, लेकिन पुरुष लोक–लिहाज के कारण संकोच करते हैं। उनका रोना कमजोरी माना जाता है।
- लिंग–भेद वाले सामाजिक मानदंडों से पुरुषों को और क्या नुकसान होता है? यदि जबाब ना आये तो नीचे दिये गए चित्रों का सहारा लें।

गतिविधि का समापन

जेंडर आधारित भेदभाव वाले सामाजिक मानदंडों से पुरुषों को क्या नुकसान पहोचता है, उसकी सूची बनाएं। यदि कुछ जवाब नहीं आते तो पूरक प्रश्न पूछें जैसे यदि घर में पति–पत्नी के बीच "झगड़ा" हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना किसको अधिक है?। अन्य नुकसान–मानसिक तनाव, गाड़ी चलाते समय दुर्घटना की संभावना, नींद नहीं आना, काम में मन नहीं लगना, सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होना, बच्चों पर दुष्प्रभाव आदि।

मुख्य संदेश

- जेंडर आधारित भेदभाव से पुरुषों को फायदा तो होता है, पर उनको नुकसान भी बहुत होता है। इसलिए इनका समापन जरुरी है।

गतिविधि–1.3–जेंडर आधारित भेदभाव के समापन से पुरुषों को फायदा

अभी हमने जेंडर आधारित भेदभाव वाले सामाजिक मानदंडों से पुरुषों को होने वाले नुकसान पर चर्चा किया। क्या आप बता सकते हैं कि जेंडर आधारित भेदभाव के समापन से पुरुषों को क्या फायदा है?

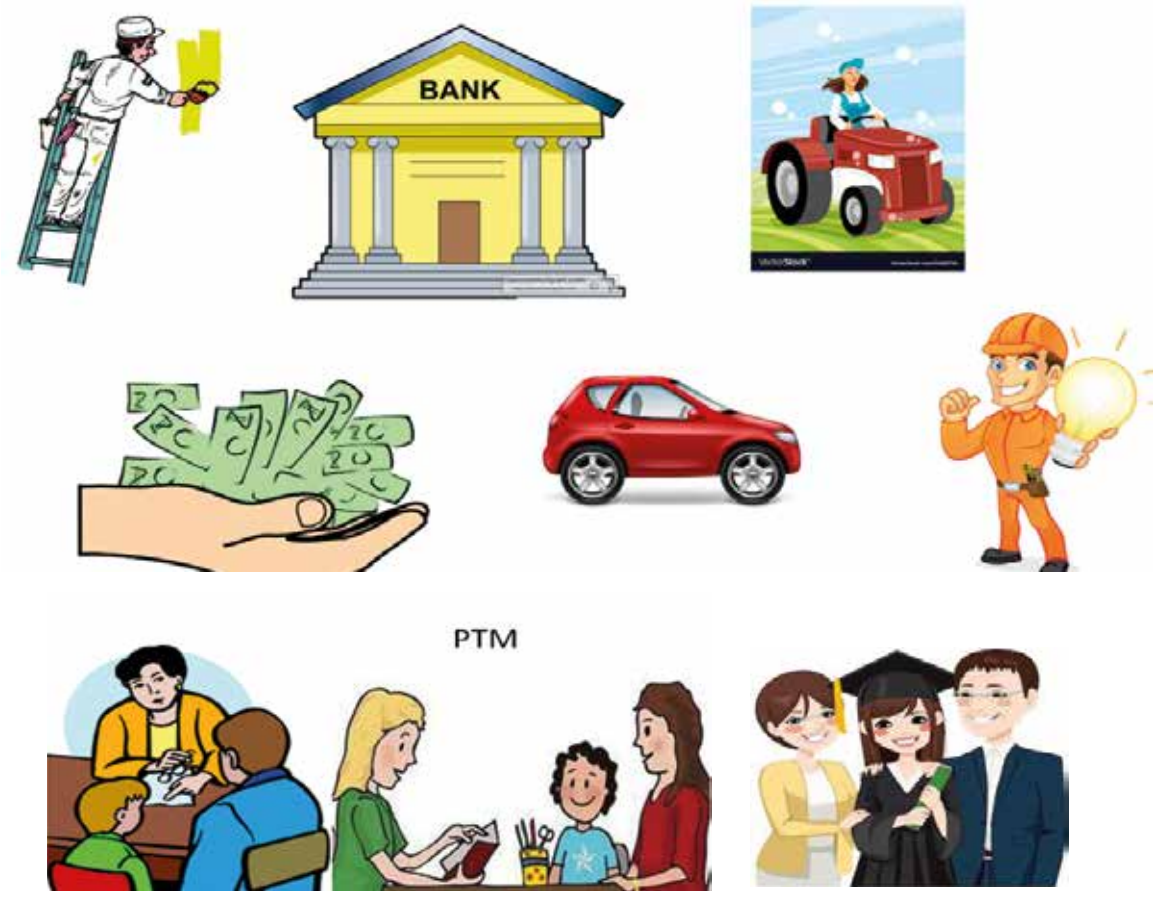

होने वाले फायदों की सूची बनायें। यदि जवाब नहीं मिला तो नीचे दिये हुये चित्रों को दिखा कर पूरक प्रश्न पूछें।

- यदि महिला नौकरी या व्यवसाय करती है तो मदद किसको होता है?
- यदि किशोरी/महिला पढ़ी–लिखी होती है तो किसे फायदा होता है?
- बच्चों के विद्यालय में मीटिंग में ज्यादातर कौन जाता है?
- बहन/पत्नी को कहीं जाना हो तो कौन ले जाता है? यदि वह साइकिल या गाड़ी चलाना जानती है तो किसे फायदा होता है?
- यदि महिला बिजली का थोड़ा काम सीख जाएगी तो किसे फायदा होगा?
- अगर घर का माहौल खुशनुमा हो तो किन्हें फायदा होगा?
- क्या आप सभी सहमत है? तैयार हैं?
- आज के सत्र में आपको क्या सीख मिली? क्या नई जानकारी मिली?
- कल से आप अपने आप में या समाज में परिवर्तन के लिए कम से कम एक प्रयास क्या करेंगे?

मुख्य संदेश

- जेंडर आधारित भेदभाव के समापन से महिलाओं को तो फायदा है ही पुरुषों को भी प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः अनेक फायदे हैं। अतः हम सभी को–
- अपने, परिवार और समाज के भलाई के लिए जेंडर आधारित भेदभाव समापन हेतु प्रयास करना चाहिए।
- जेंडर आधारित भेदभाव के मुद्दे को सिर्फ महिलाओं का मुद्दा समझ कर नजरंदाज नहीं करना चाहिए।

संभावित जवाब/कार्य योजना

- जेंडर आधारित भेदभाव को सामाजिक मुद्दा समझ अपने आस–पास होने वाले जेंडर आधारित भेदभाव एवं इसके कारणों की पहचान करना।
- जेंडर आधारित भेदभाव के कारण पुरुषों युवाओं को हो रहे नुकसान की पहचान करना।
- अपने व्यवहार का पुनरावलोकन करना। लड़कियों की शिक्षा एवं घरेलू कामों में सहयोग करना।

सत्र १.३: समता और समानता

सामग्री	लक्षित वर्ग	
चार्ट पेपर, स्केच पेन	किशोर, युवा और पिता	01 घंटा

उद्देश्य

- समता और समानता में अंतर को जानना और इन दोनों पर समझ बनाना।
- समता और समानता के महत्व पर सकारात्मक सोच का निर्माण करना।

गतिविधि– किशोरियों को अतिरिक्त सुविधा–हमारी मानसिकता/समझ

कड़ी: सत्र की शुरुआत पिछले सत्र के सीख और उपलब्धियों से करें। जेंडर आधारित भेदभाव को दूर करने की प्रयास पर चर्चा कर उन्हें संकलित करें। किसी के नकारात्मक अनुभव या प्रतिक्रिया पर थोड़ी देर चर्चा करें।

घटना: कुछ साथी खुल कर बात कर रहें हैं तो कुछ अभी भी शांत हैं। शायद वे असमंजस की स्थिति में हैं। कोई बात नहीं आज, हम मदन की कहानी सुनते हैं। मदन भी हमारे जैसा ही था। परंतु वह किशोरियों और महिलाओं से थोड़ा खफा रहता था। उसे लगता था कि सारी योजनाओं का लाभ तो किशोरियों और महिलाएं ही ले जाती हैं। अधिकतर कानून भी किशोरियों और महिलाओं के लिए ही हैं। यह पुरुष के साथ अन्याय है।

वाद–विवाद

- कितने साथियों को लगता है की मदन का सोचना सही है, हाथ ऊपर उठाएं।
- जिन साथियों को लगता है कि मदन गलत है, वे हाथ आगे करें।

दोनों विचारधारा वाले सहभागियों को उनके विचार के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करने लिए कहें। वाद विवाद को नियंत्रित रखें एवं दिशा से भटकने ना दें। जो प्रमुख बिंदु उभर कर सामने आए उन्हें बिंदुवार दोहराएँ।

गतिविधि– समता और समानता की समझ

प्रश्न: आप समानता से क्या समझते हैं?

उत्तर: सूचीबद्ध करें जैसे– बराबरी, समान, एक जैसा आधा–आधा, दो हिस्से में बराबर, आदि।

परिचर्चा

एक शिशु (जिसकी उम्र 5 साल है) एक किशोर (जिसकी उम्र 15 साल है) एवं एक वयस्क (जिसकी उम्र 30 साल है) व्यक्ति भूखा है। आपके पास 06 रोटी हैं। आप उन्हें कैसे बाटेंगे?

क्या बंटवारा सही है या इसका कोई विकल्प भी है। इस पर परिचर्चा करें। जो प्रमुख बिंदु उभर कर सामने आए उन्हें बिंदुवार दोहराएँ।

समानता

- अगर तीनों को दो–दो रोटी दे दिया जाये तो यह समानता कहलाएगा।
- समानता से परिणाम में भेदभाव हो सकता है या उद्देश्य अपूर्ण रह सकता है– जैसे शिशु के लिए दो रोटी बहुत ज्यादा जबकि एक वयस्क के लिए दो रोटी आवश्यकता से कम है।
- इसमें संसाधन के कमी या बर्बादी की संभावना होती है।
- समानता व्यक्तियों के पृष्ठभूमि और विशेष आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखता है।

समता

- यदि आवश्यकता अनुसार शिशु को एक रोटी, किशोर को दो रोटी एवं वयस्क को तीन रोटी दिया जाए तब यह समता कहलायेगा।
- समता में परिस्थिति और आवश्यकता का भी ध्यान रखा जाता है। बराबरी लाने के लिए वंचित वर्ग को उपलब्ध संसाधन से थोड़ा अतिरिक्त लाभ भी दिया जाता है।
- परिणामों में समानता लाने के लिए समता जरूरी है। इसके लिए सकारात्मक भेदभाव अनिवार्य हो जाता है।

मुख्य सन्देश

किशोरियां और वंचित वर्ग उपलब्ध संसाधनों का उपयोग समानता पूर्वक नहीं कर पाते। समता या समानता लाने के दो तरीके हैं – वंचित वर्ग को कुछ अतिरिक्त सुविधा देना या उनके राह का बाधा हटा देना। दोनों तरीकों की अपनी चुनौतियां और फायदे हैं। अधिकतर समय दोनों तरीकों को साथ–साथ अपनाया जाता है। चित्र को देखकर समता की जरुरत को समझा जा सकता है।

समानता

समता – अतिरिक्त सुविधा

समता – बाधा हटाना

प्रश्न

- किशोरियां उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग शिक्षा के लिए कैसे बराबरी पूर्वक नहीं कर पातीं?
- किशोरियां उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग रोजगार के लिए कैसे बराबरी पूर्वक नहीं कर पातीं?
- किशोरियों के समता के लिए प्रमुख बाधाएं क्या हैं?
- किशोरियों के समता हेतु अतिरिक्त सुविधाएं आवश्यक क्यों है? यदि यह अतिरिक्त सुविधा नहीं दी गई तब क्या होगा? (जैसे पढ़ाई छुट सकती है, उचित सर्विस या व्यसाय का अवसर ना मिल पाना, हिंसा की संभावना)
- किशोरियों के समता हेतु घर में और बाहर किन अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता है?

संभावित जवाब

- पढ़ने, खेलने, विद्यालय जाने और मनोरंजन के लिए संसाधन और समय।
- जानकारी बढ़ाने और रोजगार के लिए विशेष मौका।
- यदि वे कुछ विचार व्यक्त करती हैं तो इसका मजाक उड़ाने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित करना।
- जरुरत के आधार पर अतिरिक्त संसाधन, जैसे विद्यालय में सेनेटरी नैपकिन रखना।
- आवागमन के लिए सुविधा।
- सही उम्र में और उनकी सहमती से ही शादी करना।
- किशोरियों को अपनी बात रखने एवं निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
- किशोरियों के विकास में बाधक मानसिकता और प्रथाओं को समाप्त करना।

मुख्य सन्देश

- संसाधन का बराबर बंटवारा समानता कहलाता है। लेकिन इसमें पहले से कमजोर परिस्थिति में रह रहे लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है।
- समता लाने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि समाज में जिन लोगों की सत्ता कम है, उनकी जरूरतें क्या हैं? उनकी जरूरतें हमारी जरूरतों से अलग कैसे हैं? अगर जरुरत अलग है तो उनको पूरा करने का तरीका भी अलग अपनाना होगा। समता का संबंध परिणामों में समानता से है। अतिरिक्त सुविधा प्रदान कर या बाधा हटा कर समता लाई जा सकती है। दोनों तरीके एक साथ भी अपनाये जा सकते हैं।
- किशोरियों की क्षमता के उचित प्रदर्शन हेतु, उन्हें विशेष अवसर की आवश्यकता होती है। इसके लिए पुरुषों और किशोरों को भी अपनी सहूलियतों को छोड़ना होगा, जो अंततः उनके लिए भी लाभदायक साबित होता है।

सत्र १.४: कार्यों का समाजीकरण

सामग्री	लक्षित वर्ग	
चार्ट पेपर, स्केच पेन	किशोर, युवा और पिता	01 घंटा

उद्देश्य

यह समझ बनाना की जेंडर आधारित भेदभाव क्या है तथा यह औरतों और पुरुषों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है।

फैसिलिटेटर के लिए नोट

- इस सत्र से संबंधित दिए गए रीडिंग मेटेरियल को पढ़ ले, जिससे सत्र की तैयारी करने में मदद मिलेगी !
- सभी सत्रों या गतिविधियों को सुचारू रूप से करने के लिए कुछ सकारात्मक नियम बनाये गए हैं, जो की इस करिकुलम के शुरुआत में दिए गए हैं। किसी भी सत्र या गतिविधि को करने से पहले इस नियमावली को पढ़ें और उसे अपने काम करने के तरीके में लागू करे।
- सत्र में इस्तेमाल होने वाली सभी वस्तुओं को अपने पास रखे।

गतिविधि : फ्री लिस्टिंग एवं चर्चा

- सेशन की शुरुआत पिछले सेशन से करें। लोगों से पूछें की पिछले सेशन में क्या चर्चा हुई थी। पूछें 'जेंडर' क्या है? महिलाओं और पुरुषों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिभाषा को जेंडर कहते हैं। ये पहनावा, व्यवहार, और जिम्मेदारियों के आधार पर किया जाता है। ये अलग–अलग परिवारों और समाजों में अलग–अलग हो सकता है। अंत में पिछले सेशन के मुख्य सन्देश को दोहराएं।
- ब्लैक बोर्ड या चार्ट पेपर पर निम्नलिखित तालिका बनायें। इसमें 4 खाने हैं – पुरुष घर पर, महिला घर पर, पुरुष बाहर, महिला बाहर।
- लोगों को घर और बाहर होने वाले कुछ कामों को बताने के लिए कहें। उसे कार्य के नीचे लिखें। कुछ कामों को नीचे दिए गये तालिका से भी ले सकते हैं।
- लोगों से पूछें की इस काम को ज्यादातर, घर में कौन करता है और कौन ज्यदातर बाहर करता है। जवाब के आधार पर खानों में निशान लगाएं। उदाहरण के लिए यदि लोग कहते कि घर पर औरत ज्यादातर खाना बनाती है और होटलों में पुरुष, तो उचित स्थान पर निशान लगाएं। इसी तरह सभी कामों के लिए पूछें।

काम	पुरुष घर पर	महिला घर पर	पुरुष बाहर	महिला बाहर
खाना बनाना		√	√	
सफाई करना				
कपड़े धोना				
पढ़ाना				
बुजुर्गों/बूढ़ों की देख–भाल करना				

चर्चा के लिए प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नो से चर्चा की शुरुआत करें:

- इस तालिका को देख कर आपके मन में क्या प्रश्न आ रहे हैं?
- ऐसा क्यों है कि घर के काम महिलाएं करती है, पर यही काम जब घर के बाहर होते हैं तो पुरुष करते हैं?
- (पारंपरिक रूप से कुछ कार्यों को महिलाओं का और कुछ को पुरुषों का माना जाता है सड़कों की सफाई (स्वीपर) पुरुष करता है, इसे ठीक माना जाता है। पर जब यही काम पुरुष घर पर करता है तो उसे नीची नजर से देखा जाता है)
- क्या घर पर किया जाने वाला कोई कार्य कम महत्वपूर्ण है? अगर ऐसा है तो कौन–सा कार्य है और क्यों? यदि वो काम न किया जाए तो क्या होगा?
- (हर कार्य का मकसद होता है और उसे करना जरुरी होता है, खाना बनाना, सफाई, कपडे धोने जैसे कार्य ऐसे माने जाते है जिनमे अधिक कौशल की जरूरत नहीं होती। उन्हें महिलाएं करती है पर जिस कार्य में पैसा मिलता है और जिनके लिए योग्यता की जरूरत होती है उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसे कामों को अक्सर पुरुष करते है, उदाहरण के लिए खाना बनाना–घर और बाहर में:–
- घर में– खाना बनाने की जिम्मेदारी आमतौर पर औरतों की होती है, खाना बनाने के लिए किसी औपचारिक ट्रेनिंग नहीं दी जाती, न ही कोई पैसे मिलते है।
- बाहर में– होटल में शेफ बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और बाद में पैसे भी।)
- क्या लड़का या लड़की के रूप में जन्म लेने से यह तय हो जाता है की बड़े होने पर वे क्या कार्य करेंगे?
- (यहाँ भी पुरुष के कार्य और महिला के कार्य का सामाजिक अनुकूलन है, महिलाएं पारंपरिक रूप से क्या कर सकती है, कुछ कामों के लिए नाजुक कौशल की जरूरत होती है, जो महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त माने जाते है। और कुछ कार्य के लिए मजबूत और निडर होना जरूरी होता है, उससे पुरुषों के लिए उपयुक्त माना जाता है)
- क्या लड़कियां और महिलाएं वे कार्य कर सकती हैं जिन्हें सामान्यतः लड़कों/पुरुषों का काम माना जाता है? वे कौन से कार्य कर सकती हैं और कौन से नहीं कर सकती? क्यों?
- क्या लड़के और पुरुष वे काम कर सकते है जिन्हें सामान्यतः लड़कियों/महिलाओं का काम माना जाता है? वे कौन से कार्य कर सकते हैं और कौन–से नहीं? क्यों?
- इस का लड़कियों और लड़कों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है?

सत्र का समापन इन बिंदुओं के साथ करें

जिन कामों में पैसे नहीं मिलते या कम मिलते हैं उन कामों को महिलाओं द्वारा किया जाता हैं, जैसे घर के काम। जिन कामों में सेवा, देखभाल हो वो भी महिलाओं का काम माना जाता है, जैसे नर्स, आंगनवाड़ी सेविका, वहीं पुरुषों से उम्मीद की जाती है कि वो बाहर जाकर परिवार के लिए पैसे कमाए, परिवार के सभी निर्णय पुरुष ही लें, सभी मेहनत या घर के बाहर वाले काम पुरुष हीं करें।

वास्तविकता ये है कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है उसे मालूम नहीं होता की कोई काम कैसे किया जाता है। उम्र के साथ वो विभिन्न कामों को सीखता है, और समाज उसे कुछ खास काम को सिखने के लिए प्रोत्साहित करता है और कुछ कामों को करने से रोकता है। उदाहरण के लिए लड़कियों को घर के काम करने के लिए कहा जाता है और लड़कों को बाहर के काम। काम का ये विभाजन लिंग के आधार पे किया जाता है न की कौशल के आधार पे। ये जेंडर आधारित भेद–भाव का उदाहरण है।

जेंडर आधारित भेद–भाव का विपरीत प्रभाव लड़कियों और लड़कों दोनों पर पड़ता है। लड़कियों से घर की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है, इसलिए उनकी शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। वहीं लड़कों से कमाने, बाहर के काम करने की उम्मीद की जाती है बिना उसके कौशल और रूचि को जाने।

मुख्य सन्देश

- लिंग के आधार पर काम का बंटवारा, जेंडर आधारित भेद–भाव है। इसका विपरीत प्रभाव लड़कियों और लड़कों दोनों पर पड़ता है
- लड़कियों और लड़कों दोनों को पोषण, शिक्षा, खेल–कूद, कौशल विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं का समान अवसर मिलना चाहिए
- घर का काम केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है पूरे परिवार की है।

सत्र १.५: सामाजिक पहचान और अपेक्षाएँ

सामग्री	लक्षित वर्ग	
चार्ट पेपर, स्केच पेन	किशोर, युवा और पिता	01 घंटा

उद्देश्य

- सामाजिक पहचान के निर्माण की प्रक्रिया एवं इसके प्रभाव की समझ बनाना।
- कार्य योजना निर्माण करना।

फैसिलिटेटर के लिए नोट

सत्र की शुरुआत पिछले सत्र के सीख और उपलब्धियों से करें। जेंडर द्वारा प्रतिबंधों को दूर करने के लिए घर के अन्दर और बाहर किये गए प्रयासों पर चर्चा कर उन्हें संकलित करें।

गतिविधिः कहानी–समस्या का हल

विनीता को कैंटीन में खाना बनाने का काम मिल गया। मेहनताना/वेतन आठ हजार प्रति माह था। काम भी छः घंटे का ही था। उसके पति लगनु को दूकान पर आठ घंटा काम करने पर मासिक छः हजार मिलता था। परन्तु यहाँ कुछ और समस्याएं थी। घर में दो छोटे बच्चे और एक वृद्ध माँ थी। उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था।

चर्चा के लिए प्रश्न

- विनीता और लगनु को क्या करना चाहिए?
- यदि काम छोड़ने का निर्णय लेना हो तो किसे छोड़ना चाहिए? क्यों?
- घर सँभालने की जिम्मेदारी किसकी होगी? क्यों?
- क्या आप घर का काम करते हैं? कभी घर में बर्तन साफ करते समय किसी ने कुछ कहा है? यदि हाँ तो क्या?
- क्या आप में से किसी ने कभी ऐसे स्थिति का सामना किया है? अगर हाँ तो कैसा लगा था?कौन सी स्थिति और वह काम किसे करना चाहिए इसके बीच चयन करना?

आओ मिलकर सोचें:

- महिलाओं और पुरुषों से सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप ही व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। व्यक्तिगत फायदा होने या तर्कसंगत होने के बावजूद अधिकतर लोग सामाजिक मान्यताओं पर गहराई से विचार नहीं करते।
- पुरुष बाहर का कार्य करता है तो महिला घर के अंदर का कार्य करती है, इसी मानसिकता से होटल में हलवाई का काम करने वाला पुरुष भी घर में खाना नहीं बनाता।

- सामाजिक मान्यताएं महिला और पुरुषों से एक विशेष व्यवहार की अपेक्षा करती हैं। जिसके खंडन होने पर उन्हें तरह–तरह के नाम दिए जाते हैं, (जैसे पुरुषों के लिए मौगा, महिलाओं के लिए जाटनी/झगड़ाही आदि।) इन प्रतिबंधों को तोड़ना आसान नहीं है, धीरे धीरे लोग इसपर सवाल उठा रहे हैं, पर अभी इसमें काफी समय लगेगा।

मुख्य सन्देश

- महिला या पुरुष होना सिर्फ लैंगिक पहचान है, सामाजिक नहीं।
- कार्यों का निर्धारण या अपेक्षा लिंग के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। सभी कोई भी कार्य कर सकते हैं।
- लैंगिक मान्यताओं पर विचार करने और पहल करने की आवश्यकता है। समावेशी विकास की दौड़ और वृहद हित के लिए सामाजिक पहचान को चुनौती देना आवश्यक है।

मॉड्यूल २ सत्ता

जेंडर और सत्ता

2.1 फसलीटेटर के लिए

मोड्यूल 1 में बच्चों ने जेंडर, जेंडर भेदभाव और लड़कियों और लड़कों के ऊपर पड़ने वाले इनके प्रभाव को समझा और इस पर काम किया। दूसरे मोड्यूल में बच्चे इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे कि बच्चों के दैनिक जीवन में किस तरह विशेषाधिकार स्पष्ट नजर आते हैं और किस तरह सत्ता का ढांचा महिलाओं और पुरुषों के बीच, महिला और महिला के बीच, पुरुष और पुरुष के बीच या किसी भी जेंडर के व्यक्ति के बीच के में संबंधों को जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति, पद, भाषा, उम्र और जेंडर के आधार पर प्रभावित करता है।

विशेषाधिकार और प्रतिबंध

इस लेख में यह स्पष्ट किया गया है कि हमारे समाज में लड़कों और लड़कियों के लिए विशेषाधिकार और प्रतिबंध किस तरह अलग–अलग है। जब लड़के–लड़की इस मानदंडों को विशेषधिकरों और प्रतिबंधों के रूप में देखेंगे तभी ये अलग ढंग से सोचने और जेंडर संबंधी अंतर को दूर करने का और प्रयास करेंगे।

लड़के का जन्म होता है तो खुशियां मनाई जाती है। परिवार लड़के को जन्म देने के लिए देवी–देवताओं का पूजन करते हैं और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। जब लड़का बड़ा होता है तो उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय में देखने को मिलेगा की लड़कों को कम से कम सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है जबकि लड़कियों को घर के बड़े बुजुर्गों की देखभाल करने को कहा जाता है, जिसके वजह से लड़कियां स्कूल में एडिमिशन लेने के बाद भी नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाती या पढ़ाई के लिए जरूरी समय नहीं निकाल पाती है। ICRW द्वारा गोड्डा और जामतारा में किशोर–किशोरियों के साथ किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 55% लड़कियों और 68% लड़कों के लिए ट्यूशन की व्यवस्था थी। आपने यह भी देखा होगा की लड़की को यदि स्कूल भेजा जाता है तो कइयों की पढ़ाई 7वीं या 8वीं कक्षा तक पहुंचते ही रोक दिया जाता है और उससे घर के कामकाजों में हाथ बंटाने को कहा जाता है।

इतना ही नहीं, लड़कों और लड़कियों के लिए स्कूल और विषय भी अलग–अलग चुने जाते हैं। परिवार लड़की की शिक्षा पर खर्च करने के बजाय लड़के के उच्चतर शिक्षा पर खर्च करना पसंद करते हैं। यदि दोनों उच्च शिक्षा प्राप्त कर भी लें तो रोजगार की उपलब्धता में अंतर दिखता है। कुछ व्यवसाय केवल लड़कियों के लिए उचित माना जाता है और कुछ लड़कों के लिए उदाहरण के लिए– टीचर की नौकरी महिलाओं के लिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि वह नौकरी के साथ–साथ बच्चे को भी पाल सकती है यही सोच पुरुषों के लिए नहीं होता है।

जब लड़कियों को स्कूल भेजा जाता है तो विषयों के मामले में उनसे भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को भाषा और लड़कों को गणित और विज्ञान पढ़ाए जाते हैं। इसी तरह खेल लड़कियों की मांग नहीं होती जबकि लड़कों के लिए यह स्वाभाविक विकल्प होता है। भारतीय समाज की यह संकीर्ण सोच और मानसिकता महिला व पुरुष के बीच संपर्क के कई क्षणों में नजर आती है।

लड़कों का अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना स्वाभाविक माना जाता है पर लड़की के लिए नहीं, खान–पान में भी भेदभाव आमतौर पर नजर आता है लड़कों और पुरुषों को पहले और बेहतर खाना दिया जाता है जबकि लड़कियों और औरतों से बाद में और बचा–खुचा खाने की उम्मीद की जाती है।

क्या आप अपने अनुभव से यह बता सकते हैं की लड़कों और लड़कियों के लिए मानदंड अलग–अलग क्या है? अपने जीवन में आप इससे कितना प्रभावित हुए हैं? क्या आपने स्कूल या समाज में इस तरह की घटना होते देखी है?

_____

_____

_____

_____

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि लड़कियों का शैक्षणिक स्तर लड़कों से कम है। यह निम्नलिखित कारणों से हैं:

- शिक्षक/शिक्षिका लड़कियों को नकारात्मक दृष्टिकोण से अपनाते हैं।
- शिक्षा के मामले में माता–पिता लड़कियों के बजाय लड़कों की अधिक सहायता करते हैं।
- पक्षपातपूर्ण शिक्षण तथा ट्रेनिंग सामग्री।
- लड़कियों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान की कमी होना।
- स्कूल का दुर होना और वहाँ पहुँचने के लिए यातायात की सुविधा ना होना।
- स्कूल में शौचालय आदि की व्यवस्था न होने के कारण लड़कियों का स्कूल कम जाना।
- स्कूल आते–जाते वक्त लड़कियों के साथ छेड़–छाड़ तथा उनका उत्पीड़न। आपके विचार में लड़कियों के निम्न शैक्षणिक स्तर के और कारण हो सकते हैं।

जेंडर और सत्ता : संबंधों में सत्ता की भूमिका

समाज में हम विभिन्न तरह के रिश्तों में यह देखते हैं कि एक व्यक्ति के पास दूसरे से कई अधिक सत्ता है। इस प्रकार के संबंध प्रधानाध्यापक–अध्यापक, अध्यापक–छात्र, बड़ा बच्चा–छोटा बच्चा, लड़का–लड़की, मालिक– नौकर, जैसे संबंधों में देखे जा सकते हैं। दुर्भाग्य से इस प्रकार के संबंधों में कमजोर व्यक्ति की बात नहीं सुनी जाती है और वह शोषण का शिकार बन जाता है। उनकी भावनाओ को समझने की कोशिश कम हो जाती है। जब हम इन संबंधों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हैं तो पाते हैं कि कुछ स्तिथियों में हम सत्ता का दुरुपयोग भी करते हैं। इस सत्ता संघर्ष पर विचार करना और एक संतुलन कायम करना आवश्यक है। इसी से घर और समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ पाएगा।

शिक्षक/शिक्षिका आसानी से विद्यालय के साथ सत्ता संघर्ष में उलझ जाते हैं, खास कर उन विधयार्थियों के साथ जो अनुसाशन में नहीं रहते।

सत्ता का मतलब है शक्ति या ताकत। सत्ता अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं होता। यह निर्भर करता है कि सत्ता किस तरह से इस्तेमाल हो रही है। **सत्ता चार प्रकार के होते हैं** :– अपने अंदर या खुद में सत्ता (power within) किसी के ऊपर सत्ता (power over) किसी के साथ सत्ता (power with) और किसी स्तिथि के लिए सत्ता (power to)।

अपने अंदर खुद में सत्ता (power within) :– यह व्यक्ति की अंदरूनी ताकत है। इसके लिए व्यक्ति का खुद को और समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की अपनी–अपनी ताकत को पहचानना होगा। खुद में सत्ता को पहचान कर व्यक्ति सत्ता के नकारात्मक प्रयोग, जिससे समाज में भेदभाव और अन्याय होता है उनको चुनौती देने के लिए बाध्य होता है।

उमंग कार्यक्रम की कोशिश है कि समाज, शिक्षक और बच्चे अपने अंदर की सत्ता को पहचान कर समाज में हो रहे भेदभाव और अन्याय को चुनौती दें और न्यायपूर्ण समाज बनाने में भूमिका निभाएं।

किसी के ऊपर सत्ता (power over) :– इसका मतलब है सत्ता जो एक व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूह पर नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल करता है। यह नियंत्रण सीधे तौर पर हिंसा से या अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक धारणाओं और परंपराओं, जो एक व्यक्ति या समूह को दूसरे से उच्चतर मानता हो, की मदद किया जाता है किसी के ऊपर सत्ता का इस्तेमाल अन्याय है। औरतों पर होने वाले नियंत्रण किसी के ऊपर सत्ता का उदाहरण है। उसी तरह बच्चों को शारीरिक दण्ड देना किसी के ऊपर सत्ता का उदाहरण है।

उमंग कार्यक्रम बच्चों में यह जागरूकता लाने का प्रयास कर रही है कि जेंडर आधारित असमानता और हिंसा किस तरह किसी के ऊपर नियंत्रण करने का हथियार है। इन पर चुप रहना भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा देना है, जो अन्याय है।

किसी के साथ सत्ता (power with) :– यह सत्ता तब बनती है जब दो या दो से अधिक लोग इकट्ठे हो कर कुछ करते हैं जो अकेले नहीं कर सकते। किसी के साथ सत्ता में, अपनी शक्ति/सत्ता को दूसरे व्यक्ति या समूह के साथ जोड़कर किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते है। इस तरह की सत्ता एकजुटता, बराबरी और सहयोग पर आधारित होती है और विभिन्न लोगों की प्रतिभा और ज्ञान से मिलकर बनती है। शिक्षकों और बच्चों को प्रेरित कर अपनी सत्ता को दूसरे के साथ जोड़कर समाज में हो रहे भेदभाव और हिंसा को रोकना उमंग कार्यक्रम का उद्देश्य है।

कुछ करने के लिए सत्ता (power to) :– यह सत्ता विश्वास, ऊर्जा और कार्य से बनता है जिसका उपयोग व्यक्ति या समूह समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए करता है। जब लोग सक्रिय रूप से कार्य कर यह सुनिश्चित करते हैं कि समुदाय के सभी सदस्यों का मानवाधिकार सुरक्षित हो और वह अपनी क्षमता हासिल करने में सक्षम है।

उमंग कार्यक्रम यह प्रयत्न करता है कि शिक्षक और बच्चे सत्ता का इस्तेमाल अपने परिवार, स्कूल और आसपास के लोगों में उन सामाजिक अवधारणाओ और परम्पराओं को तोड़ने के लिए करें जो जेंडर आधारित भेदभाव और हिंसा को बढ़ाते हैं और ऐसे नियम बनाए जो समानता को बढ़ावा दें और सभी के अधिकारों को सुरक्षित रखें।

पितृसत्ता

"पितृसत्ता" शब्द का शाब्दिक अर्थ है – पिता की सत्ता या शासन। इसका उपयोग समाज में पुरुष प्रभुत्व को परिभाषित करने के लिए और उन सत्ता संबंधों के लिए, जिनके माध्यम से पुरुष महिलाओं पर प्रभुत्व स्थापित करते हैं, तथा उस ढांचे की विशेषताएं स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जिसमें महिलाओं को विभिन्न रूपों से अधीनता की स्तिथि में रखा जाता है। जेंडर रूढ़िबद्धता और भेदभाव में निहित पितृसत्ता के मूल्य हैं जिसे समझने और बदलने की जरूरत है।

पितृसत्ता अनेक रूपों में प्रकट होती है:

"मैंने सुना की जब मैं पैदा हुई मेरा परिवार बहुत दुखी था क्यूंकि वे एक लड़का चाहते थे" (लड़कों को प्राथमिकता देना)।

"मेरे भाई खाने की मांग कर सकते हैं। वे अपने हाथ आगे करते हैं और वह जो चाहें उन्हे मिल जाता है। हमसे कहा जाता था कि खाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करो। हम बहनों को और माँ को बचे– खुचे खाने पर निर्भर रहना पड़ता था।" (भोजन के वितरण में लड़कियों के साथ भेदभाव)

"मुझे घर के काम में माँ की मदद करनी पड़ती थी, भाई कभी मदद नहीं करते थे।" (लड़कियों पर घरेलू काम का बोझ)।

"मेरे भाई किसी भी समय घर पर आ सकते थे मुझे अंधेरा होने से पहले घर लौटना पड़ता था (महिलाओं के आने जाने पे रोक)।"

"पिता की संपत्ति में अपने हिस्से का दावा करना मेरे लिए कठिन है। मेरे पति की संपत्ति भी मेरी नहीं है।" (महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार व उत्तराधिकार का अभाव)।

इन मामलों पर हम विचार करते समय यह महसूस करते हैं की ये सभी मिलकर महिलाओं को अधीनता की स्तिथि में लाते हैं। पितृसत्ता उन मूल्यों पर निर्मित हुई है जिन्हे लेकर कभी सवाल नहीं उठाए जाते, पर सदियों से जिन्हे स्वीकार किया जा रहा है और इतना अधिक कि अब वे हमारी मानसिकता का अंग बन गए हैं। पुरुष प्रभुत्व और श्रेष्ठता की यह व्यवस्था महिलाओं को अधीन बनाए रखती है।

समाज के प्रमुख संस्थानों केएक विश्लेषण से यह पता चलता है की वे पितृसत्तात्मक है। परिवार, धर्म, मीडिया और कानून प्रणाली ये सभी पितृसत्तात्मक व्यवस्था और ढांचे के स्तम्भ हैं और पितृसत्ता के मूल्यों को बनाए रखने और बढ़ने में मदद करते हैं।

परिवार: समाज की बुनियादी इकाई परिवार है। यह संस्था शायद सबसे अधिक पितृसत्तात्मक है। पुरुष को परिवार का मुखिया माना जाता है। पुरुष ही महिलाओं की यौनिकता, श्रम, प्रजनन और गतिशीलता को नियंत्रित करते हैं। परिवार के भीतर ही अगली पीढ़ी का पितृसत्तात्मक मूल्यों के साथ समाजीकरण होता है। परिवारों में पुरुष नियंत्रण की सीमा अलग– अलग हो सकती है, पर वह मौजूद रहती है।

धर्म: अधिकतर आधुनिक धर्म पितृसत्तात्मक है और पुरुष के अधिकार को सर्वोच्च बताते हैं। वे पितृसत्तात्मक व्यवस्था को अलौकिक रूप से आदेशित बताते हैं। संस्थागत धर्मों के उदय के पूर्व, स्त्री शक्ति सिद्धांत धीरे– धीरे कमजोर होता गया और देवियों का स्थान देवताओं ने ले लिया। सभी धर्मों के निर्माण, व्यवस्था और नियंत्रण का कार्य ऊपरी जाति के पुरुषों द्वारा किया गया, उन्होंने महिलाओं और पुरुषों के कर्तव्य निर्धारित किए हैं और राज्य की नीतियों को प्रभावित किया है। शोध दर्शाते हैं कि लगभग सभी धर्म महिला को हीन और अशुद्ध बताते हैं।

कानूनी संस्थाएं: अधिकतर देशों में कानूनी तंत्र पितृसत्तात्मक और पूंजीवादी है। यानी यह पुरुषों और आर्थिक रूप से सशक्त वर्गों का पक्ष लेती हैं। संपत्ति, विवाह और परिवार से संबंधित ,कानून व पितृसत्ता का संपत्ति पर नियंत्रण में घनिष्ठ संबंध रहा है।

आर्थिक संस्थाएं: पितृसत्तात्मक तंत्र के अन्तर्गत पुरुष आर्थिक संगठनों को नियंत्रित करते हैं। पुरुषों के पास अधिकतर संपत्ति होती है, वे ही आर्थिक गतिविधियों को निर्देशित और विभिन्न उत्पादक गतिविधियों का मूल्य निर्धारित करते हैं। महिलाओं

द्वारा कीये गए अधिकतर कार्यों को मान्यता नहीं दी जाती। एक उत्पादक और जननी के रूप में महिला की भूमिका को आर्थिक योगदान के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता।

राजनीतिक संस्थाएं: सभी स्तरों पर समाज की सभी राजनीतिक संस्थाएं पुरुषों के प्रभुत्व में है। राजनीतिक दलों में कुछ ही माहिलाएं ऐसी हैं जो हमारे देश की नियति तय करती हैं। यदि कुछ महिलाओं को महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुए हैं तो उसके पीछे कहीं–न–कहीं किसी सशक्त पुरुष राजनीतिक व्यक्तित्व का सहयोग रहता है।

इस पितृसत्ता के कारण समाज में सभी वर्गों को परस्पर नुकसान उठाना पड़ता हैं। जैसे महिलाएं अपने अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित है तो पुरुष पितृसत्ता के ढाँचे में अपने पुरुषत्व को साबित करने के लिए हमेशा दबाव में रहते हैं। आज हम देखते हैं परिवार में लड़कों पर छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियां डाल दी जाती है जिसके कारण उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ कर कमाने के लिए जाना पड़ता है क्योंकि वह लड़का है और घर का मुखिया है तो उसे यह सब दबाव सामाजिक एवं पारिवारिक रुप से झेलना ही होगा। ऐसी सोच और नियम हमारे समाज में पितृसत्ता की देंन है। छोटी उम्र (किशोरावस्था) में ही लड़के ऐसे व्यवहार या काम करने के लिए दबाव में रहते हैं जिन कार्य को करने की इनकी स्वम् की इच्छा नहीं होती या कई बार उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। समाज द्वारा लड़कों के लिए तय किये गए व्यवहार या काम उन्हें समाज में असली मर्द का दर्जा दिलवाते हैं और इस असली मर्द की छवि को पाने के लिए लड़के हमेशा दबाव में रहते है। जैसेः– लड़कों को मार या चोट लगने पर रोना नहीं चाहिए, किसी भी समस्या के दुःख का निवारण करना चाहिए (हिंसक तरीके से), अपने घर की महिलाओं को नियंत्रित करना और उनकी रक्षा करनी चाहिए आदि।

यह व्यवहार और नियम लड़के बहुत छोटी उम्र में ही अपने घर, समाज या स्कूल से सीखना और अपनाना शुरू कर देते हैं और किशोरावस्था तक आते–आते उन व्यवहारों को वह अपने अस्तित्व के साथ भी जोड़ना शुरू कर देते हैं। इसी व्यवहारों को धीरे–धीरे वह सामान्य भी मानने लगते हैं और इनपर सवाल नहीं उठाते हैं या फिर ज्यादातर लड़कों द्वारा की जाने वाले व्यवहार से अलग व्यवहार भी नहीं करते है।

समाज द्वारा तय की गई असली मर्द की परिभाषा में समायोजित होने का दबाव या आकर्षण सभी पुरुषों या लड़कों में बना रहता है। सामाजिक नियमों के अनुसार जब कोई भी पुरुष या लड़का अपने पुरुषत्व का प्रमाण देता है तो उसे समाज में शाबाशी या विशेषाधिकार मिलते हैं। इस स्थिति में वह लड़के या पुरुष न केवल खुद को बाकी लडको या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा विशेष समझने लगते हैं बल्कि समाज भी उनको ऐसा व्यवहार करने के लिए बढ़ावा देता है और धीरे–धीरे वे इन व्यवहारों को सामान्य मान लेते हैं और बिना किसी प्रश्न या समझ के उन्हें नियमित तौर पर करते रहते हैं।

उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित बिंदु स्पष्ट करते हैं–

- खुद को "असली पुरुष" साबित करने के लिए दुसरो से ज्यादा ताकतवर (सामाजिक एवं शारीरिक रूप से) होना या दिखाना एवं भावुक या नाजुक स्थिति में भी अपने भावनाओं को सबके सामने व्यक्त नहीं करना। जैसे मार पड़ने या चोट लगने पर रोना नहीं है।
- लड़ाई–झगडे, मारपीट से समस्याओं का हल निकालना, खेलते समय हिंसा का प्रयोग सामान्य मानना और आक्रमक रुप से व्यवहार करके दूसरों पर अपना दबाव बनाना। लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले व्यवहार को मामूली हंसी– मजाक समझना आदि।
- "असली पुरुष" वही है जो अपने से सत्ता में कमजोर व्यक्तियों पर नियंत्रण रख सके और इसे बनाये रखने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करने से भी डरे नहीं, जैसे– अपनी बहन को सुरक्षित और उस पर नियंत्रण रखना।
- लड़के और पुरुष न केवल खुद असली मर्द होने का दबाव महसूस करते हैं, अपितु वे ये दबाव दुसरे लडको और पुरुषों पर भी बनाये रखते हैं: अक्सर खुद को या दूसरे लड़कों और पुरुषों को पुरुषत्व के स्वीकार्य रुढ़िवादी मानदंड के आधार पर आंकते हैं। इससे पुरुषों के अपने जीवन में संतुष्टि, आत्म–विश्वास, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, दोस्ती के सहयोग लेने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इसके कारण कई बार लड़के जोखिम भरे और हिंसक व्यवहार अपनाते हैं।

लड़कों या पुरुषों द्वारा इस तरह के व्यवहार किये जाने के कारण कई बार महिलाओं को हिंसा का शिकार होना पड़ता है। पुरुष/पितृ–प्रधान समाज में महिलाओं के पास सत्ता कम होती है या हम कह सकते हैं की पुरुषों की अपेक्षा उनके पास कम अधिकार होते हैं, जिसके कारण लड़के/पुरुष (अपने असली मर्द की छवि को दर्शाने के लिए) महिलाओं के साथ हिंसा और भेदभाव वाला व्यवहार करते हैं। इस तरह के असमान और असंतुलित व्यवहारों में बदलाव के लिए आवश्यक है की पुरुष अपने विशेषाधिकार और सत्ता का पहचान और उनका सकारात्मक प्रयोग करते हुए समाज से जेंडर भेदभाव को दूर करने का प्रयास करें।

सत्र २.२: विशेषाधिकार और प्रतिबंध

सामग्री	लक्षित वर्ग	
चार्ट पेपर, स्केच पेन	किशोर, युवा और पिता	01 घंटा

उद्देश्य

- सामाजिक नियम किस तरह कुछ खास पहचान के कारण लोगों को अलग–अलग विशेषाधिकार देते है और पाबंदियां लगाते हैद्य
- विशेषाधिकार और पाबंदियां किस तरह सत्ता से जुड़े है और उनका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता हैद्य
- किशोर और किशोरियों पर सहूलियत और प्रतिबंध तथा इसके प्रभाव को समझना।
- सहूलियत और प्रतिबंध की सोचपूर्ण विवेचना और बदलाव की समझ बनाना।

फैसिलिटेटर के लिए नोट

सत्र की शुरुआत पिछले सत्र की सीख और उपलब्धियों से करें। समता के लिए घर के अंदर और बाहर किये गए प्रयासों पर चर्चा कर उन्हें संकलित करें। सहभागियों से पूछें कि समता हेतु अतिरिक्त प्रयासों से दूर करने लायक प्रतिबंधों को क्या चिन्हित किया गया है? सूची संकलित करें। उन्हें बताएं कि आज इसी पर चर्चा किया जायेगा।

गतिविधि

- प्रतिभागियों को पिछले सत्र में सीखी गई बातों को संक्षेप में बताने के लिए आमंत्रित करे।
- प्रतिभागियों को आज के अध्यन में क्या होने वाला है, इसका अंदाजा लगाने के लिए कहें और 2–3 स्वैच्छिक प्रतिभागियों को बताने के लिए आगे बुलाये ।
- प्रतिभागियों को बताएं की आज के पाठ में पावर वॉक नाम से एक गतिविधि रखी गई है, जो उन्हें समाज में सत्ता के विभिन्न स्रोतों एवं सत्ता के कारण प्राप्त होनेवाले प्रतिबंधों और विशेषाधिकार को समझने में मदद करेगा ।
- ग्रुप में से 5–6 सदस्य को आगेके लिए कहें। कोशिश करें की वे अपनी मर्जी से आयें। बाकी सभी प्रतिभागियों को बैठने के लिए कहें, और आगे होने वाली गतिविधि को ध्यान से देखने को कहें।
- 6 सदस्य को आगे बुलाएँ और फ्लैश कार्ड दे दें। सभी फ्लैश कार्ड पर अलग–अलग किरदार लिखा होगा।
- सभी अलगदृअलग किरदार की भूमिका में होंगे।
- आगे आये किरदार से कहें कि लिखे हुए किरदार को अपने ऊपर चिपका लें ताकि सभी देख सकें।
- 6 प्रतिभागियों को आगे खींची गई लाइन पर खड़े होने के लिए कहे। एक ही दिशा में कंधे से कंधा मिला कर खड़े हो। उन्हें अपने कार्ड पर लिखी पहचान को पढने के लिए कहे ताकि हर कोई उसे सुन सके। प्रतिभागियों को बताये की आप उन्हें कुछ वाक्य पढ़ कर सुनायेंगे और उन्हें इसे ध्यान से सुनना है और एक कदम आगे या पीछे करना है। अगर आपको लगता है की आप कर सकते हैं या आपको मिल सकती है तो एक कदम आगे बढ़ाएं।
- जब सभी 6 प्रतिभागियों ने यह गतिविधि पूरी कर ली हो तो उन्हें देखने वाला समूह उस सामान्य रेखा से उनकी जमीनी स्थिति को जान सकेगा, कि कौन लोग आगे निकले, कौन पीछे।

फ्लेश कार्ड पर लिखने के लिए वाक्य

युवा समूह के लिए (15–25 वर्ष):

- एक आदिवासी/पिछड़े समुदाय की लड़की
- क्लास में अच्छे नंबर लाने वाला लड़का
- सामान्य जाति का लड़का
- मुखिया की बेटी
- गरीब घर का लड़का
- गरीब घर की लड़की

प्रौढ़ समूह के लिए (25 वर्ष से ऊपर)

- एक गरीब घर की महिला
- मुखिया
- विद्यालय का प्रधानाध्यापक (हेडमास्टर)
- एक सामान्य वर्ग का पुरुष
- एक सामान्य वर्ग की महिला
- आर्थिक रूप से मजबूत पुरुष
- एक आदिवासी/पिछड़े समुदाय की महिला

स्टेटमेंट

1. शाम को दोस्त/सहेली के घर दावत है, मैं अकेले बिना अनुमति जा सकता/सकती हूँ।
2. छुट्टियों के दिन देर तक सो सकता/सकती हूँ।
3. मै अपनी मर्जी से जो चाहूँ पहन सकता/सकती हूँ।
4. पिकनिक पर 2–3 दिनघूमने के लिए शहर से बाहर जा सकता/सकती हूँ।
5. घर के काम के कारण स्कूल नहीं छूटेगा।
6. जब चाहे फोन पर बात कर सकते हैं।
7. मैं अपनी मर्जी से धार्मिक स्थल पर जा सकता/सकती हूँ।
8. जब घर में दूध कम रहता है, मुझे पुरुषों/लड़कों के बराबर पीने मिलेगा?
9. मैं अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकता/सकती हूँ।
10. मैं अपनी मर्जी से पैसे खर्च कर सकता/सकती हूँ।

नोट

फैसिलिटेटर सुविधानुसार फ्लेश कार्ड पर लिखने के लिए वाक्य और स्टेटमेंट में बदलाव कर सकते हैं।

चर्चा के लिए प्रश्न

- आप क्या देखते हैं? कौन आगे है?
- जो लोग आगे हैं, उनके आगे होने के क्या कारण हैं ?
- पीछे रह जाने वाले कौन हैं ? और क्यों?
- जो पीछे रह गए उन्हें भी यदि समान अवसर मिले तो क्या होगा?
- सामाजिक पहचान के आधार पर लगनेवाले पाबंदियों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा

मुख्य सन्देश

इस तरह के अनेक भेदभावपूर्ण नियम समाज द्वारा बना दिये गये हैं। नियम ऐसे बनाए गया है कि यह एक सामान्य सी बात लगती है तथा कोई इस पर प्रश्न खड़ा नहीं करता। अक्सर किशोरियों/महिलाओं पर अलग–अलग कारणों से प्रतिबंध लगा दिये जाते हैं, कभी इज्जत के नाम पर कभी सुरक्षा के नाम पर। खेल, शिक्षा, रोजगार आदि विभिन्न क्षेत्र में महिला कम योग्यता के कारण नहीं बल्कि भेदभावपूर्ण नियमों के कारण पिछड़ गयीं। यदि इसे बदलना है तो लोगों को भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना होगा। पुरुषों/लड़कों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि महिलाओं/लड़कियों पर प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। ये प्रतिबन्ध उनके अधिकारों का हनन है जो उनके विकास में रुकावट डालते हैं।

गतिविधि– प्रतिबंध एवं सुविधा की पहचान

सहभागियों से कहें कि अभी कुछ स्टेटमेंट पढ़ा जायेगा। यदि लगता है कि यह स्टेटमेंट अधिकतर लोगो के लिए सत्य है तो हाथ उठायें। एक–एक कर प्रत्येक वाक्य सुविधा और प्रतिबंध के लिए पूछें और अंत में चर्चा करें।

	सुविधा और प्रतिबंध	पुरुष		महिला	
		सुविधा	प्रतिबंध	सुविधा	प्रतिबंध
1	जोर–जोर से हँसना				
2	सबके सामने खुलकर बोलना				
3	सबके सामने रोना				
4	अपनी पसंद के कपड़े पहनना				
5	घर के बाहर जाने का निर्णय लेना				
6	बिना बतायें देर से वापस घर आना				
7	अपनी पसंद से शादी करना				
8	अपनी मर्जी से पैसे खर्च करना				
9	घर का काम–काज करना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना				
10	अपनी शिक्षा पूरी करने का निर्णय लेना				
11	शव यात्रा में शामिल होना				
12	बच्चे की देखभाल करना				
13	छप्पर छारना				
14	हल चलाना				

मुख्य सन्देश :

- किशोरों/पुरुषों पर बहुत कम प्रतिबंध है, और किशोरियों/महिलाओं को बहुत कम सुविधाएं हैं। इसका प्रमुख कारण जेंडर आधारित सोच है, जो किशोरियों पर नियंत्रण बनाए रखती है। इसे बदलना जरूरी है।
- जेंडर आधारित सोच के कारण किशोरियां समाज में अपनी पहचान नहीं बना पातीं। वे शिक्षा, रोजगार, आवागमन, खेलकूद, सहित स्व–निर्भर बनने के मौके से वंचित रह जाती हैं। नतीजन उनकी रचनात्मकता गुणवत्ता कम या समाप्त हो जाती है।
- प्रतिबंधों के कारण ही किशोरियां कई बार हिंसा का शिकार बन जाती हैं, उनकी जल्द शादी भी करा दी जाती है।

कार्य योजनाः सहभागियों से इस संदर्भ में अबतक की गयी उनके व्यक्तिगत पहल या आगे पहल करने के बारे में पूछें।

सत्र २.३: पितृसत्ता

सामग्री	लक्षित वर्ग	
चार्ट पेपर, स्केच पेन	किशोर, युवा और पिता	01 घंटा

उद्देश्य

- पितृसत्ता किसे कहते है इसे समझना
- जेंडर भेदभाव के दुष्प्रभाव की समझ बनाना।
- जेंडर भेदभाव के समाजीकरण के प्रक्रिया की समझ बनाना।
- निर्णय प्रक्रिया में किशोरियों के भागीदारी से लाभ की समझ विकसित करना।

गतिविधि– 2.1– सत्ता क्या है? इसके स्रोत क्या हैं?

कड़ी: सत्र की शुरुआत पिछले सत्र के सीख और उपलब्धियों से करें। यदि भेदभाव की पहचान की गयी है तो उसकी सूची बनायें। तथा भेदभाव का कारण जानने का प्रयास करें।

घटना

14 वर्षीया कविता को पेन खरीदने, पास के ही बाजार जाना था। उसने माँ से पूछा तो माँ ने कहा ठीक है, साथ में दीपू को भी लेते जाओ। कविता 08 वर्षीय दीपू के साथ बाजार के लिए निकल पड़ी। पर उसके मन में अनेक सवाल कौंध रहे थे।

- माँ ने दीपू को उसके साथ क्यों भेजा?
- उत्तर संकलित करें। उत्तर मिलने के बाद कविता के निम्न अन्य सवालों पर चर्चा करें।
- जब भाई अकेले बाजार जा सकता है तो वह अकेले बाजार क्यों नहीं जा सकती?
- किसी मुसीबत में 08 वर्षीय दीपू उसकी रक्षा करेगा या उसे दीपू की रक्षा करनी होगी?
- क्या 08 वर्षीय दीपू उसकी सुरक्षा के लिए, उसके साथ था या उस पर नियंत्रण के लिए माँ ने उसके साथ भेजा?
- क्या समाज की मानसिकता ऐसी है कि अकेली लड़की को देखकर किसी आदमी की नियति ही खराब हो जाय?
- आखिर ये मानसिकता कहाँ से आती है कि लड़की को कुछ लेने जाना है तो वो अकेले नही जाएँगी?

मुख्य सन्देश

- सत्ता या पावर एक सामान परिस्थिति में किसी को विशेष बना देती है और अनेक सुविधाएं प्रदान करती हैं। यह ताकत है, जो एक व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरे व्यक्ति या समूह पर नियंत्रण करने का काम करती है।
- अक्सर पुरुष संरक्षक की भूमिका में होते हैं। कविता की माँ कभी अपने बेटे को बाजार जाने की आज्ञा देते समय नहीं कह सकती कि– "कविता को भी साथ ले जाओ।" संरक्षण कब नियंत्रण में बदल जाती है पता ही नहीं चलता और यही नियंत्रण कब स्वतंत्रता का हरण कर लेती है। यह भी पता नहीं चलता। इसके लिए सामाजिक सोच भी जिम्मेदार है जो अकेली किशोरी या महिला को देख तरह–तरह के गलत विचार बना लेते हैं। लेकिन इससे नुकसान सिर्फ किशोरियों को नहीं पुरुषों और समाज को भी है।

- सत्ता– शिक्षा, पैसा, पद, जाति, लिंग, शारीरिक स्थिति, स्थान (गाँव–शहर) आदि के द्वारा आती है। सत्ता अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। इसका इस्तेमाल सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से हो सकता है, परन्तु अधिकतर लोग अधिकार जमाने या विशेषाधिकार के लिए इस ताकत का इस्तेमाल करतें हैं।

गतिविधि– पितृसत्ता क्या है?

घटना:

सुनीता की शादी उसके पिता ने तय कर दी। माँ ने कहा– "एक बार उससे पूछ तो लेते"। पिताजी ने टका सा जवाब दिया– "उससे क्या पूछना, पिता हूँ उसका, कोई दुश्मन नहीं?"। शादी के कुछ दिनों बाद जमीन विवाद में सुनीता के चाचा ने उसके पिता की हत्या कर दी। सदमे से माँ बीमार रहने लगी। कम पढ़ी लिखी सुनीता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसने जमीन बेच कर माँ का इलाज कराना चाहा पर वह जमीन नहीं बेच सकी। उचित इलाज के आभाव में माँ की मृत्यु हो गयी। उसकी सारी जमीन का मालिक उसका चाचा हो गया।

प्रश्न:

- सुनीता जमीन क्यों नहीं बेच पाई?
- इस कहानी में क्या जेंडर आधारित कोई भेदभाव हुआ है?
- ऐसा क्यों हुआ?
- उसका क्या प्रभाव पड़ा?

परिचर्चा: पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं?

- पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पिता या सबसे बड़ा पुरुष परिवार का मुखिया होता है। पुरुषों का महिलाओं, बच्चों और संपत्ति पर अधिकार होता है।
- इस सामाजिक व्यवस्था में पुरुष नियंत्रण रखते हैं और नियम बनाते हैं। वे परिवार के साथ–साथ समाज में भी सभी निर्णय लेते हैं।
- इस व्यवस्था में शक्ति पुरुष के पास होती है और महिलाओं को इससे काफी हद तक बाहर रखा जाता है।
- पितृसत्तात्मक समाज में वंश पुरुष द्वारा ही आगे बढ़ता है। परिवार का नाम पुरुष से आता है और पुरुषों को श्रेष्ठ माना जाता है।
- पितृसत्ता के कारण किसे जान गंवानी पड़ी? क्या इस व्यवस्था में परिवर्तन की जरुरत है?

गतिविधि– किशोरियों के साथ भेदभाव की पहचान और प्रभाव

समूह चर्चा:– निम्नलिखित बिन्दुओं पर सहभागियों के साथ चर्चा करें और जानने का प्रयास करें की ऐसा क्यूँ किया जाता है

- **बच्चे का जन्म:** बेटा के जन्म पर नगाड़ा या बर्तन पीटना, बेटी के जन्म पर खुशी न मनाना और माहौल का उदासी में बदल जाना।
- **मां के प्रति दृष्टिकोण:** वंश चलाने के लिए लड़का पैदा करने पर बधाई, लड़की पैदा करने के लिए पर ताना।
- **खिलौना:** लड़के के लिए बैट–बॉल या अन्य नया खिलौना, लड़की के लिए गुड़िया या कुछ भी नहीं।
- **खेलकूद:** लड़का का बाहर खेलने जाना, जबकि लड़की को घर का काम या छोटे बच्चों को संभालने हेतु कहा जाना।
- **काम:** लड़के को बाहर का काम या खरीददारी, लड़की को झाड़ू लगाना या घर का काम।
- **शिक्षा:** लड़के को ऋण लेकर भी पढ़ाया जाना जबकि लड़की को यह कह कर पढ़ाई बंद करा देना कि तुम ज्यादा पढ़–लिख कर क्या करोगी, आखिर तुम्हें तो चूल्हा–चौका/घर ही संभालना है।

- **शिक्षा का विषयः** लड़के के लिए साइंस या इंजीनियरिंग जबकि लड़की के लिए होमसाइंस या सामान्य विषय।
- **नौकरीः** लड़का इंजीनियर बन जाता है जबकि लड़की टीचर या नर्स बनती है।

भेदभाव की समझ

भेदभाव की बेहतर समझ के लिए चिन्हित भेदभावों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करें। यदि सहभागी कुछ नया जोड़ना चाहें तो उन्हें न रोकें। सभी भेदभाव का उदाहरण परिचर्चा द्वारा चिन्हित करें।

- काम के अवसरों में भेदभाव
- पढ़ाई के अवसरों, आर्थिक गतिविधियों, रोजगार में भेदभाव
- बाहर जाने, निर्णय लेने, खेल–कूद, खर्च करने में भेदभाव
- खान–पान, रहन–सहन, पहनावे में भेदभाव
- बोलने, हंसने, सोने, उठने के समय में भेदभाव
- रीति–रिवाजों, सामाजिक भागीदारी में भेदभाव
- स्वास्थ्य सेवा को पाने, संपत्ति के अधिकार में भेदभाव, शादी का निर्णय लेने में भेदभाव

ब्रेनस्टार्मिंग – किशोरियों के साथ घर के अन्दर और बाहर होने वाले भेदभाव के प्रभाव को सहभागियों से पूछकर संकलित करें। प्रत्येक सहभागी से कम से कम एक–एक प्रभाव अवश्य पूछें:

संभावित जवाब

- किशोरियां अपने जीवन का निर्णय नहीं ले सकतीं। उन्हें अनेक बार समझौता करना पड़ता है।
- किशोरियों में डर के कारण आत्मविश्वास कम हो जाता है।
- किशोरियां संकोची और दब्बूपन का शिकार हो सकती हैं। वे अपनी बात ठीक से नहीं रख पातीं।
- किशोरियां शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। उन्हें शिक्षा अधूरा छोड़ना पड़ता है।
- किशोरियों की उत्पादकता, रोजगार, स्व–निर्भरता और विकास के अवसर कम हो जाते हैं।
- किशोरियां पुरुषों पर निर्भर हो जाती हैं।
- किशोरियां विभिन्न प्रकार के हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार का शिकार हो जाती हैं।
- किशोरियां अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को बता नहीं पातीं। उनके बीमारी की संभावना बढ़ जाती है।
- किशोरियों को निर्णय लेने में डर लगने लगता है।
- किशोरियां बाल विवाह, छेड़–छाड़, दुष्कर्म आदि का शिकार हो सकती हैं।

मुख्य संदेश

- पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण किशोरियों और महिलाओं के साथ घर के अंदर और बाहर कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं, उन्हें कमतर आंका जाता है। इसका दुष्प्रभाव किशोरियों और महिलाओं के जीवन के साथ–साथ पुरुषों और समाज पर भी पड़ता है।
- परिवार या देश का विकास महिला और पुरुष दोनों के भागीदारी के बिना संभव नहीं। जिस परिवार में यह भेदभाव होता है वह विकास के दौड़ में पिछड़ जाता है।
- इन भेदभाव वाले सामाजिक मानदंडों और प्रथाओं को बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए लड़कों और पुरुषों को पहल करनी होगी। निर्णय आपका–आप विकास के दौड़ में दो पहियों पर भागना चाहते हैं या सिर्फ एक पर। समाज में भेदभाव के पहचान के कार्य योजना के साथ सत्र का समापन करें।

मॉड्यूल ३ जेंडर और जेंडर आधारित हिंसा

३.१ फसलीटेटर के लिए

जेंडर आधारित हिंसा और परिभाषा

जेंडर के आधार पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा कार्य जिसमें उसे शारीरिक, मानसिक या यौनिक क्षति पहुँचे, या पहुँचने की संभावना हो, तो उसे जेंडर आधारित हिंसा कहते हैं। जेंडर आधारित हिंसा विभिन्न जेंडर के बीच सत्ता असमानताओं और भेदभाव को बनाए रखती है और बढ़ावा देती है। (यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स, अक्टूबर 2014)

जेंडर आधारित हिंसा माहिलाएं, लड़कियां, पुरुष और लड़के सभी पर होते हैं पर इससे ज्यादातर माहिलाएं और लड़कियां प्रभावित होती हैं। इसका एक कारण पितृसत्ता द्वारा पुरुषों और लड़कों को मिलने वाला विशेषाधिकार है। कई पुरुष और लड़के सत्ता का दुरुपयोग कर हिंसा करते हैं और हिंसा का इस्तेमाल कर सत्ता को बनाए रखते हैं। जेंडर आधारित हिंसा पुरुषों के बीच, पुरुषों और अन्य जेंडर के बीच, महिला और महिला के बीच तथा अन्य जेंडर के मध्य भी हो सकती है।

(ख) महिलाओं के प्रति हिंसा

1993 में महिलाओं के विरुष हिंसा के उन्मूलन पर राष्ट्र संघ घोषणा ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की पहली आधिकारिक परिभाषा प्रस्तुत की थी।

अनुच्छेद 1– महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का अर्थ है कोई भी जेंडर आधारित हिंसक कार्य जिसके फलस्वरूप महिला को शारीरिक, यौनिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान हो या होने की संभावना हो। इसमें शामिल हैं धमकी देना, जोर–जबर्दस्ती, आजादी से वंचित करना, चाहे वह सार्वजनिक या निजी जीवन में हो।

अनुच्छेद 2– ऐसे कृत्य में शामिल है पत्नी के साथ मारपीट, यौन दुराचार, दहेज संबंधी हिंसा, बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार, महिला के जननांगों को काटना या महिलाओं के लिए नुकसानदेह पारंपरिक रीति रिवाज, पति के अलावा किसी और के द्वारा की गई हिंसा, यौन शोषण से संबंधित हिंसा, कार्यस्थल, विद्यालय और अन्य जगहों पर यौन उत्पीड़न और धमकी, महिलाओं की देह व्यापार के लिए तस्करी और जबरन वेश्यावृत्ति।

यह एक कठोर वास्तविकता है की विश्व में महिलाओं के साथ सदियों से बुरा व्यवहार किया जाता रहा है, जो पारंपरिक रूप से पुरुषों के प्रभुत्व में रहा है।

महिला अपनी स्वतंत्र पहचान से वंचित रही है और उसे एक वस्तु के रूप में देखा जाता रहा है। उसकी गरिमा और सम्मान को न केवल बाहर के पुरुषों द्वारा दबाया जाता है, बल्कि अपने ही घर की चार दीवारी के भीतर भी क्रूरता का शिकार बनती है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4 (2015–2016) के अनुसार भारत में 31 प्रतिशत और झारखंड में 35 प्रतिशत महिलाओं ने पति द्वारा शारीरिक, मानसिक या यौनिक हिंसा के अनुभवों के बारे में सूचित किया। इसका मतलब है कि करोड़ों महिलाओं को अपने पतियों के हाथों हिंसा झेलनी पड़ी है।

बच्चों पर होने वाली जेंडर आधारित हिंसा

लड़के और लड़कियां, घर, स्कूल और बाहर, जेंडर आधारित हिंसा का शिकार होते हैं।

UNICEF द्वारा 2004 में किए गए शोध में पाया गया कि विश्व भर में 2–14 वर्ष की उम्र में करीब हर 10 में से 6 बच्चों को आम तौर पर शारीरिक दंड दिया जाता है।

स्कूल में जेंडर आधारित हिंसा पर की गई एक स्टडी ने दिखाया है कि 12 से 17 वर्ष की आयु में 43: से 84: बच्चों ने स्कूल में किसी–न–किसी प्रकार की हिंसा का सामना किया है। इसी स्टडी में यह भी पाया गया है की लड़कियों की तुलना में ज्यादा लड़कों ने बताया कि उन्होंने हिंसा का सामना किया है। (ICRW और प्लान इंटरनेशनल, 2014)

भारत सरकार द्वारा 2007 में की गई एक स्टडी के मुताबिक 53% लड़के और 47% लड़कियों ने यौनिक हिंसा का सामना किया है। (WCD, GoI, 2007)

विभिन्न शोधों में यह पाया गया है कि जिन लड़की और लड़कों ने हिंसा का सामना किया है उन पर कई तरह के दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना ज्यादा है, जैसे की– नियमित रूप से स्कूल न जाना, पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन न करना, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाना, उनके मन में ज्यादा डर रहना और कुल मिलाकर स्वास्थ्य पर असर पड़ना।

हिंसा के प्रकार

हिंसा कई रूपों में देखी जा सकती है। जैसे– शारीरिक, मानसिक, यौनिक व सामाजिक–आर्थिक हिंसा। कई बार ऐसी हिंसा भी होती है जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं या उसे हिंसा नहीं मानते हैं। जैसे– घर में बड़े का छोटे को डांटना, साथी/दोस्त को उपनाम देना–मजाक उड़ाना, बिना अनुमति या सहमति से किसी के लिए निर्णय लेना, कक्षा में किसी बच्चे से बार–बार प्रश्न पूछ कर दबाव बनाना या नीचा दिखाना, और किसी बच्चे को अनदेखा करना आदि। इस भाग में हम हिंसा के विभिन्न रूपों को जानेंगे।

शारीरिक हिंसा: इसमें शामिल है शारीरिक बल का उपयोग करना जिससे किसी अन्य व्यक्तियों को नुकसान पहुँचे, चोट लगे, विकलांगता या मृत्यु का कारण बने। इसमें शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है, धक्का देना, झिंझोड़ना, मुक्का मारना, थप्पड़/झापड़ मारना, लतियाना/लात मारना, हाँथ–पांव ऐंठना, हथियार चलाना, भारी वस्तु चलाना (ट्रैक्टर, ट्रक), किसी तरह की शारीरिक धक्का–मुक्की, किसी भी तरह की जोर–आजमाइश, जलाना, चाहे उसमें चोट के निशान न हो।

मानसिक या भावनात्मक हिंसा: इसमें मौखिक और गैर–मौखिक संचार शामिल है जिसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति को मानसिक या भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है। इसमें शामिल है किसी को डांटना व धमकाना, डराने या धमकाने के कृत्य करना या उस लहजे में बात करना, टीका–टिप्पणी करना, नीचा दिखाना, राष्ट्रीय, जाति या पारिवारिक संरचना, धार्मिक जुड़ाव, सक्षमता, आर्थिक प्रतिष्ठा आदि का उपयोग कर व्यक्ति की भावनाओं को ठेसध्क्षति पहुंचाना या उसका मजाक उड़ाना, कार्य और गतिविधियों पर निगरानी कर नियंत्रित करना, सोशल मीडिया की गतिविधि पर निगरानी रखते हुए उन्हे नियंत्रित करना, तथा आवाजाही और प्रजनन और यौन स्वास्थ्य पर नियंत्रण करना आदि।

यौनिक हिंसा: इसमें ऐसे यौन कृत्य को शामिल किया जाता है जिसके लिए पीड़ित व्यक्ति ने स्वतंत्र रूप से सहमति नहीं दी है या सहमति देने में सक्षम नहीं है या सहमति देने से इनकार कर दिया हो– जैसे दबाव डालकर, शराबध्नशीली दवा देकर या अवांछित रूप से पीड़ित के यौन अंगों में लिंग या शरीर के अन्य अंगों (उँगलियाँ अथवा जीभ आदि) का प्रवेश करना, यौन स्पर्श करना या बिना स्पर्श किए यौनिक कार्य करना जैसे घूरना, इशारे करना, सिटी बजाना, पीछा करना, फोटो या विडिओ का सोशल मीडिया पर गलत इस्तेमाल करना, जैसे अनुचित फोटो, वीडियो, गिफ्ट भेजना आदि। एक पीड़ित व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ यौन क्रियाओं में शामिल होने के लिए मजबूर करना या उसके साथ जबरदस्ती करना भी यौन हिंसा में आता है।

सामाजिक–आर्थिक हिंसा: इसमें शामिल है किसी के निजी अधिकारों की उपेक्षा करना, दूसरों के सामाजिक जीवन को नियंत्रित करना, परिवार व मिलने–जुलने वालों से व्यक्ति को अलग–थलग करना, बिना राजी नामे के धन व संपदा पर कब्जा करना, व्यक्ति को समुदाय या मित्रों के सामने नीचा दिखाना, दूसरों के साथ गलत तरीके से या उपेक्षित जैसा बर्ताव करना आदि।

विद्यालयों में हिंसा

विद्यालयों में होनेवाली वाली जेंडर–आधारित हिंसा भी हिंसा का एक ही रूप है जो जेंडर भूमिकाओं और संबंधों पर आधारित है। यह शारीरिक, यौनिक और भावनात्मक हो सकती है या तीनों का मिलाजुला रूप हो सकती है। यह विद्यालय में, विद्यालय के मैदान में, विद्यालय आते –जाते समय या विद्यालय में कहीं और भी घटित हो सकती है। इसके अन्तर्गरत बलात्कार, अवांछित यौन स्पर्श, अवांछित यौन टिप्पणियां, शारीरिक दंड, धमकाना, मौखिक रूप से उत्पीड़न करना आदि शामिल है। ऐसी हिंसा शिक्षकधशिक्षिकाएं, छात्र या समुदाय का कोई भी सदस्य कर सकते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों ही पीड़ित और हिंसा करने वाले हो सकते हैं। इससे पीड़ित बच्चे की शिक्षा और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

हालांकि हिंसा के परिणाम हिंसा की प्रकृति और गंभीरता पर निर्भर होते हैं, इसके अल्पकालिक और दीर्घकालिक कुप्रभाव काफी गंभीर और हानिकारक होते हैं। मौखिक दुराचार और शारीरिक हिंसा बच्चों में स्कूल में अनियमित उपस्थिति और आत्म–गरिमा को कम करने के मत्वपूर्ण कारक हैं। हिंसा के परिणामस्वरूप जीवन भर के लिए सामाजिक क्षति हो सकती है और इससे बच्चे जोखिम उठाने वाले व्यवहारों को अपना सकते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थों का उपयोग, जल्दी ही यौन व्यवहार आरंभ करना आदि।

झारखंड में हुए सर्वे में यह पाया गया है की पिछले तीन महीने में 51 प्रतिशत लड़कों ने शारीरिक हिंसा का सामना किया है, 55 प्रतिशत ने मानसिक हिंसा का और 23 प्रतिशत ने यौनिक हिंसा का सामना किया है। लड़कियों में यह पाया गया है की 39 प्रतिशत ने शारीरिक हिंसा, 43 प्रतिशत ने मानसिक हिंसा और 18 प्रतिशत ने यौनिक हिंसा का सामना किया है। स्कूलों में हिंसा ज्यादातर बच्चों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। पिछले तीन महीनों में लड़कियों (55%) की तुलना में ज्यादा लड़कों (65%) ने हिंसा का सामना किया।

https://www.icrw.org/publications/towards-gender-equality-gems-journey-thus-far/ (2019)

क्या यह हिंसा है? एक छोटी सी कहानी आपके लिए।

मंगेश की कहानी

मंगेश को छेड़खानी करने में मजा आता है।

अरे वह मैंने इशारा किया तो अच्छा महसूस हुआ, वह हंस रही है।

ठीक है अब मुझे दूसरा कदम उठाने दो।

वह उसे चुनने के लिए ललक रहा है।

अरे वाह, वह दुबारा हंसी। इसका मतलब उसे मजा आ रहा है।

यह हिंसा है?

चर्चा के लिए निर्देशः

हाँ, यह हिंसा है। मंगेश छेड़खानी कर रहा है। उसका मकसद लड़कियों को तकलीफ पहुंचाना है। इससे कोई फरक नहीं पड़ता की लड़की की क्या प्रतिक्रिया है। बल्कि मंगेश का यह व्यवहार निर्धारित करता है की वह लड़की के साथ हिंसा कर रहा है। बहुत बार जिसपर हिंसा होती है वह इन व्यवहारों को नजरअंदाज कर देते हैं डर और शर्म की वजह से अलग–अलग प्रतिक्रिया करते हैं। इस कहानी में हो सकता है की लड़की घबरा कर हंस रही हो, या मंगेश की बेवकूफी पर। अगर वह किसी और वजह से हंस रही हो, तब भी यह मंगेश का व्यवहार को सही नहीं ठहराता।

व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित करता है की कोई भी कृत्या हिंसा होती है या नहीं, ना की जिसके ऊपर हिंसा हो रही हो उसकी प्रतिक्रिया से।

इस घटना को जेंडर आधारित हिंसा की परिभाषा को ध्यान में रखकर विश्लेषण करें।

विष्णु की कहानी

विष्णु कभी–कभी अपने से छोटे लड़कों के साथ लड़ता है और उनकी चीजें छीन लेता है।

चर्चा के लिए निर्देशः

विष्णु को मारने और धमकाने वाला व्यवहार हिंसा कहलायेगा। समाज लड़कों और पुरुषों से अपेक्षा करता है कि वह निडर और दबंग होंगे और जो नहीं होंगे वह हिंसा और उपहास का निशाना बनेंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चों को इस अपेक्षाओं से अवगत कराती है। यहाँ विष्णु अपने बल और सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए **विष्णु का व्यवहार जेंडर आधारित हिंसा कहलायेगा।**

नाम रखना/उपनाम देना

नाम रखना/उपनाम देना और छेड़खानी करना हिंसा का एक रूप है जो बच्चों के मन को जीवन भर के लिए प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए कई बार मोटे लड़के का नाम ''मोंटू'' और पतले लड़के का नाम ''लकड़ी'' रख दिया जाता है। शिक्षक–शिक्षिकाएं कुछ बच्चों को बुद्धिमान और प्रतिभावान घोषित करके इसी तरह का काम करते हैं, जबकि जो बच्चे अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सके उन पर मंद बुद्धि होने का तमगा लग सकता है।

आमतौर पर नाम रखने या लेबलिंग से किसी के बेकार/दोषपूर्ण होने की छवि उभरती है और ऐसा करने से विद्यार्थी के विकास और प्रगति में बाधा खड़ी हो सकती है। किसी का "आइटम", "छक्का" जैसे नाम रखने से वह भावनात्मक रूप से बहुत व्यथित हो सकता है। कभी–कभी लोग मानते है की प्यार से उपनाम देना सही है और इससे किसी को तकलीफ नहीं पहुँचती है। पर बहुत बार ऐसा होता है की उनको मन में बुरा लगे और वे इस बात को बोल न पाएं, या फिर शुरू में उनको तकलीफ न हो, लेकिन बाद में उनको सभी इस नाम से बुलाने लगे और इससे उन्हे दुःख पहुंचे। तो फिर उपनाम रखना ही क्यूँ?

4.क.2– हिंसा का चक्र

अक्सर हम अपने जीवन में हिंसा सहते हैं और कई बार मौका देखकर हिंसा करते भी हैं। हम यह सब भूल जाते हैं की हिंसा सहने पर हमें कितनी तकलीफ होती है और हम वही चोट दूसरे को पहुंचाना चाहते हैं। यह एक बदले की भावना है जिससे हिंसा का चक्र चल पड़ता है।

किसी ने हम पर हिंसा की तो हमने किसी और पर की और हमने किसी पर होते देखी तो उसे नजरअंदाज कर दिया या जिस पर हिंसा हुई उसे ही दोष दे दिया। ऐसे में हिंसा कभी खत्म नहीं होती। इस हिंसा के चक्र की वजह से संबंधों में बार–बार हिंसा होती रहती है। इसकी शुरुवात छोटी–मोटी घटनाओं से होती है और फिर बाद में गंभीर स्तर तक पहुँच जाती है। किसी बच्चे में हिंसा के चक्र की शुरुवात तब होती है जब वो हिंसा का शिकार बनता है या हिंसा होते हुए देखता है। हिंसा का शिकार बनने या हिंसा होते हुए देखना बच्चे को भयभीत, नाखुश, अकेला बना सकता है, बच्चे आत्मविश्वास खो देते हैं। इसके लिए अपने आपको दोष देते हैं। वह ढंग से सो नहीं पाते हैं और साथी छात्र–छात्राओं के साथ झगड़ा करते हैं।

बच्चों को यह बात समझनी चाहिए की विचारों का अलग होना, मतभेद होना तो ठीक है, पर इसका हल हिंसा से नहीं निकल सकता। जब बच्चे यह समझ जाते हैं की हिंसा स्वीकार्य नहीं हैं तो वे बड़े होकर ऐसे व्यक्ति बनते है जो दूसरों का सम्मान करते हैं।

4.ख एकीकरण के अवसर

हिंसा का मुद्दा बहुत संवेदनशील है और साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। कई लोग विभिन्न समयावधि में विभिन्न तरीकों से सत्ता (पावर) का प्रदर्शन करते हैं। इसीलिए हर अवसर का उपयोग करते हुए अपने को माध्यम बना कर यह समझाना चाहिए कि किस तरह सत्ता का उपयोग सही ढंग से किया जाना चाहिए।

इसलिए यह विचार–विमर्श सभी विषयों पर लागू होता है। इतिहास वह दर्शाता है कि युद्ध कैसे लड़े गए, उनके परिणाम क्या रहे, उनसे कौन पीड़ित हुए या कौन उनके शिकार बने और साथ ही यह भी कि इन सभी चीजों से कैसे बचा जा सकता था।

उदाहरण देकर यह समझा सकते हैं कि सत्ता या शक्ति के दुरुपयोग का परिणाम हिंसा हो सकती है। साथ ही भाषा में गलत शब्द जैसे कि किसी जाति या समुदाय को नीचा दिखाने वाले शब्द या गालियों को प्रयोग में न लाएं और बच्चों को समय–समय पर इस व्यवहार को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए भी प्रोत्साहित करें।

सत्र ३.२: सुरक्षित माहौल हेतु समाज एवं पुरुषों की भूमिका

सामग्री	लक्षित वर्ग	
चार्ट पेपर, स्केच पेन	किशोर, युवा और पिता	01 घंटा

उद्देश्य

- पुरुषों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यवहार का अंतरावलोकन और इनके प्रभाव पर समझ बनाना।
- किशोरियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने हेतु व्यक्तिगत और सामाजिक योगदान चिन्हित करना।

गतिविधि– सुरक्षित और असुरक्षित जगह

कड़ी: सत्र की शुरुआत पिछले सत्र के सीख और उपलब्धियों से करें। अतार्किक सामाजिक मानदंडों को बदलने के लिए प्रारंभ किये गए प्रयासों पर चर्चा कर उन्हें संकलित करें। इसे कैसे सामुदायिक विमर्श का मुद्दा बनाया जा सकता है इस पर भी संक्षिप्त परिचर्चा करें।

फ्री लिस्टिंग

सहभागियों को दो समूहों में विभाजित कर दें। आवश्यक दिशानिर्देशों के साथ दोनों को किशोरी की पहचान दें। एक समूह को किशोरियों के लिए सुरक्षित जगह तथा दूसरे को असुरक्षित जगह की पहचान करने के लिए कहें। चर्चा के लिए 05 मिनट का समय दें। चर्चा के बाद दोनों समूह को प्रस्तुतीकरण के लिए कहें।

प्रत्येक सुरक्षित और असुरक्षित जगह के लिए पूछें की वह जगह क्यों सुरक्षित या असुरक्षित है? जैसे अगर घर सुरक्षित है– क्यों, असुरक्षित है तो क्यों, किन परिस्थितियों में? यदि वे किसी बिंदु पर सहमत नहीं हैं तो दूसरे समूह के सदस्यों को कारण बताने के लिए बोलें या उदाहरण के साथ समझाने के लिए कहें।

संभावित जवाब: यदि इन जगहों की चर्चा नहीं होती तो जोड़ते हुए पूछें की ये जगह क्यों सुरक्षित या असुरक्षित है? –घर, स्कूल, कॉलेज, शौचालय, धार्मिक स्थल, बैंक, अस्पताल, हॉस्टल, अपना गाँव, पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक स्थान आदि सुरक्षित हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों, महिला समूहों और दोस्तों के साथ किशोरी सुरक्षित महसूस करती हैं। जबकि अंधेरे और निर्जन स्थान, ऑटो, बाजार, सिनेमा हॉल, लॉज, पिकनिक स्पॉट, जंगल से गुजरने वाली सड़क असुरक्षित हो सकती है।

चर्चा के लिए प्रश्न

- यदि किशोरियों के साथ छेड़–छाड़ होती है तो क्या वो अपने परिवार के सदस्य या किसी अन्य को बताती हैं? नहीं, तो क्यों नहीं?
- छेड़–छाड़ करनेवाले सामान्यतः कौन होते हैं?
- किशोरियों के साथ होनेवाले छेड़–छाड़ का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है?

(उसकी पढ़ाई छुड़ा दी जाएगी, उसके बाहर आने–जाने पर पाबन्दी लगा दी जाएगी, उसे ही दोषी मान लिया जायेगा, उसकी शादी जल्द करा दी जाएगी, उसे अवसरों से वंचित होना पड़ेगा और वह अपना सपना पूरा नहीं कर पायेगी, गाँव में उसकी बदनामी होगी, वह लड़का और कुत्सित राह अपनाएगा आदि)

आओ मिलकर सोचें

किशोरियों या महिलाओं के लिए असुरक्षित जगहों को कैसे सुरक्षित बनाया जा सकता है?

कोई भी जगह अपने आप सुरक्षित या असुरक्षित नहीं होती हैं। सुरक्षित और असुरक्षित समय, समूहों की उपस्थिति, प्रकाश व्यवस्था, लड़कियों और महिलाओं की प्रतिक्रिया, लड़कियों और महिलाओं की आत्मरक्षा क्षमता, सार्वजनिक संवेदनशीलता आदि पर भी निर्भर करते हैं। सुनसान जगह हो या सामुदायिक जगह किशोरियों को भय अधिकतर इंसानों से ही लगता है।

क्या करने की जरुरत है जिससे किशोरियां अपने साथ होनेवाले दुर्व्यवहार/छेड़छाड़ के बारे में बताने से ना हिचकें? परिवर्तन की जरुरत कहाँ है?

यह भरोसा दिलाना कि वह माता–पिता/अभिभावक या शिक्षक से निर्भीक होकर बात कर सकती है। यह भरोसा दिलाना की इसमें किशोरियों की कोई गलती नहीं है बल्कि गलत वो है जो ऐसा करता है।

मुख्य सन्देश

- कोई भी जगह अपने आप सुरक्षित या असुरक्षित नहीं होती हैं।
- हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है।
- सुरक्षित और असुरक्षित समय, समूहों की उपस्थिति, प्रकाश व्यवस्था, लड़कियों और महिलाओं की प्रतिक्रिया, लड़कियों और महिलाओं की आत्मरक्षा क्षमता, सार्वजनिक संवेदनशीलता आदि पर भी निर्भर करते हैं।
- जगह हो या सामुदायिक जगह किशोरियों को भय अधिकतर इंसानों से ही लगता है।

सत्र ३.३: सामाजिक मानदंड

सामग्री	लक्षित वर्ग	
चार्ट पेपर, स्केच पेन	किशोर, युवा और पिता	01 घंटा

गतिविधि:

जेंडर आधारित भेदभाव में सहायक सामाजिक मानदंडों की पहचान एवं समझ

उदेश्य

- जेंडर आधारित भेदभाव पर समझ बनाना एवं पहचानना।
- सामाजिक मापदण्डों का किशोरियों पर प्रभाव और इनके परिवर्तन पर समझ बनाना।
- चयनित जेंडर आधारित भेदभाव वाले सामाजिक मानदंडों को बदलने हेतु चर्चा करना।

समूह कार्य

सहभागियों को तीन समूह में बांटे। तीनों समूह को किशोरियों के लिए हानिकारक सामाजिक मानदंडों और रीति– रिवाज की पहचान करने के लिए कहें। समूह चर्चा के लिए 05 मिनट का समय निर्धारित करें। चर्चा के बाद सबको प्रस्तुतिकरण के लिए बोलें।

संकलन

सभी हानिकारक सामाजिक मानदंडों को सूचीबद्ध करें।

सामाजिक मानदंड और रीति–रिवाज, परिवेश, धर्म आदि के अनुसार बदलती रहती है। फिर भी कुछ हानिकारक सामाजिक मानदंड और रीति–रिवाज हर जगह पाए जाते हैं। सूची की तुलना निम्नलिखित सामाजिक मानदंडों से करें। सहभागियों से पूछें वे सहमत हैं या नहीं?

बेटी पराया धन होती है।	पिता के घर से डोली और ससुराल से अर्थी निकलती है
पति परमेश्वर होता है।	किशोरियों– महिलाओं का मालिक पुरुष होता है
महिला घर की इज्जत होती है।	लड़कियों के भड़काऊ कपड़ो के कारण दुष्कर्म होता है
बेटी पिता और पत्नी पति की संपत्ति होती है।	ऊँच–नीच होने से पहले बेटी की शादी कर देनी चाहिए
पत्नी की पहचान पति से होती है	माहवारी के साथ कन्या विवाह लायक हो जाती है।
लड़के अच्छे शिक्षक या नर्स नहीं बन सकते हैं।	एक परिवार मे आर्थिक सहयोग की जिमेदारी पुरुष की होनी चाहिए।
गर्भनिरोधक का इस्तेमाल करना महिला की जिमेदारी है। (यह मुद्दा सिर्फ 18 या उससे अधिक उम्र के लोगों के साथ चर्चा करें	एक आदमी को शोभा नहीं देता कि वह डर, कोमलता या असुरक्षा जैसी भावनाएं पैदा करे।

चर्चा के लिए प्रश्न

समाज में कुछ प्रचलित सामाजिक अवधरणायें भी हैं। सहभागियों से इनके बारे में विषयवार पूछें, जैसे कार्यों का बंटवारा। जो जवाब नहीं आता उसके बारे में बता दें।

- **कार्यों का बंटवाराः** देखभाल या घर का काम लड़कियों का होता है, बाहर का काम पुरुषों का होता है।
- **शिक्षाः** लड़कियों को गृह विज्ञान, कला, आदि पढ़ना चाहिए, वे गणित में कमजोर होती हैं।
- **पेशा** : लड़कियों को शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, आदि बनना चाहिए।
- **पोशाक** : गुलाबी या पीला रंग लड़कियों के लिए होता है, कोई पोशाक बुरा है।
- **व्यवहार** : लड़कियों को भावुक, नरम, कमजोर, शर्मीली, मधुर होनी चाहिए।

मुख्य संदेश

- सामाजिक मापदण्डों को पहचानना एवं उसपर पहल करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सामाजिक मानदंड नहीं बदलते। "पति ही पत्नी का संसार होता है इसलिए पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जीना नहीं चाहिए" को पूरी तरह से बदलते हमने देखा है (सती प्रथा जैसे मानदंडों को बदलते देखा गया है)
- सामाजिक मानदंडों को बदलने के लिए उसका पहचान और उसके दुष्प्रभाव की जानकारी आवश्यक है।

सत्र ३.४: जेंडर आधारित भेदभाव

सामग्री	लक्षित वर्ग	
चार्ट पेपर, स्केच पेन	किशोर, युवा और पिता	01 घंटा

जेंडर आधारित भेदभाव क्या है?

उदेश्य

- जेंडर आधारित भेदभाव क्या है जानना एवं समझना।
- अलग–अलग तरह के भेदभाव को अपने जीवन पर उनके अस्र को पहचानना।
- जेंडर आधारित भेदभाव से सुरक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है उससे समझना।

गतिविधि

- प्रतिभागियों को दो समूह मे बाँट दें।
- एक समूह को महिला एवं तीसरे जेंडर (ट्रांसजेंडर) के साथ होने वाले भेदभाव के बारे मे चर्चा करके एक सूची बनाने के लिए कहें।
- एक समूह को पुरुष एवं तीसरे जेंडर के साथ होने वाले भेदभाव के बारे मे चर्चा करके एक सूची बनाने के लिए कहें।
- प्रतिभागियों को लिखने के बजाय चित्र बनाने के लिए भी कह सकते हैं।
- प्रतिभागियों को 15 मिनट का समय दें।
- फिर प्रतिभागियों को बारी बारी से सूची यह चित्र को प्रदर्शन करने के लिए कहें।

कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती है:

पुरुष के साथ भेदभाव/हिंसा	महिला के साथ भेदभाव/हिंसा	ट्रान्सजेंडर के साथ भेदभाव/हिंसा
हत्या, संपत्ति, जमीन	रोजमर्रा जीवन का हिस्सा	अपमान की बात
पुलिस द्वारा परेशान करना	दहेज, कम उम्र मे शादी	अलग–अलग नामों से बुलाना
बहन को छेड़ने के लिए भाई के द्वारा पिटाई	घरेलू हिंसा	समाज मे अपनापन न मिलना
राजनीति	यौन उत्पीड़न	मारपीट करना
शराब पी कर लड़ाई	बदला लेने के लिए महिला या लड़की का बलात्कार करना	हीन दृष्टि से देखना
	पत्नी के साथ मार पीट करना	परिवार मे स्वीकार न करना
	भ्रुण हत्या	यौन शोषण करना
	डायन कहना	
	स्कूल से ड्रॉप आउट होना	
	पढ़ाई, स्वास्थ्य मे प्राथमिकता न देना	

इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के साथ चर्चा शुरू करें

- आपको पुरुषों, महिलावों और ट्रांसजेंडर के साथ क्या क्या भेदभाव मे अंतर नजर आया?
- पूछे की आम तौर पर किसके साथ गरेलु हिंसा ज्यादा होती है? किसे यौन उडपीड़न का दर ज्यादा है? पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर ?
- आपको क्या लगता है महिलावों के साथ भेदभाव का क्या कारण है ?
- क्या महिला एवं पुरुष के साथ भेदभाव के विभिन्न रूपों मे आपको कोई समानता/पैटर्न दिखा देती है?
- आप इस पैटर्न को किससे जोड़ सकते हैं ?

प्रतिभागियों को जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करें।

चर्चा को समेटें: बताएं की इस तरह के भेदभाव का सामना ज्यादतर महिलावों को झेलना पड़ता है। ट्रांसजेंडर को भी झेलना पड़ता है। जिस भेदभाव का सामना हम अपने लिंग के कारण करते हैं उसे ही जेंडर आधारित भेदभाव करते हैं। जेंडर आधारित भेदभाव सीधे पितृसत्ता से जुड़ी हुई है। यह सत्ता सम्बन्धों या पवार रिलशनशिप के बारे में है। इसमे गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ें हैं। प्रतिभागियों को समझाएँ कि कैसे महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को हमारी परमपरवों और घर्म के द्वारा उचित और स्वीकृत किया जाता है। जैसे कहा जाता है कि "ढ़ोल, गवार, क्षुद्र, पशु, और नारी सकाल ताड़ना के अधिकारी। यानि महिलाओं का निचला दर्जा उनके खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव का आधार बन जाता है। पुरुष से कमतर माना जाता है, और पुरुष पूरी कोशिश करते हैं कि महिलायेँ अपनी पारंपरिक भूमिकओं में घर के अंदर सीमित रहें। ट्रांसजेंडर के साथ भी बहुत अलग तरीके का भेदभाव किया जाता है। सरकार ने अन्य जेंडर कि तरह मान्यता देय दी है फिर भी समाज मे इसे स्वीकार नहीं किया जाता है।

फसलिटेटर के लिए नोट्स

- यदि समूह मे कम पढे लिखे व्यक्ति हैं तो गतिविधि को अलग तरह से कर सकते हैं।
- प्रतिभागियों से पूछ कर एक चार्ट पेपर पर दो कालम बना लें और एक में महिलाओं के प्रति भेदभाव और दूसरे में पुरुष के प्रति भेदभाव को लिखें।
- बाकी गतिविधि समान रहेगी।

मुख्य संदेश

- सभी जेंडर समान है। कोई जेंडर किसी से छोटा बड़ा नहीं है। समाज के द्वारा बनाए गए यह मापदंड को तोड़ना एवं छोड़ना जरूरी है। तभी सभी को समान अवसर मिलेगा ।

मॉड्यूल ४ मर्दानगी

माड्यूलः ४ मर्दानगी

सामग्री	लक्षित वर्ग	
चार्ट पेपर, स्केच पेन	किशोर, युवा और पिता	01 घंटा

उद्देश्य

- मर्दानगी के बारे में सकारात्मक जानकारी और समझ बनाना।
- मर्दानगी का महिलाओं और पुरुषों पर प्रभाव को समझना।

गतिविधि– 11।1: मर्दानगी एक समझ

कड़ी

सत्र की शुरुआत पिछले सत्र के सीख और उपलब्धियों से करें। महिलाओं के आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले पहलों पर चर्चा कर उन्हें संकलित करें। किसी के नकारात्मक अनुभव या प्रतिक्रिया पर थोड़ी देर चर्चा कर उस पर रणनीति बनायें।

ब्रेनस्टार्मिंग

सहभागियों को निम्न सवाल का जवाब देने के लिए कहें। उन्हें स्पष्टतः बता दें कि वे कोई जवाब दोहरा नहीं सकते हैं। उनके जवाब को संकलित करेंः–

- मर्दानगी शब्द सुनते ही उनके दिमाग में क्या चित्र उभरता है।

मुख्य सन्देश

मर्दानगी का संबंध कुछ खाश विशेषताओं और गुणों से है जो परंपरागत रूप से मर्दों से जुड़े हुए होते हैं। ये पुरुषों को नियंत्रक, सत्ताधारी, श्रेष्ठ और बलशाली के रूप में स्थापित करते हैं। पर वास्तव में यह एक सामाजिक परिकल्पना है और इसका स्वरुप बदलता रहता है। यह सत्ता या ताकत से जुड़ी हुई है। जैसे यदि पुरुष का बॉस महिला है तो वहाँ वह नम्र रहता है परन्तु घर आते ही पत्नी और बच्चों के सम्मुख सत्तावान हो जाता है और विनम्रता खत्म हो जाती है।

फैसिलिटेटर के लिए नोट

उनसे कहें कि अभी हम एक प्रश्नोत्तरी करेंगे जो सहभागी जवाब से सहमत होंगे वे अपना एक हाथ ऊपर उठाएंगे तथा जो सहभागी सहमत नहीं होंगे वे अपना हाथ सीधा आगे कर देंगे।

1. असली मर्द वही है जो पत्नी को काबू में रख सके।
2. पत्नियों को पीटना पुरुषों का हक है।
3. मर्द को दर्द नहीं होता।
4. लड़कियों के साथ छेड़छाड़ या मजाक करने का हक तो मर्दों को समाज से मिला है।
5. सच्चा मर्द वह है जिससे लोग डरे नहीं बल्कि जिसके पास लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें।
6. पत्नी की बात मानने वाला नामर्द होता है।
7. अगर कोई महिला पुरुष से तर्क–वितर्क करती है तो वह उसके मर्दानगी को चुनौती है।
8. पत्नी या महिला से माफी माँगना मर्दों की निशानी नहीं है।
9. पुरुष अगर समाज की कसौटी में खरा न उतरे तो उसका मरना ही अच्छा है।
10. असली मर्द वही है जो ना तो हिंसा करता है ना ही दूसरों को करने देता है।
11. मर्द वह है जो दूसरे का सम्मान करता है और दूसरों के गरिमा का ध्यान रखता है।

प्रश्नोत्तरी

सहभागियों से पूछें क्या सवाल उन्हें वाजिब लगा।

- क्या ऐसे ही कुछ और अवधारणायें उनके समाज में है। यदि है तो चर्चा कर उन्हें संकलित करें।
- मर्दानगी का क्या प्रभाव पुरुषों पर पड़ता है?
- मर्दानगी का क्या प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है?
- उनके लिए मर्दानगी का सही अर्थ क्या है? (जवाब संकलित करें)।

मुख्य सन्देश

- प्रत्येक स्त्री या पुरुष का अलग–अलग स्वभाव और विशेषताएं होती हैं। सब सही या गलत नहीं होते। लेकिन समाज ने पुरुषों को श्रेष्ठ मानकर उनकी एक पहचान गढ़ दी है। अतः यदि कोई पुरुष भावनाओं और प्यार का इजहार करता है तो उसका 'मौगा, ज़नाना" आदि बोल कर मजाक उड़ाया जाता है, जबकि बहादुरी का कार्य करने वाली महिला को मर्दानी कहा जाता है।
- धीरे–धीरे यह सामाजिक अवधारणा खंडित हो रही है और जेंडर श्रेष्ठता के जगह योग्यता को प्राथमिकता दी जा रही है। फिर भी कहीं मर्दानगी रूपी श्रेष्ठता ग्रंथि अधिकतर पुरुषों में छिपी रहती है जो हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार का कारण बनती है, न सिर्फ दूसरों के साथ बल्कि खुद पुरुषों के साथ भी।
- हमने विगत सत्र में जाना था कि सत्ता का इस्तेमाल संरक्षण और भलाई के लिए भी हो सकता है। आज आवश्यकता है मर्दानगी के परिभाषा को पुनर्निर्धारित करने की।
- इसके लिए सहभागियों के पहल के बारे में पूछें। दिक्कत होने पर सत्र 11–3 का उपयोग संकेत देने के लिए करें। संबंधित पहल के बारे में पूछें। और प्रयास करें कि प्रत्येक प्रतिभागी कम से कम एक पहल के बारे में बताएं।

टना– प्रतिक्रिया

बारात द्वार पर पहुँच चुकी थी। वर माला के लिए जैसे ही कन्या स्टेज पर आयी, चारो और सुगबुगाहट प्रारंभ हो गयी। चर्चा का केंद्र कन्या की लम्बाई थी। वह वर से लम्बी थी।

निम्न प्रश्नों के आधार पर सहभागियों की राय लें–

- आखिर लड़की की लम्बाई चर्चा का विषय क्यों था? क्या कुछ गलत था?
- स्थानीय स्तर पर प्रचलित ऐसे ही कुछ उदाहरणों को संकलित करें जिससे समाज या पुरुष के अहम् को ठेस लगता है।

संभावित जवाब

दुल्हन की उम्र दूल्हा से ज्यादा हो	महिला की कमाई पुरुष से ज्यादा हो
चलते समय महिला पुरुष से आगे चलती हो	महिला पुरुष को बैठा कर गाड़ी चलाये
महिला पुरुष से ज्यादा पढ़ी लिखी हो	महिला ज्यादा प्राभावशाली हो

मुख्य सन्देश

- समाज में हमेशा पुरुषों को श्रेष्ठ के रूप में देखा जाता है। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं होता तो समाज इसे सहज स्वीकार नहीं करता।
- इस कुंठित श्रेष्ठताबोध से महिला और पुरुष दोनों ग्रसित होतें हैं। परिणामस्वरूप महिलाओं का अच्छा व्यवहार भी पुरुषों के तुलना में कमतर माना जाता है।
- शायद यही कारण है कि इस बोध से ग्रसित कुछ महिला जब पुलिस बनती हैं तो वह भी पुरुषों का अनुकरण कर उनके जैसा ही गाली देने लगतीं हैं।

मॉड्यूल ५ विवाह एवं शिक्षा

बाल संरक्षण तंत्र

5.1 फैसिलिटेटर के लिए

बाल कल्याण समितिः देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जिला स्तरीय समिति।

किशोर न्याय बोर्डः कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए जिला स्तरीय बोर्ड।

जिला बाल संरक्षण इकाईः इस जिला स्तरीय समिति में अनेक बाल संरक्षण पदाधिकारी होते हैं।

बाल संरक्षण समितिः इसका गठन जिला, प्रखंड एवं ग्राम(शहरों में वार्ड) स्तर पर किया गया है।

विशेष किशोर पुलिस इकाईः हर पुलिस थाना में बाल संरक्षण अधिकारी।

झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण आयोगः बाल संरक्षण के मुद्दों पर सुनवाई हेतु राज्य स्तरीय आयोग।

चाइल्ड लाइनः देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आपातकालीन, निशुल्क सेवा। फोन नंबर –1098

बाल विवाह निषेध पदाधिकारीः प्रखंड विकास पदाधिकारी। इन्हें नोडल अधिकारी भी कहा जाता है।

बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.)

राज्य में समुचित शिक्षा एवं जनचेतना की कमी के कारण बड़ी संख्या में, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह सम्पन्न होते हैं यह पुरानी सामाजिक कुरीति होने के साथ–साथ बच्चों के अधिकारों का एक निर्मम उल्लंघन है। सभी बच्चों को परिपूर्ण देखभाल व सुरक्षा का अधिकार होता है, परन्तु बाल विवाह से बेहतर स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा पाने और हिंसा, उत्पीड़न व शोषण से बचाव के मूलभूत अधिकारों का हनन होता है।

कम उम्र में विवाह करने से बच्चों के शरीर और मस्तिष्क, दोनों को बहुत गंभीर और घातक खतरे की संभावना रहती है। कम उम्र में विवाह से शिक्षा के मूल अधिकार का भी हनन होता है, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अनपढ़ और अकुशल रह जाते हैं, जिससे उनके सामने अच्छे रोजगार पाने और बडे होने पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की ज्यादा संभावना नहीं बचती है। बाल विवाह से बालिकाओं के साथ होने वाली यौन एवं घरेलू हिंसा को भी बढ़ावा मिलता है।

भारत सरकार द्वारा देश में बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम हेतु **''बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम,** 2006'' लागू किया गया है। इस विशेष अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष के कम उम्र के बालक का विवाह करना या रचाना एक संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध घोषित किया गया है। साथ ही बाल विवाह को शून्यकरण, इन्हें रोकने, पीड़ित बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने और दोषियों को सजा देने तथा संवेदीकरण व जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) की नियुक्ति किये जाने का प्रावधान किया गया है। स्थानीय प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट को बाल विवाह रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने की शक्तियां भी दी गई है। अधिनियम में बाल विवाह के आयोजन में सम्मिलित होने वाले रिश्तेदार, बारातियों, पण्डित, हलवाईयों, टेण्ट वाले, बैंड बाजा इत्यादि को सजा दिये जाने जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं।

राज्य के बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को प्रभावकारी रूप से लागू करने हेतु झारखण्ड बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली 2015 लागू किया गया है। जिसके अनुसार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी बनाया गया है। बाल विवाह का विषय बाल संरक्षण के दायरे में आता है इसलिए इसकी प्रभावी रोकथाम हेतु निम्नानुसार मानक संचालन प्रक्रिया (एस।ओ।पी।) निर्धारित की जाती हैः–

1 बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी की जिम्मेदारियां

(क) बाल विवाह रोकने हेतूः

1. बाल विवाह से उत्पन्न होने वाली बुराइयों के प्रति जागरूकता लाना।
2. समुदाय को बाल विवाह के मुद्दे पर संवेदनशील करना।

(ख) अगर निकट भविष्य में कोई बाल विवाह होने वाला है:

1. दोनो पक्षों के घर जाकर अभिभावकों/रिश्तेदारों/समुदाय के लोगों को इस बात से अवगत कराएँ कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है एवं इसे नहीं किया जाये।
2. लड़के/लड़की से बात कर उन्हें बाल विवाह और उसके परिणामों से अवगत कराना तथा बच्चे को उसके बाल विवाह से संरक्षण के अधिकार के बारे में अवगत कराना।
3. ग्राम पंचायत, स्थानीय नेताओं, शिक्षकों, सरकारी अधिकारियों/लोक सेवकों, स्थानीय एनजीओ की मदद लेकर बाल विवाह की रोकथाम सुनिश्चित कराना।
4. यदि बच्चे के अभिभावक बाल विवाह की योजना से पीछे नहीं हटते हैं तो अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत बाल विवाह रोकने के लिए संबंधित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कर निषेधाज्ञा जारी कराना।
5. बच्चे के सुरक्षा व देखभाल के मामले में आवश्यकता पड़ने पर संबंधित बाल कल्याण समिति की मदद लेना।
6. ऐसे बच्चों के अभिभावकों से बाल विवाह नहीं करने का शपथ पत्र भरवाया जायेगा। इसका उल्लंघन होने पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल की जायेगी।
7. व्यक्ति अथवा स्थानीय समुदाय को बाल विवाह को प्रोत्साहित न करने एवं सहयोग न देने अथवा स्वीकृति न देने के संधर्भ में परामर्श देना।

(ग) जिस समय विवाह संपन्न हो रहा है

1. इस बात की जानकारी तत्काल संबंधित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को देना, जिससे वह बाल विवाह रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकें।
2. संपन्न हो रहे विवाह के बारे में सबूत (जैसे फोटोग्राफ्स, निमंत्रण पत्र, शादी के संबंध में किए गए भुगतानों की पर्ची) आदि इकट्ठा करना।
3. दोषियों की सूची बनाना, जिसमें विवाह का जोड़ बिठाने (अगुवा), विवाह करवाने, समर्थन देने, सहायता या प्रोत्साहन देने के लिए जिम्मेदार या ऐसी शादी में शामिल होने वाले सम्मिलित हैं।
4. पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर दोषियों को गिरफ्तार करवाना।
5. यदि बच्चे के साथ जबर्दस्ती की जा रही है या बच्चे के जीवन को खतरा दिखाई देता है तो तत्काल ऐसे बच्चे को सुरक्षा व सहायता प्रदान करने हेतु बच्चे को संबंधित बाल कल्याण समिति के सामने पेश कर उसकी सुरक्षा एवं आश्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
6. बाल विवाह के आयोजन को यथानुरूप कार्यवाही कर रोकना।
7. इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्रभावकारी विधिक कार्यवाही हेतु साक्ष्य एकत्रित करना।
8. राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकार के माध्यम से व्यथित व्यक्ति को विधिक सहायता प्रदान करना।
9. पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर दोषियों को गिरफ्तार कराना।
10. किसी बाल विवाह के अनुष्ठान की सूचना मिले जिसमें बच्चा या बची अवयस्क हो तो अनैतिक व्यापार (प्रविषेध) अधिनियम (1956 का 104) के अधीन नियुक्त विशेष पुलिस पदाधिकारियों सहित पुलिस पदाधिकारियों को सूचित करना। यदि
    - विधि पूर्ण अभिभावक से ले लिया गया हो या फुसला कर ले जाया गया हो, या
    - बल पूर्वक बाध्य किया गया हो, या
    - किसी स्थान से जाने के लिए किसी प्रवान्चानापूर्व उपाय से उत्प्रेरित किया गया हो, या
    - विवाहित हो और इसके बाद अनैतिक प्रयोजन के लिए बेचा गया हो या दुर्व्यापारित या उपयोग किया गया हो।

(घ) अगर बाल विवाह हो चुका है:

1. संपन्न विवाह के बारे में सबूत (जैसे फोटोग्राफ्स, निमंत्रण पत्र, शादी के संबंध में किए गए भुगतानों की पर्ची) आदि इकट्ठा करना।
2. दोषियों की सूची बनाई जायेगी, जिसमें विवाह का जोड़ बिठाने, करवाने, समर्थन देने, सहायता या प्रोत्साहन देने के लिए जिम्मेदार हैं या ऐसी शादी में शामिल होते हैं।
3. पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए दोषियों को गिरफ्तार करना।
4. आवश्यकतानुसार पीड़ित बच्चे को 24 घंटों के भीतर संबंधित बाल कल्याण समिति के सामने पेश करना।
5. पीड़ित बच्चे के बयान कर/कराकर उसकी सुरक्षा एवं देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
6. पीड़ित बच्चे के बाल विवाह के शून्यकरण के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायालय एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत घोषित विशेष न्यायालय (ADJ–1) के माध्यम से तत्काल आवश्यक कार्यवाही अमल में लाना।
7. बच्चों को चिकित्सकीय सहायता, कानूनी सहायता, काउंसलिंग, गुजारा भत्ता, पुर्नवास आदि सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराना।
8. अगर बच्चा अपने मां–बाप के साथ ही रहता है, तो नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई तथा निरीक्षण करवाना। बच्चे को उसके घर से अलग करना आखिरी विकल्प के रूप में बच्चे के हित में देखा जायेगा।
9. यदि आवश्यक हो तो बच्चे को अनुवर्ती (फालोअप) सहायता उपलब्ध करवाने के लिए स्थानीय स्वयं सेवी संस्था की मदद ली जायेगी।
10. पीड़ित बच्चे के विरूद्ध हुए किसी भी दूसरे अपराध की जांच में भी मदद उपलब्ध करवाना।

(ड) बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियाँ:–

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग निम्नानुसार कर सकेंगे:–

- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच करने तथा सक्षम दंडाधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन करने हेतु सशक्त होंगे।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को जब भी युक्तियुक्त आधार पर विश्वास हो कि इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध घटित हो चुका है अथवा हो रहा है अथवा होने वाला है तथा किसी परिसर की तलाशी बिना वारंट अविलंब संभव नहीं है, वह अपने विश्वास का आधार जिला दंडाधिकारी को भेजकर उन परिसरों की तलाशी बिना वारंट के भी ले सकेंगे।
- उपायुक्त जिला दंडाधिकारी को मामला को सूचित करने के साथ–साथ इलेक्ट्रॉनिक अथवा मौखिक/लिखित सहमति प्राप्त कर सकेंगें।

2. जिला महिला एवं बाल विकास विभाग

1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही, संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय एवं ग्राम बाल संरक्षण समिति द्वारा आवश्यक निगरानी सुनिश्चित करना।
2. बाल विवाह रोकथाम में महिला समिति, सी।डी।पी।ओ, प्रवेक्षिका, आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहिया, सहयोगिनी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को आवश्यक सहयोग उपलब्ध करना एवं बाल विवाह की रोकथाम में वातावरण निर्माण हेतु निर्देशित करना।
3. जिन बालक/बालिकाओं का बाल विवाह हुआ है उनकी सूची तैयार करना एवं आवश्यकतानुसार बाल विवाह के शून्यकरण के संबंध में तत्काल जानकारी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को देना।
4. सबला योजना के लाभान्वित बालिकाओं में बाल विवाह की रोकथाम हेतु किशोरी समूह के माध्यम से माहौल निर्माण किया जायेगा।
5. महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों मुख्यतः किशोरी शक्ति योजना, जननी शिशु योजना, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना आदि के बारे में व्यापक जन प्रचार प्रसार एवं उन्हें योजनाओं ध्कार्यक्रमों से जोडना।

6. जिलों में कार्यरत जिला बाल संरक्षण ईकाई के माध्यम से भी बाल विवाह के शून्यकरण कराने हेतू प्रयास एवं बालिका को काउंसलिंग सेवा उपलब्ध कराना तथा प्रचार प्रसार करना।
7. मासिक बैठक में आँगनवाड़ी कार्यकर्ता से ग्राम बाल संरक्षण समिति द्वारा बैठक एवं समिति के द्वारा बाल विवाह रोकथाम हेतू किये गये प्रयासों का रिपोर्ट एवं कार्ययोजना पर चर्चा।

3. पुलिस विभाग

1. बाल विवाह होने के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायत की सूचना तत्काल बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को देना तथा बाल विवाह की घटना में जाकर समुदाय को समझाकर बाल विवाह रोकने का प्रयास करना।
2. निकट भविष्य में बाल विवाह होने की सूचना जिला मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम नयायिक मजिस्ट्रेट को दी जायेगी ताकि निषेधाज्ञा जारी की जा सके।
3. बाल विवाह के पीड़ित बच्चों को आवश्यकता पडने पर तत्काल मुक्त करा कर संबंधित बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया जायेगा।
4. पीड़ित बालिका से बातचीत हेतु महिला पुलिस अधिकारी/महिला सामाजिक कार्यकर्ता/अध्यापिका/आंगनबाडी कार्यकर्ता/एएनएम इत्यादि की मदद ली जायेगी।
5. स्थानीय पुलिस/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बाल विवाह के प्रकरणों में बिना देरी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अतिरिक्त किशोर न्याय अधिनियम, 2000 लैगिंक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2021 एवं भारतीय दंड संहिता की प्रांसगिक धाराओं में एफआईआर दर्ज करेंगे। संबंधित आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जायेगा।
6. विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा बच्चों के विरूद्ध अपराध जिनमें बाल विवाह एवं लड़कियों की खरीद–फरोख्त, तस्करी मुख्य है, की रोकथाम के संबंध में कार्य–योजना तैयार कर आवश्यक कार्यवाही करना।

4. जिला परिषद/ग्राम पंचायत/पंचायत समिति

1. बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर पंचायत सदस्य दोनों पक्षों के अभिभावकों/रिश्तेदारों/समुदाय से बातचीत कर बाल विवाह को रोकने हेतू कोशिश करना।
2. लड़के/लड़की से बात कर उन्हें बाल विवाह और उसके परिणामों से अवगत कराना तथा बच्चे को उसके बाल विवाह से संरक्षण के अधिकार के बारे में अवगत कराना।
3. अधिनियम की धारा 16(2) के तहत नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को बाल विवाहों की रोकथाम करने में मदद करना।
4. यह सुनिश्चित करना कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के किसी भी सदस्य की ओर से बाल विवाहों को प्रोत्साहन न दिया जाए।
5. गांवों में इस अधिनियम एवं बाल विवाह के बारे में जागरूकता पैदा करने का कार्य करना। ग्राम सभा की बैठको में नियमित रूप से बाल विवाह रोकथाम चर्चा कराना।
6. गाँव के वार्ड सदस्य के द्वारा शादी निबंधन रजिस्टर का संधारण नियमानुसार करना।
7. पंचायत के मुखिया द्वारा मंदिर समिति मौलबी को पत्र निर्गत कर यह सूचित करना कि कानूनी उम्र के अनुसार शादी सम्पन्न किया जाए।
8. पंचायत के मुखिया द्वारा शादी के लिए परिवार को उम्र का सत्यापन कर प्रमाण पत्र निर्गत करना। यह स्कूल प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र पर आधारित हो। अगर इन दोनों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है तब ही आधार पर आधारित उम्र का सत्यापन किया जा सकता है।
9. यह सुनिश्चित करना कि गाँव की सभी शादियां लड़कियों का 18 वर्ष से अधिक एवं लड़कों का 21 वर्ष से अधिक में हो तथा गाँव में जो वधु आ रही है उसका उम्र भी 18 वर्ष से ऊपर हो।
10. जिन बच्चों के बाल विवाह हो चुका है और जो अपना विवाह रद्द करना चाहते हैं उनकी सूची तैयार कर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को उपलब्ध कराना ताकि बाल विवाह निरस्तीकरण संबंधी कार्यवाही की जा सके।

11. सभी बच्चों, खासतौर से लड़कियों को स्कूल में दाखिला एवं ठहराव सुनिश्चित कराना।
12. बाल विवाह रोकथाम के लिए अपने पंचायत के सुदूर/दुर्गम/आर्थिक रूप से कमजोर किशोरियों को उच्च शिक्षा हेतू आवश्यक सहयोग करना।
13. प्रखण्ड एवं ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति को सक्रिय करते हुए बाल संरक्षण के मुद्दों मुख्यतः बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल मजदूरी एवं बाल उत्पीड़न पर जागरूकता एवं रोकथाम संबंधी कार्य करना।

5. जिला शिक्षा विभाग/स्थानीय विद्यालय

अधिनियम में प्रत्येक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिका को अधिनियम की धारा 16(2) के अंतर्गत बाल विवाह रोकने के लिए नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सहायता करने का जिम्मा सौंपा गया है।

1. विद्यालय प्रशासन को बाल विवाह हो रहा है या बाल विवाह होने वाला है कि सूचना मिलती है, तो इसके बारे में तत्काल नजदीकी पुलिस थाने/बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी/चाइल्ड लाइन (1098)/ग्राम पंचायत को सूचित करना।
2. विद्यालय में ऐसे बच्चों पर सीधी नजर रखें जो बाल विवाह का शिकार बन सकते हैं। स्कूल में ऐसे बच्चों की नियमित हाजिरी सुनिश्चित करना।
3. यदि किसी बच्चे की गैरहाजिरी संदेहास्पद लगती है तो तत्काल उस बच्चे के घर जाकर उससे मिलने एवं गैरहाजिरी के संबंध में पूछताछ करना।
4. विद्यालय प्रबंधन समिति एवं अभिभावकों के साथ नियमित बैठक लेकर उन्हें बाल विवाह के दुष्परिणाम एवं बाल विवाह नहीं करने संबंधी जानकारी प्रदान करना।
5. विद्यालयों में बच्चों को बाल विवाह एवं उनके अधिकारों के बारें में अवगत कराना।
6. प्रत्येक विद्यालय में चाइल्ड लाइन का फोन नंबर अंकित किए जाये ताकि बच्चे उन पर अपनी शिकायतें भेज सकें।
7. किशोर–किशोरियों के लिए कैरियर परामर्श की व्यवस्था करना।
8. कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय में प्रचार–प्रसार करना ताकि किशोरियों का बाल विवाह के नुकसान से अवगत किया जा सके।

6. बाल कल्याण समिति

1. बाल विवाह होने की सूचना/शिकायत मिलने पर समिति द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए विवाह को रूकवाने हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (सीएमपीओ)/स्थानीय पुलिस को आदेशित करना।
2. बाल विवाह में लिप्त दोषियों के विरूद्व पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु निर्देशित करना।
3. बाल विवाह के पीड़ित बच्चों को मुक्त कराने संबंधी कार्यवाही के दौरान चाइल्ड लाइन सेवा एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी उपस्थित रहने तथा आवश्यकतानुसार सहयोग करने हेतु निर्देषित करना।
4. पीड़ित बच्चे के बयान दर्ज कर उसकी सुरक्षा एवं देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
5. बच्चों को चिकित्सकीय सहायता, काउंसलिंग, मुआवजा, गुजारा भत्ता, पुर्नवास आदि सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाना।
6. बाल विवाह से जन्मे हुऐ नवजात शिशुओं को यदि बालिका पालने में अक्षम है तो उसके पति या पति के परिवार से गुजारा भत्ता दिलवाना।
7. यदि बालिका अपने भविष्य के कारण शिशु का परित्याग करना चाहती है तो उसे नियमानुसार शिशु को समर्पित करने की प्रक्रिया से अवगत कराना। यथासंभव कोशिश करना कि शिशु माँ से अलग ना हो और उसको सारे वैधिक अधिकार संरक्षित रहें।
8. समिति के समक्ष आने वाली बाल विवाह की पीड़ित बालिकाओं को आवश्यकता अनुसार निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना।
9. समिति द्वारा ऐसे बालक–बालिकाओं के परिवारजनों को आवश्यक परामर्श उपलब्ध करा कर बच्चों के भविष्य के संबंध मे बेहतर निर्णय लेने मे सहयोग करना।

7. जिला बाल सरंक्षण इकाई (महिला एवं बाल विकास)

1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना।
2. जिला स्तरीय बाल विवाह रोकथाम योजना बनाना तथा जिला बाल संरक्षण समिति के बैठक में उपायुक्त द्वारा कार्ययोजना का समीक्षा करना।
3. जिला कार्य योजना के क्रियान्वयन के तहत बाल विवाह के बारे में आवश्यक जन जागरूकता हेतु सतत् अभियान चलाना तथा इसमें आवश्यकता अनुसार स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लेना।
4. पीड़ित बच्चों को आवश्यकता अनुसार विधिक सहायता, आश्रय एवं संरक्षण की व्यवस्था करवाना।
5. बाल विवाह के संभावितध्पीड़ित बच्चों के परिवारों की आर्थिक/सामाजिक स्थिति खराब होने पर उनकों प्राथमिकता से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं/कार्यक्रमों से जोड़ा जाना।
6. जन समुदाय मे राज्य सरकार की विवाह रोकथाम हेतू संबंधी मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के बारे में भी जागरूकता पैदा करना ताकि बाल विवाह जैसी परम्पराओ पर रोक लग सके।
7. ग्राम बाल संरक्षण समिति के द्वारा सभी बच्चों उम्र अनुसार सूची तैयार करना तथा संधारण करना (स्कूल रजिस्टर/जन्म प्रमाण पत्र)।

8. जिला प्रशासन

1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही एवं निगरानी सुनिश्चित करना।
2. जिला उपायुक्त द्वार सामूहिक विवाह के मामलो में तत्काल निषेधाज्ञा जारी करना।
3. बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण करवाना।
4. बाल विवाह की रोकथाम हेतु समस्त प्रशासनिक एवं राजकीय संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करना।
5. बाल विवाह के संबंध में चाइल्ड लाइन को आवश्यक जागरूकता पैदा करना तथा बाल विवाह रोकने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
6. बाल विवाह रोकथाम के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी सभी दिशा–निर्देशों की सख्ती से पालन करना।
7. बाल विवाह मुक्त गाँवों के निर्माण एवं बाल विवाह की रोकथाम मे सक्रिय भागीदारी निभाने वाली ग्राम पंचायतो को प्रोत्साहित किया जाना।
8. विवाहों के पंजीकरण संबंधी कार्यों को बढ़ावा देकर इनका पंजीयन सुनिश्चित करना।
9. जिला उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला परिषद द्वारा जिला बाल संरक्षण की त्रैमासिक बैठक में बाल विवाह रोकथाम के लिए बने कार्य योजना की समीक्षा करना।

बाल विवाह संबंधित कानून एवं नियमः

- बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006
- राज्य बाल विवाह निषेध नियम, 2015
- किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000
- किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, (पोक्सो अधिनियम 2012) संशोधन 2019)
- पोक्सो नियम 2000
- महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005
- महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण नियम, 2006

बाल विवाह निषेध अधिनियम

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं

- **बाल विवाहः** लड़कों का विवाह 21 वर्ष और लड़कियों का विवाह 18 वर्ष के पूर्व बाल विवाह है और यह प्रतिबंधित है।
- **विवाह की मान्यताः** विवाह बंधन में आने के बाद किसी भी बालक या बालिका की अनिच्छा होने पर उस विवाह को दो साल के अंदर जिला न्यायालय में अर्जी दायर कर अवैध घोषित करवाया जा सकता है।
- **संरक्षणः** विवाह के लिए बालक/बालिका को उसके कानूनी संरक्षक से दूर ले जाना या मजबूर करना अपराध है।
- **भरण–पोषणः** जिला न्यायालय किशोरी के वयस्क पति को भरण–पोषण देने का आदेश दे सकता है। यदि विवाह बंधन में लड़का नाबालिग है तो लड़की का भरण–पोषण का जिम्मेदारी उसके माता–पिता को होगा।
- **दानः** न्यायालय के आदेशानुसार दोनो पक्षों को विवाह में दिए गए गहने, कीमती वस्तुएं और धन लौटाने होंगे।
- **बाल विवाह के लिए दोषीः** 18 साल से अधिक लेकिन 21 साल से कम उम्र का वर, बालक या बालिका के माता, पिता, संरक्षक, बाराती, अन्य मेहमान, टेंट का सामन देने वाला, केटरर, विवाह को संचालित अथवा दुष्प्रेरित करने वाले व्यक्ति जैसे अगुवा, पंडित आदि तथा विवाह में शामिल लोग बाल विवाह के लिए दोषी माने जायेंगे।
- **बाल विवाह से संबंधित दंडः** बाल विवाह के आरोपियों को दो साल तक का कठोर कारावास या एक लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनो एक साथ हो सकते हैं। विवाह में शामिल लोगों को तीन महीने तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। इस कानून के तहत किसी महिला को कारावास की सजा नहीं होती है।
- **बाल विवाह की शिकायतः** जिस व्यक्ति का बाल विवाह करवाया जा रहा हो उसका कोई रिश्तेदार दोस्त या जानकार बाल विवाह के बारे में थाने जाकर बाल विवाह की जानकारी दे सकता है। इस पर पुलिस पूछताछ करके मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेजती है।
- **बाल विवाह निषेध अधिकारीः** इस कानून के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर नोडल पदाधिकारी होता है। जिला स्तर पर जिला जिला मजिस्ट्रेट के पास बाल विवाह निषेध अधिकारी की शक्तियां होती हैं।
- **बाल विवाह से संबंधित मामलो में याचिकाः** बाल विवाह कानून के तहत किसी भी राहत के लिए संबधित निम्नलिखित जिला न्यायालय में अर्जी दी जा सकती है– प्रतिवादी के निवास स्थान से संबंधित जिला न्यायालय, विवाह का स्थान, जिस जगह पर दोनो पक्ष पहले से एक साथ रह रहें थे या याचिकाकर्ता वर्तमान मे जहाँ रह रहा हो उससे संबंधित जिला न्यायालय।

पोक्सो अधिनियम

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस) संक्षिप्त रूप में पोक्सो अधिनियम 2012 के नाम से जाना जाता है। इसमें बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न संबंधी जघन्य अपराधों को रोकने का प्रावधान है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं–

- इसने भारतीय दंड संहिता, 1860 के अनुसार सहमती से सेक्स करने की उम्र को 16 वर्ष से बढाकर 18 वर्ष कर दिया है। इसका मतलब है कि–
    - यदि कोई व्यक्ति (एक बच्चा सहित) किसी बच्चे के साथ उसकी सहमती या बिना सहमती के यौन कृत्य करता है तो उसको पोक्सो एक्ट के अनुसार सजा मिलनी ही है।
    - यदि कोई पति या पत्नी 18 साल से कम उम्र के जीवनसाथी के साथ यौन कृत्य करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
- पोक्सो कनून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई, एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है, के उपस्थिति में होनी चाहिए।

- यदि अभियुक्त एक किशोर है, तो उस पर किशोर न्याय बोर्ड में बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के तहत के मुकदमा चलाया जाता है।
- यदि अपराधी ने कुछ ऐसा अपराध किया है जो कि बाल अपराध कानून के अलावा अन्य कानून में भी अपराध है तो अपराधी को सजा उस कानून में तहत होगी जो कि सबसे सख्त हो।
- इसमें खुद को निर्दोष साबित करने का दायित्व अभियुक्त पर होता है। इसमें झूठा आरोप लगाने, झूठी जानकारी देने तथा किसी की छवि को खराब करने के लिए भी सजा का प्रावधान है।
- इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है तो उसके इसकी रिपोर्ट नजदीकी थाने में देनी चाहिए, यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे छह महीने की कारावास और आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
- बच्चे के यौन शोषण का मामला घटना घटने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया जाना चाहिए।
- पोक्सो अधिनियम के तहत बच्चें का बयान के लिए बार बार पुलिस स्टेशन या न्यायलय में नहीं बुलाना है।
- 164 के बयान के समय बच्चा जिसपर भरोसा करता है उसे अपने साथ रख सकता है।
- 164 बयान के समय आरोपी को पीड़िता के सामने नहीं लाना है।
- इस अधिनियम के तहत बच्चें का मेडिकल जाँच अभिभावक या बच्चा जिस पर भरोसा करता है उसके सामने किया जाना है।
- यदि पीड़िता बच्ची है तो मेडिकल जाँच महिला डॉक्टर के द्वारा किया जाना है।
- इस अधिनियम के तहत थ्त् की कॉपी अभिभावक को निशुल्क उपलब्ध करवाना है।
- इस अधिनियम के तहत बच्चा जहाँ अपने आप को अनुकूल समझे उस स्थान पर बयान लेना है।
- यदि बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग हो तब मजिस्ट्रेट या पुलिस विशेष शिक्षक या बच्चे की भाषा समझने वाले व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं।
- बच्चें का बयान आडियो/वीडिओ इलेक्ट्रोनिक माध्यम से रिकॉर्ड किया जाना है।
- अभिभावक बच्चे के अधिकार के संरक्षण हेतु अपने पसंद का कानूनी सलाहकार नियुक्त करने का हकदार हैं।
- यदि अभिभावक कानूनी सलाहकार का व्यय उठाने में असमर्थ है तो विधिक सहायता प्राधिकरण उन्हें वकील उपलब्ध करवाएगा।

किशोर न्याय (बच्चों का देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम

- किशोर न्याय (बच्चों का देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित देख–रेख, संरक्षण, त्वरित न्याय एवं सामाजिक न्याय हेतु प्रमुख कानून है। बच्चों के सर्वोत्तम हित एवं बाल मैत्री दृष्टिकोण पर आधारित यह कानून बाल संरक्षण के प्रयासों का आधार है।
- इस अधिनियम का धारा 75 बच्चों के प्रति क्रूरता का वर्णन करती है। इस धारा के तहत अगर कोई बच्चों पर नियंत्रण रखते हुए बच्चे का शोषण या उत्पीड़न करेगा जिससे उसका शारीरिक या मानसिक कष्ट की संभावना है तो यह बाल–क्रूरता का दोषी माना जायेगा और उसे तीन वर्ष या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
- इस अधिनियम के नियमावली 2016 के नियम 55 के अनुसार शादी के लिए बच्चे को देना बच्चों के प्रति क्रूरता माना जायेगा और उसे अधिनियम के धारा 75 के अनुरूप सजा होगी।

इस अधिनियम के कुछ अन्य प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं–

- इस अधिनियम के नियमावली 2016 की धारा 83 के अंतर्गत यदि कोई नाबालिक बच्चा अपराध करता है तो उसके माँ–बाप या पालक को जेल हो सकती है। इसके साथ ही जिसके संगत में बच्चा अपराध कर रहा है उसे भी जेल भेजा जा सकता है।
- इस अधिनियम के धारा 77 आदर्श नियम 2016 के अंतर्गत बच्चें का अंग–भंग करके भीख मंगवाने, नशीला पदार्थ का स्मगलिंग करवाने वाले खिलाफ कारवाई का प्रावधान है।

- अधिनियम की धारा 80 किसी अनाथ, परित्याग या छोड़े हुए बच्चें को किसी भी व्यक्ति/संस्थान के द्वारा बिना दत्तक प्रकिया के लिया या दिया जाना अपराध है। यदि इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है तो पुलिस अविलम्ब FIR दर्ज करेगी।
- अधिनियम की धारा 80 के अनुसार किसी बच्चे की खरीद बिक्री पर पुलिस को सूचना देने पर पुलिस अविलम्ब FIR दर्ज करेगी।
- अधिनियम की धारा 82 के अनुसार किसी संस्थान में रहने वाले बच्चे को शारीरिक दण्ड मिलने पर इसकी शिकायत बच्चा या बच्चें की ओर से कोई भी कर सकता है।

बाल विवाह के रोकथाम के लिए पंचायत की विशेष भूमिका :

- बाल विवाह के रोकथाम के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी की मदद करना।
- सुनिश्चित करना कि कोई पंचायत सदस्य बाल विवाह को बढ़ावा ना दें।
- ग्राम सभा में बाल विवाह कुरीति, जेंडर समानता और बच्चों के शिक्षा के महत्व पर चर्चा करना।
- बाल विवाह कुरीति पर समाज और किशोरों एवं किशोरियों में जागरूकता और संवेदनशीलता लाना।
- शादी/लगन से पूर्व बाल विवाह रोकथाम से संबंधित अभियान चलाना।
- विद्यालय में लड़को और लड़कियों के नामांकन तथा ठहराव के लिए प्रयास करना।
- स्कूल ड्राप आउट बच्चों का सूची तैयार कर उनका ट्रेकिंग करना।
- बाल विवाह रोकथाम हेतु बाल संरक्षण से जुड़े संपर्क नंबर का संग्रह करना।
- ग्राम स्तर पर विवाह पंजीकरण करवाना।
- किशोर और किशोरियों के सशक्तिकरण पर कार्य करना ताकि वे अपने जीवन संबंधी सही निर्णय ले सकें।
- बाल विवाह की सूचना मिलने पर उसे रोकने का प्रयास करना और तथा इसकी सूचना नोडल पदाधिकार को देना। जो बच्चे अपना विवाह रद्द करना चाहते उनकी सूची बनाकर बाल विवाह निषेध अधिकारी को उपलब्ध कराना।
- बाल विवाह रोकने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर किशोरियों को आर्थिक सहयोग प्रदान करवाना।
- जोखिम वाले परिस्थिति में रहने वाले परिवार एवं किशोरियों का सरकारी योजना तक पहुँच बनाना।
- बाहरी व्यक्तियों द्वारा विवाह हेतु लालच देने वालोवालों पर निगरानी रखना।
- बाल विवाह के मुद्दे को ग्राम सभा में उठाना और नियमित रूप से उस पर चर्चा करना और निगरानी रखना।
- चाइल्ड लाइन के संबंध में प्रचार–प्रसार करना और बाल विवाह होने पर इसकी सूचना देना।
- ग्राम बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष गाँव के ग्राम प्रधान तथा प्रखंड बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष प्रमुख और उपाध्यक्ष उप–प्रमुख होतें हैं। इस पद के अनुसार उनकी विशेष जिम्मेदारी होती है।

बाल विवाह निवारण से संबंधित योजनाएँ

झारखण्ड राज्य में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा **"झारखण्ड राज्य की कार्य योजना"** तैयार की गई है जिसमे राज्य के विभिन्न विभागों सहित संस्थाओं, समुदाय और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तय की गई है। इस कार्य योजना में कानून और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और जागरूकता हेतु भी प्रयास किया गया है। यही नहीं विभिन्न समितियों को क्रियाशील बनाने की रणनीति भी तैयार की गई है। इसके अलावे कुछ प्रमुख योजनायें निम्नलिखित हैं।

- **समेकित बाल संरक्षण योजनाः** इसके तहत, संरक्षण एवं देखभाल की जरुरत वाले परिवार के बच्चों के लिए प्रायोजकता का प्रावधान है जो उन्हें परिवार से अलग होने से रोकता है।
- **सबला और तेजस्विनी योजनाः** ये योजनायें किशोरियों की भागीदारी और सशक्तिकरण के द्वारा उनमें जीवन कौशल की क्षमता विकसित करते हैं साथ ही बाल विवाह रोकने और अन्य सामाजिक मुद्दों पर उनकी समझदारी भी विकसित करते हैं।
- **राष्ट्रीय किशोरधकिशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रमः** यह कार्यक्रम किशोरियों के पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, हिंसा और अघात के रोकथाम, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, प्रजनन की तैयारी, किशोरावस्था में गर्भाधान की रोकथाम आदि के द्वारा बाल विवाह रोकने का प्रयास करती है।

- **मुख्यमन्त्री लक्ष्मी लाडली योजनाः** इस योजना के तहत सरकार द्वारा बेटी के जन्म (निबंधन) से अगले पांच साल तक 6000 रूपये उसके नाम से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जमा किया जाता है।
- **सुकन्या समृद्धि योजनाः** यह योजना भी बालिका के 10 वर्ष की उम्र से, बालिका के वयस्कता तक तय राशी जमा करने पर अधिक लाभ द्वारा बाल विवाह को हतोत्साहित करती है।
- **मुख्यमन्त्री कन्यादान योजनाः** निर्धन परिवार के किशोरियों के विवाह के सहातार्थ यह योजना भी बालिका के विवाह में देरी को प्रोत्साहित करती है, जब तक वह वयस्क ना हो जाये।
- **समग्र शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयः** ये योजनायें माध्यमिक स्तर तक बालिका शिक्षा को बढ़ावा देती हैं, साथ ही उन्हें संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करती हैं जिससे बाल विवाह को रोका जा सके।
- **बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओः** इस योजना का उद्देश्य बालिका उत्तरजीविता, उनका उचित संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा सहित लिंगानुपात बेहतर कर बालिका के महत्व का बढ़ावा देना है। ये सभी प्रयास उतरोत्तर बाल विवाह को रोकने में सहायक होते हैं।
- **शैक्षिक छात्रवृति कार्यक्रमः** बालिकाओं के शिक्षा के लिए छात्रवृति दिया जाता है, ताकि उनकी शिक्षा अबाध रहे। यह बाल विवाह के संभावना को सीमित करता है।
- **शैक्षिक सहायताः** बालिकाओं के शिक्षा के लिए निःशुल्क शिक्षा सहित, परिवहन के लिए साईकिल वितरण आदि सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
- **कौशल विकास योजना और व्यावसायिक प्रशिक्षणः** सरकार के विभिन्न कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना लड़कियों की आर्थिक स्वनिर्भरता को बढ़ाकर बाल विवाह रोकने में मदद करते हैं।

सामाजिक मानदण्ड

ये समाज के वे नियम हैं जो समाज द्वारा स्वीकार किए गए होते हैं। इनका पालन समाज के अधिकांश लोग करते हैं। वस्तुतः सामाजिक मानदण्ड हमारे व्यवहारों पर नियन्त्रण रखते हैं और हमें उचित–अनुचित में अन्तर बताते हैं। दूसरे शब्दों में समाज में अचारण के नियम ही सामाजिक मापदण्ड कहलाते हैं। सामाजिक मानदण्ड जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी संख्या अनगिनत है। इनकी सूची भी बनाना कठिन है। भोजन करने, उठने–बैठने, नृत्य करने, कपड़े पहनने, लिखने, गाने, बोलने, खेलने, स्वागत करने एवं विदा करने आदि सभी क्रियाओं में सामाजिक मानदण्ड पाये जाते हैं। समाज के द्वारा ही लड़के एवं लड़कियों के सभी क्रियाओं को अलग–अलग तरीके से समाजीकरण किया जाता है। ये हमारे व्यवहार के पथ–प्रदर्शक हैं। इन सभी मान्यतों के पीछे पितृसत्ता दिखाई देता है। इन सभी मापदंड से जेंडर भेदभाव एवं जेंडर आधारित हिंसा को बढ़ावा मिलता है।

महिलाओं की शिक्षा और जागरूकता

जेंडर आधारित भेदभाव और हिंसा समाज में सदियों से चला आ रहा है, जिसकी जड़ें जितनी पुरानी हैं उतनी ही मजबूत भी। इसलिए इसे चुनौती देने के लिए हमें भी अपनी जानकारी और तैयारी मजबूत रखनी पड़ेंगी। इसके लिए शिक्षा और जागरूकता एक मजबूत साधन है। बिना शिक्षा और जागरूकता के महिलाएं कभी भी अपने साथ होनेवाली हिंसा और भेदभाव के रूप को पहचान नहीं सकती हैं।

वास्तविकता यही है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में पढ़ाई का स्तर पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम है, जहां शिक्षा है भी तो वह बहुत सतही ही है। सरल भाषा में कहें तो कई बार महिलाओं की शिक्षा सिर्फ कागज तक ही सीमित रह जाती है पर उनके व्यवहार और विचार तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए जरूरी है कि महिलाओं की शिक्षा और जागरूकता का स्तर और बेहतर हो।

सत्र ५.२: बाल विवाह का दुष्प्रभाव और सामाजिक मानदंड

सामग्री	लक्षित वर्ग	
चार्ट पेपर, स्केच पेन	किशोर, युवा और पिता	01 घंटा

उद्देश्य

- बाल विवाह के दुष्प्रभाव पर समझ बनाना।
- बाल विवाह पर परिवार और समाज के तर्कों को समझना।
- बाल विवाह के सामाजिक मानदंडों के प्रभाव पर समझ बनाना और
- इसे परिवर्तित करने की रणनीति बनाना।

गतिविधि– बाल विवाह का दुष्प्रभाव

कड़ी

सत्र का शुरुआत पिछले सत्र के सीख और उपलब्धियों से करें। घर और समाज को किशोरियों के लिए सुरक्षित बनाने हेतु प्रारंभ किये गए प्रयासों पर चर्चा कर उन्हें संकलित करें।

16 वर्षीया कमला की शादी तय कर दी जाती है मदन से जिसकी उम्र 20 साल है। कमला की जुड़वाँ बहन गीता ने पिताजी से कहा–कि यह गलत है। पिताजी नाराज हो गए। बोले– बहुत पढ़–लिख गई हो। लेकिन हमलोग भी दुनिया देखें हैं। समाज में रहना है तो समाज का नियम, ऊँच–नीच को मानना पड़ता है। ऐसे भी बेटी पराया धन होती है। फिर तुम भी तो सयाना हो गई हो। तुम्हारा भी तो शादी करना है। हमको भी इसकी चिंता है। बाप हूँ इसका, दुश्मन नहीं। इतना अच्छा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। गीता चुप हो गई। कमला के घर वाले सोचते हैं कि शादी से परिवार में एक व्यक्ति का बोझ कम हो जायेगा। जबकि मदन के घर वाले सोचते हैं, कि घर में एक और काम करने वाली आ जाएगी। दोनों पढ़ाई के नाम पर शादी का विरोध करते हैं। मदन को कहा जाता है, पढ़ने से किसने रोका है, शादी के बाद पढ़ते रहना। कमला को कहा जाता है पढ़–लिख कर क्या करोगी, आखिर घर ही संभालना है। कुछ दिनों बाद कमला एक बेटी को जन्म देती है। परिवार को बेटे की चाहत थी। वे खुश नहीं हैं। मदन और कमला कुछ नहीं बोल पाते। अगले साल कमला फिर गर्भवती हो जाती है। वह पहले बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाती। मदन के दोस्त चिढ़ाते हैं– "तुम कैसे मर्द हो, एक बेटा पैदा नहीं कर सकते"। कमला बहुत कमजोर हो जाती है। उसका परिवार के अन्य सदस्यों से झगड़ा हो जाता है। मदन चिंतित रहने लगता है। कमला बीमार रहने लगती है। मदन पढ़ाई छोड़ कर घर आ जाता है। पैसे के आभाव में सही इलाज नहीं होता।

विमर्श

सहभागियों से पूछे कि ऐसा क्यों होता है? सहभागियों से दोनों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करें।

कमला के जीवन पर पड़ने वाला असर	मदन के जीवन पर पड़ने वाला असर
बिना मर्जी की शादी, अधिकार का हनन	बिना मर्जी की शादी
पढ़ाई छूट जाती है, जानकारी से वंचित	दोस्तों और समाज का दबाव
उसे सिर्फ एक काम करने वाली समझा जाता है	चिंता, पढ़ाई में मन नहीं लगता है
घरेलू हिंसा, तनाव, बच्चे पर ध्यान नहीं	पढ़ाई छुट जाती है, कमाने के सीमित अवसर।
खराब स्वास्थ्य, बीमारी, कुपोषण,	अपने निर्णय लेने में सक्षम नहीं।
अपने निर्णय नहीं ले सकती, भेदभाव	पारिवारिक उलझन, पैसे की कमी
कोई पहचान नहीं बनी, गरीबी चक्र	गरीबी चक्र

प्रश्न

- सहभागियों से पूछें, क्या यह आपके गाँव की कहानी लगती है?
- बाल विवाह का और क्या दुष्प्रभाव किशोर और किशोरी के जीवन, परिवार और समाज पर पड़ता है?
- कमला की शादी क्यों कर दी गई?
- गीता क्यों अपने पिता को समझा नहीं पाई?

मुख्य संदेश

- बाल विवाह के अनेक कारण हैं। बाल विवाह कोई सामाजिक नियम नहीं है, पर अनेक सामाजिक मानदंड बाल विवाह का कारण बनते हैं। इसे समुदाय की संस्कृति और परंपरा के तौर पर देखा जाता है तथा अक्सर इसे किशोरी की हित में उठाया गए कदम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
- कानूनी प्रावधान से अनभिज्ञ या उसके परिणामों से बेखबर अभिभावक सामाजिक मानदंडों के ताना–बाना में इसके दुष्परिण ामों को समझ नहीं पाते।
- बाल विवाह के रोकथाम के लिए इससे संबंधित सामाजिक मानदंडों, इसके कुतर्को और दुष्परिणामों को समझना अनिवार्य है।

गतिविधि–बाल विवाह से संबंधित सामाजिक मानदंडों को बदलने की रणनीति

ब्रेनस्टार्मिंग

- आपको बहु या पत्नी (समूह अनुसार) कैसी चाहिए– शिक्षित या अशिक्षित?
- यदि शिक्षित, तो पढ़ायेगा कौन?

यदि कोई विवाह के लिए शिक्षित लड़की चाहता है तो उसे लड़की के शिक्षा पर जोर देना होगा। यह ससुराल पक्ष नहीं अपितु लड़कियों के अभिभावक को ही करना होगा। दूसरे शब्दों में लड़की पढ़ेगी तभी शिक्षित कन्या मिलेगी। अतः लड़कियों की शिक्षा, शिक्षित पत्नी और बहू के लिए अनिवार्य है।

इसी प्रकार सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के लिए रणनीति बनायें। यह तय करें कि आप ऐसे माता–पिता से कैसे बात करेंगे जो अपने बच्चे की शादी जल्दी करना चाहते हैं, तथा आप बाल विवाह मुक्त गाँव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं।

- बाल विवाह के रोकथाम के लिए व्यक्तिगत प्रयास (किशोर, किशोरी, अभिभावक द्वारा घर के अन्दर)
- बाल विवाह के रोकथाम के लिए सामाजिक प्रयास (व्यक्ति या समूह द्वारा समाज में प्रयास)
- बाल विवाह के रोकथाम के लिए संस्थागत प्रयास (विद्यालय, कॉलेज, पंचायत आदि में प्रयास)

मुख्य संदेश

- बाल विवाह का दुष्प्रभाव लड़कियों पर ज्यादा पड़ता है। पर इसके दुष्प्रभाव से लड़के और परिवार भी अछूते नहीं रहते।
- बाल विवाह का असर परिवार की सुख–चौन, शांति, आर्थिक स्थिति, विकास के अवसर आदि पर भी पड़ता है। नतीजन विकास की दौड़ में परिवार पिछड़ता चला जाता है। अतः जीवन–पर्यंत परेशानी और पिछड़ेपन के जगह विवाह के लिए कुछ वर्ष का इंतजार ही बेहतर है।
- अनेक परिवारों ने बाल विवाह का दंश झेला है। उसे तो मिटाया नहीं जा सकता लेकिन दूसरों को बचाया जरुर जा सकता है।
- यदि अभिभावक किशोरियों को बोझ समझ कर एक कंधे से दूसरे कंधे पर डाल देतें हैं तो इससे समस्या का अंत नहीं बल्कि अन्य समस्याओं का जन्म होता है।
- बाल विवाह कानूनी अपराध और मानवाधिकार का हनन भी है। यह अपराध और हनन कभी अनजाने में तो कभी संस्कृति और परंपरा के नाम पर होता रहता है।
- कुछ लोग इसमें बदलाव कर रहें हैं, न केवल कानून के भय से बल्कि इसलिए भी कि बाल विवाह सबके लिए नुकसानदायक है।

क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं? यदि हाँ तो तय किये गये रणनीतियों का पालन करें। अन्य ग्रामीणों का भी साथ लें।

सत्र ५.३: शिक्षित जीवन साथी एवं पारिवारिक विकास

सामग्री	लक्षित वर्ग	
चार्ट पेपर, स्केच पेन	किशोर, युवा और पिता	01 घंटा

उद्देश्य

- किशोरी शिक्षा और रोजगार के संबंध और लाभ पर समझ बनाना।
- भेदभाव वाले बाधाओं को दूर करने की रणनीति बनाना।
- कार्य योजना तैयार करना।

गतिविधि–विकास के लिए अतिरिक्त प्रयास की जरुरत

कड़ी

सत्र का शुरुआत पिछले सत्र के सीख और उपलब्धियों से करें। बाल विवाह से संबंधित दुष्प्रभावों को घर और समुदाय में कम करने के प्रयासों पर चर्चा कर उन्हें संकलित करें। किसी के नकारात्मक अनुभव या प्रतिक्रिया पर थोड़ी देर चर्चा कर उस पर रणनीति बनायें।

प्रतिक्रिया

सहभागियों से पूछें–

- घर में काम करने वाले कितने व्यक्ति है, निर्भर व्यक्ति कितने है,
- घर मे कमाई बढ़ाने के लिए क्या कर सकते है?
- किनका मुख्य पेशा खेती है?
- जो सहभागी हाथ उठाते हैं उनसे पूछें– आपके दादा जी के पास कितनी जमीन थी? (मान लिया तीन एकड़)
- जवाब मिलने पर पूछें– आपके दादाजी अमीर थे या गरीब?
- जवाब मिलने पर पूछें आपके पिताजी कितने भाई थे तथा आपलोग कितने भाई हैं? (मान लिया 3 और 2)

अगर तीन एकड़ जमीन के साथ दादाजी गरीब थे तो आधा एकड़ (वास्तविक जमीन की गणना कर लें) जमीन लेकर गरीब होना स्वाभाविक है। अन्य सहभागियों की प्रतिक्रिया लें। चर्चा को भावनात्मक बनायें और अंत में पूछें, क्या यह आज की सच्चाई है या नहीं? अगर है तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसके निराकरण का उपाय क्या है?

संभावित उपाय

- आधा एकड़ जमीन की समुचित उपयोग कर तीन एकड़ जमीन से ज्यादा उपज लेना।
- और जमीन खरीदना या खेती के साथ दूसरे काम भी करना।
- घर में निर्भरों की संख्या कम करना और कमाने वालों की संख्या बढ़ान।

गतिविधि–महिलाओं के आर्थिक गतिविधियों में बाधाएं

पहेली

दो दोस्त थे अजय और विजय द्य अजय काफी दिनों से चिंतित थे और उन्होंने अपने दोस्त विजय से अपनी चिंता को जाहिर किया की कम उम्र में शादी से पत्नी को पढाई का पूरा अवसर नहीं मिल पाया द्य बच्चे छोटे थे इस कारण बाहर जाकर काम भी नहीं कर पाई। अपने घर की आर्थिक स्तिथि को बताया इस पर विजय ने उससे सलाह दिया की बच्चे तो अब थोड़ा बड़े हो गए हैं, भाभीजी जी भी कुछ काम करेंगी तो आर्थिक स्तिथि ठीक हो जाएगी। अजय ने अपने दोस्त की कही गई बातो को अपनी पत्नी को बताई और वह यह सुनकर बहुत खुश हो गयी और उसने आर्थिक स्तिथि को ठीक करने के लिए, काफी प्रयास किया, अभी बाहर काम कर रही है। एक महिला समूह की सदस्य भी बन गयी। पर उसकी आमदनी काफी सीमित ही रही। आखिर क्यों? चाह कर भी वह परिवार की आमदनी ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा पायी? सबसे जवाब पूछें।

सही जवाब

- बाल विवाह के कारण वह ज्यादा पढ़ी–लिखी नहीं थी। कम उम्र में दो बच्चों के जन्म के बाद वह थोड़ी कमजोर हो गई थी।
- उस पर परिवार की पहले से काफी जिम्मेदारी थी, उसे आर्थिक गतिविधि के लिए समय नहीं मिलता था?
- परिवार में महिलाओं पर बन्धनों के कारण उसने साधारण खेती आधारित काम के अलावा कुछ सीखा ही नहीं था, तथा उसका अनुभव और आत्मविश्वास कम था।
- प्रश्नः उपरोक्त बाधाओं का मूल कारण क्या है?

संभावित जवाब

- बाल विवाह, रोजगार के कम अवसर के कारण कम अनुभव।
- पुरुषों का घर के काम की जिम्मेदारी नहीं लेनाध घर के काम में सहयोग नहीं करना।
- महिलाओं को केवल घरेलू काम लायक समझने वाली सोच।
- महिलाओं को बराबरी का साथी नहीं समझने वाली सोच।

यदि उपरोक्त जवाब नहीं आते तो थोड़ा संकेत दें और विमर्श को आगे बढ़ाएं।

मुख्य संदेश

- बाल विवाह के कारण किशोरियों की शिक्षा बाधित हो जाती है जो उनके कौशल विकास और आर्थिक अवसरों तक पहुँच को सीमित कर देती है। आर्थिक गतिविधियों के लिए शिक्षा/हुनर महत्वपूर्ण हैं।
- यदि उचित अवसर मिले तो इसे प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु आज भी अधिकतर परिवारों में महिलाओं की जिम्मेदारी बच्चे पैदा करना, घर–परिवार संभालना समझा जाता है।
- आज अनेक महिलाएं अपने संघर्ष, जीवटता, योग्यता के बल पर बाहर काम कर रही है और परिवार का पालन–पोषण कर रहीं है। इससे उनकी स्थिति बेहतर होती यदि उनको और सहयोग मिला होता।
- महिलाओं के विकास का सफर में बराबर का साथी बनने के लिए आवश्यक है कि पुरुष को भी घर–परिवार और बच्चो के परवरिश की जिम्मेदारी में सहयोग देना चाहिए और घर की जिम्मेदारी लेना चाहिए।

गतिविधि–बाधाएं दूर करने हेतु कार्य योजना

ब्रेनस्टार्मिंग

सभी सहभागियों को अपने घर में महिलाओं के आर्थिक गतिविधियों के राह में आने वाली बाधाओं पर विचार करने के लिए कहें। उनके निराकरण के लिए सभी सहभागियों से पॉपकॉर्न विधि द्वारा उनके द्वारा किये जाने वाले प्रयासों के बारें में पूछें और उसे संकलित करें।

सत्र का निष्कर्षः जहाँ चाह वहाँ राह

दूसरे दोस्त से बातचीत के बाद पहले दोस्त की परेशानी दूर हो गयी और उसे अपने खुद पर बहुत गुस्सा आया कि इतनी छोटी बात उसके दिमाग में पहले से क्यों नहीं आयी की शिक्षा बहुत जरुरी है और बाहर काम करने से घर की आर्थिक स्तिथि ठीक हो सकती है, और कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। उसने अपनी पत्नी को देखकर यह निर्णय लिया कि वह अपने परिवार सदस्य, अपनी छोटी बहन और साली को अच्छी शिक्षा दिलवाएगा और कम उम्र में शादी नहीं होने देगा एवं "पत्नी" वाली गलती दोहराने का मौका किसी को नहीं देगा। इसके साथ ही उसने अपनी पत्नी का नामांकन कौशल विकास केंद्र में करा दिया। घर में सभी को सहयोग करना चाहिए। उसने घर के कुछ काम का जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले लिया, और धीरे–धीरे उसे परिवार के कामों में खुशी आने लगा, और उसकी जीवन की गाड़ी अच्छे से चलने लगी। सत्र संबंधी कार्य योजना के साथ सत्र का समापन करें।

सत्र ५.४: बालिका शिक्षा

सामग्री	लक्षित वर्ग	
चार्ट पेपर, स्केच पेन	किशोर, युवा और पिता	01 घंटा

उद्देश्य

- बालिका शिक्षा को संपन्न करना तथा जारी रखने की आवश्यकता और लाभ पर समझ बनाना।
- शिक्षा और बाल विवाह के संबंध को समझना।
- अपनी जिम्मेदारी तय करना।

गतिविधि–बालिका शिक्षा–अभिभावकों का दृष्टिकोण

कड़ी

सत्र की शुरुआत पिछले सत्र के सीख और उपलब्धियों से करें। मर्दानगी के धौंसपूर्ण अवधारणा के समाप्ति की दिशा में सहभागियों ने अपने आप में क्या परिवर्तन प्रारंभ किया है या किस परिवर्तन के लिए तैयार हैं इस पर चर्चा कर उन्हें संकलित करें। किसी के नकारात्मक अनुभव या प्रतिक्रिया पर थोड़ी देर चर्चा कर उस पर रणनीति बनायें।

परिवर्तन के कारक

सहभागियों में से किसी दो को आमंत्रित करें।

- उन्हें कहें कि वे एक दूसरे को ठीक से देख लें। रोचक बनाने के लिए दोनों को प्रोत्साहित करते रहें। थोड़ी देर बाद दोनों को एक दूसरे की ओर पीठ कर खड़ा हो जाने के लिए कहें।
- अब उन्हें अपने आप में कोई तीन परिवर्तन करने के लिए कहें। बाकी सहभागियों को दोनों तीन–तीन परिवर्तन करते हैं या नहीं यह देखने के लिए कहें। यदि कोई दिक्कत होती है तो परिवर्तन हेतु मदद करें।
- तीन–तीन परिवर्तन हो जाने पर दोनों को एक दूसरे की ओर मुख कर खड़ा हो जाने के लिए कहें और दोनों ने क्या–क्या परिवर्तन किया है, एक–एक कर बताने के लिए कहें।
- सही होने पर ताली बजवायें और गलत होने पर बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित करें। दोनों का स्कोर बताते जाएँ जैसे 1–1 या 1–0। दोनों सहभागियों को तीन–तीन मौका दें।
- जीतने वाले सहभागी के लिए ताली बजवायें। दोनों सहभागियों को अपने जगह पर बैठ जाने के लिए कहें। दोनों सहभागियों को खेल में भाग लेने के लिए धन्यवाद दें।
- अन्य सहभागियों से पूछें कि उन्होंने खेल से क्या सीखा? साथ में दोनों सहभागियों द्वारा अपने आप में किया हुआ परिवर्तन वापस पुराने रूप में लाने का इंतजार करते रहें। जैसे वे परिवर्तन को पुराने रूप में ले आते हैं उन्हें वापस बुलाएँ। उनसे कहें कि एक बात तो वह बताना भूल ही गए थे।
- अब बाकी सहभागियों से पूछें कि थोड़ी देर पहले जो परिवर्तन हुआ था वह कहां है? एक–एक कर बताएं जो जैसा था वैसा ही हो गया है? सभी सहभागियों से पूछें कि ऐसा क्यों हुआ?
- जवाब संकलित करें।

मुख्य संदेश

अनेक परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होते हैं जिसे हम देख नहीं पाते। इसका अर्थ यह नहीं कि परिवर्तन हुआ ही नहीं।

- सहभागियों के सीख को दोहरायें।
- परिवर्तन को देखने के लिए थोड़ा प्रयास करना होता है। परिवर्तन सबको प्रोत्साहित कर बेहतर प्रयास के लिए प्रेरित करती है।
- परिवर्तन अनेक बार बाहर से थोपा हुआ होता है जिसके कारण वह स्थायी इसलिए नहीं होता।
- परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि परिवर्तनकर्ता को इसकी आवश्यकता महसूस हो।
- यदि व्यक्ति को परिवर्तन के क लाभ का स्वाद पता चल जाता है तो वह खुद प्रयास करने लगता है और परिवर्तन स्थायी हो जाता है।
- इसी प्रकार अनेक अभिभावक ऐसे हैं जिन्हें बालिका शिक्षा का लाभ ज्ञात नहीं क्योंकि वो खुद शिक्षित नहीं हैं। अनेक अभिभावकों को इसका ज्ञान बहुत देर से होता है और वे इसे सुधार नहीं सकते।
- उन्हें बालिका शिक्षा हेतु प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका और इसका लाभ बताना होगा।

गतिविधि–शिक्षा और बाल विवाह के संबंध को समझना–आम अवधारणा

सत्र के शुरू में सभी प्रतिभागियों को निचे दि गए कहानी सुनाये और अच्छा होगा अगर कहानी सुनते हुए उस से जुड़े हुए कुछ तस्वीर या कार्ड का सहारा ले।

कहानी

रामु और शामू दोनों एक ही गाँव में एक दूसरे के पडोसी हैं, रामु की बेटी संगीता और शामू की बेटी शर्मीला दोनों ही आठवी कक्षा में पढ़ रही है, दोनों परिवारों में बहुत ही दोस्ती हैं और वे लोग एक–दूसरे को सभी कामों में बहुत ही मदत करते है। चाहे वह खान पान हो या दोनों परिवारों का रोजगार का साधन, दोनों परिवारों में लगभग सब कुछ एक जैसे ही हैं।

दोनों परिवारों में अगर कुछ अंतर हैं तो वह हैं अपने अपने बेटियों की भबिष्य को लेकर दोनों पिता की सोच, हालाँकि दोनों पिता अपने अपने बेटियों को बहुत प्यार करते हैं और भबिष्य को लेकर चिंतित हैं, रामु अपने बेटी को आगे और पढ़ा कर उसे अपने पैरों पर खड़ा कराना चाहते हैं, रामु चाहते हैं संगीता आगे चलकर नौकरी करें और परिवार ईमदत करें। रामु चाहते हैं संगीता की शादी उसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही हो। उधर शामू चाहते हैं आठवीं की पढ़ाई खत्म करते ही वह कोई अच्छा सा घर ढूंढ के शर्मीला की शादी कर दे ताकि वह अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपने पति और ससुराल में खुश रहे। शामू सोचता हैं लड़कियों के लिए उसकी ससुराल ही सब कुछ हैं और सभी पिता को जल्द से जल्द अपने बेटी की शादी किसी अच्छे घर में कर देनी चाहिए, उधर रामु सोचता हैं लड़कियों को भी लड़कों के जैसे अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका मिलना चाहिए ताकि आगे चलकर वह अपने पैरों पर खरे हो पाएं और अपने फैसले वह खुद ले सके और शादी हमेशा पढ़ाई पूरी होने के बाद ही होना चाहिए।

ब्रेनस्टार्मिंग

- सहभागियों से पूछें कि जो अभिभावक बेटियों को ज्यादा नहीं पढ़ाते और पढ़ाई छुड़वा कर शादी कर देते हैं आखिर उनका तर्क क्या होता है?
- कहानी के अनुसार आप रामु और शामू में से किसकी सोच से सहमत रखते हैं और क्यों?
- कम से कम आठ–दस जवाब संकलित करें। जवाब निकालने के लिए बीच–बीच में संकेत दें।
- यदि उनका जवाब दिए गए संभावित जवाब से भिन्न है तो संभावित जवाब पढ़कर सुनाएँ और उनसे पूछें कि क्या यह भी कारण हो सकता है?

संभावित जवाब

- बेटी ज्यादा पढ़–लिख कर क्या करेगी? आखिर उसे तो चूल्हा–चौकी और घर परिवार ही संभालना है।
- बेटी ज्यादा पढ़ेगी तो मायके को क्या फायदा होगा? वह जो कमाएगी ससुराल को ही देगी।
- बेटी ज्यादा पढ़–लिख लेगी तो दहेज ज्यादा लगेगा। दूल्हा खोजने में दिक्कत होगी।
- बेटी अगर पढ़ने जाएगी तो घर का काम कौन संभालेगा?
- हम लोग गरीब लोग हैं। दोनों को एक साथ ठीक से नहीं पढ़ा सकते। अतः केवल बेटा को पढ़ाना उचित है।
- आज कल की समय बेटा और बेटी दोनों सामान हैं और पिता के तरफ से दोनों को ही जिन्दगी में आगे बरने का सामान मौका मिलना चाहिए।
- आजकल लड़कियां भी सभी तरीके का काम कर रही हैं चाहे वह पुलिस की हो या सेना की हो।
- लड़कियों की शादी होना जरुरी हैं लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद।

ब्रेनस्टार्मिंग

- सहभागियों से पूछें क्या अभिभावकों की उपरोक्त कौन कौन सी सोच सही है या गलत? अगर सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों?
- अगर अभिभावकों की सोच गलत है तो इसका लड़की और परिवार पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है?
- अगर अभिभावकों की सोच गलत है तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है?
- शिक्षा संबंधी गलत अवधारणाओं को दूर करने में किशोरों और पिता की क्या भूमिका हो सकती है?
- सहभागियों को जवाब के लिए प्रेरित करें और जवाब संकलित करें।

अब फिरसे प्रतिभागियों को कहानी की अगली कड़ी सुनाइए और उनसे दुबारा चर्चा करें:
तो चलिए देखते हैं कहानी में आगे क्या होता हैं:

संगीता अब एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं और फिलहाल अपने पति के साथ गाँव में ही रहती हैं, संगीता अपने ससुराल के साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी देखभाल रखती हैं, उधर शर्मीला की शादी बस 15 के उम्र में ही एक रईस घर में हो गयी थी और सिर्फ 17 साल के उम्र में ही वह दो बच्चों की माँ भी बन गयी, कम उम्र में माँ बनने के कारण शर्मीला ज्यादातर समय बीमार भी रहती हैं और परिवार की देखरेख भी ठीक से नहीं कर पाती।

शर्मीला आज भी सोचती हैं अगर उस समय उसके पापा ने उसकी पढ़ाई नहीं छुड़वाई होती तो आज शायद उसकी जिन्दगी कुछ और होती/होता, परिवार तथा पति की मदत कईं तरीके से कर पाती।

परिचर्चा

- सहभागियों से पूछें कि बचपन में उन्हें घर में कौन पढ़ाता था, माँ या पिताजी?
- जिन–जिन सहभागियों ने कहा कि उन्हें माँ पढ़ाती थी उन्हें खड़ा होने के लिए कहें।
- अब उनसे पूछें कि उनकी माँ कितनी शिक्षित है? क्या उनकी माँ कहीं नौकरी करती है?
- क्या उनकी माँ को पढ़ाने में कोई दिक्कत होती थी?
- अगर वे थोड़ा और शिक्षित होती तो क्या वह आपको और बेहतर ढंग से पढ़ा पाती?
- सहभागियों को जवाब के लिए प्रेरित करें और जवाब संकलित करें।
- साथ में उनसे पूछे की कैसे अगर शर्मीला के पिता उसे आगे पढ़ने का मौका देते तो उसकी जिन्दगी में क्या क्या बदलाव आ सकता था ?

गतिविधि–बालिका शिक्षा में पुरुषों की भूमिका

ब्रेनस्टार्मिंग

सहभागियों को अपने आसपास के क्षेत्र में बालिका शिक्षा को अवरुद्ध करने वाली अवधारणाओं को तोड़ कर बेहतर प्रदर्शन करने वाले सफल अभिभावक और लड़कियों का पहचान करने के लिए कहें। उनके सफलता गाथा के बारे में संक्षेप में पूछें। उन्हें बताएं कि अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए इनकी सफलता गाथा सुनाई जा सकती है।

सभी सहभागियों से व्यक्तिगत स्तर पर घर और समाज में किये जाने वाले कम से कम एक–एक पहल के बारे में पूछें, और साथ में रखे शपथ पत्र में उनको सिग्नेचर करने के लिए बोले ताकि जो सोच वह अपने मन में रख रहे हैं वह सोच दूसरों के सामने भी रखे। शपथ पत्र में हस्ताक्षर करके सभी प्रतिभागी यह शपथ ले की वह आनेवाले समय में उनके घर तथा समुदाय के सभी बेटिओं को उनके पढ़ाई तथा सपनो को पूरा करने में वह हर तरीके से मदत करेंगे। शपथ पत्र को गाओं के ही किसी परिचित स्थल पर लगाए ताकि हस्ताक्षर करने वाले सभी को अपने अपने शपथ हमेशा दिखाई दे और उन्हें पालन करने की सोच उनमे कायम रहे।

मुख्य संदेश

- एक कहावत है, महिलाओं को पढ़ाने का हक है, इसे उनका फायदा होता है, साथ ही उनके परिवार का, लेकिन अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। यदि एक पुरूष पढ़ता है तो एक पुरुष आगे बढ़ता है।
- आज गाँवों में भी अनेक महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र, सहिया, पंचायत, विद्यालय आदि में कार्यरत हैं। अगर वे शिक्षित नहीं होती तो शायद यह नहीं होती।
- सरकार ने बेटी पढ़ाओ–बेटी बचाओ जैसे योजनाओं से अभिभावकों को अनेक राहत और सुविधा सहायता प्रदान किया है। शिक्षा किशोरियों को सक्षम बनाता है।

नोट

नोट

ICRW
INTERNATIONAL CENTER
FOR RESEARCH ON WOMEN

आई.सी.आर.डब्ल्यू एशिया रिजनल ऑफिस
मॉड्यूल नंबर-410, फोर्थ फ्लोर, एन.एस.आई.सी बिजनेस पार्क बिल्डिंग, ओखला इंडस्ट्रियल स्टेट
नई दिल्ली - 110020, भारत | फोनः +91-11-46643333 | फैक्सः 91-11-24635142
ईमेलः info.india@icrw.org | वेबसाइटः www.icrw.org/asia

आई.सी.आर.डब्ल्यू जामताड़ा प्रोजेक्ट ऑफिस
ग्राउंड फ्लोर, 726-ए/1 पी2, कृष्णा नगर, मिहिजम, जामताड़ा, झारखंड - 815354